सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा | मंगलवार, तिथि 27 फरवरी, 2024 ई0
एकादश सत्र | 08 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज सदन चल रहा है और इस सदन के 12 से ज्यादा मेंबर मिथिला यूनिवर्सिटी के सिनेट के मेंबर हैं और वह बैठक आज रखी गयी है और उसकी सूचना भी आज सुबह में हमलोगों को मिली है इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, उस बैठक की तिथि को आगे करवा दें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये सरकार भी सही मानती है कि जब अगर सदन का सत्र चल रहा है तो कम से कम जिस दिन सत्र की बैठक होनी हो और अगर कोई ऐसी समिति है जिसके माननीय सदस्यगण सदस्य होते हैं तो वैसे समितियों की या वैसे बॉडी निकाय की तो बैठक नहीं होनी चाहिये । हमलोग इसके संबंध में बात करेंगे ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 25 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156, भागलपुर)

श्री अजीत शर्मा : महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हेतु विभागीय संकल्प सं0-1064, दिनांक-17.05.2018 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1140, दिनांक- 10. 05.2018 द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राशि एक लाख मात्र तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि पचास हजार मात्र अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का लाभ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति के अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग द्वारा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है ।

2. वर्तमान में इस योजना के आच्छादन को विस्तारित करते हुये देश में आयोजित होने वाली उपरोक्त के इतर कई अन्य महत्वपूर्ण चुनिंदा परीक्षाओं यथा-संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, बिहार लोक सेवा आयोग सहित सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, आई0बी0पी0एस0 तथा विभिन्न रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल करते हुये इसके प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार की तैयारी हेतु राज्य के स्थायी निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया गया है ।

3. यह उल्लेखनीय है कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के अधिसूचना सं0- 3434, दिनांक-19.08.2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि द्वारा सिर्फ उक्त कोटि के महिला अभ्यार्थियों को ही संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा तथा बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रुपये एक लाख तथा पचास हजार मात्र का लाभ देने का प्रावधान किया गया है ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना से सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों तथा देश के अन्य सभी परीक्षाओं के संदर्भ में इस योजना से आच्छादित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को जानकारी देकर एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या मंत्री जी को जानकारी है कि 2015 में समर्पित उच्च जातियों के लिये आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य श्रेणी के 55 प्रतिशत लोगों के पास एक एकड़ से कम भूमि, 33 प्रतिशत भूमिहीन, ग्रामीण क्षेत्रों के 90 प्रतिशत की पढ़ाई स्नातक से कम, 49 प्रतिशत गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं और 65 प्रतिशत नौकरी के लिये घर छोड़ने को मजबूर हैं तो वैसी स्थिति में क्या सरकार सामान्य श्रेणी के बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुये उन्हें भी देश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान करने का विचार रखती है और रखती है तो कब तक ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है, निश्चित तौर पर विभाग उसकी समीक्षा करेगी । समीक्षा के बाद देखा जायेगा जैसा होगा सरकार विचार करेगी, इसके लिये सरकार कोई रास्ता निकालेगी ।

श्री अजीत शर्मा : मंत्री महोदय, कब तक सरकार रास्ता निकालेगी ? ये तो बता दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : एक महीने के अंदर में समीक्षा करके देखा जायेगा, जो आपका प्रस्ताव है फिर उस पर सरकार विचार करेगी ।

श्री अजीत शर्मा : धन्यवाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 26 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0-194, आरा)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर): महोदय, 1. अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में दिनांक-1 अप्रील, 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है । मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु उत्पाद विभाग द्वारा अवैध सूखा नशा के विरूद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है । राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर चौर्य व्यापारियों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई करने हेतु विभाग द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं:-

- चेक पोस्ट-पूर्व में 05(पांच) समेकित जांच चौकी स्थापित की गयी थी, जिसे बढ़ाकर 84(चौरासी) कर दी गयी है, जहां 24x7 जांच की जा रही है तथा सीमावर्ती क्षेत्र के चेक पोस्टों से गुजरने वाले वाहनों की जांच हेतु Hand held Scanner उपलब्ध कराया गया है ।

- नवगठित उत्पाद थाना- पूर्व में कुल 36 (छत्तीस) थाने खोले गये थे । आवश्यकता को देखते हुये पुनः 44 (चौवालीस) अतिरिक्त थाने खोले गये हैं । इस प्रकार मद्य निषेध नीति का सफल कार्यान्वयन के लिये कुल 80 (अस्सी) उत्पाद थाने कार्यरत हैं ।

- मानव संसाधन- पूर्व में विभाग में उत्पाद पदाधिकारियों/कर्मियों की संख्या 2,167 (दो हजार एक सौ सड़सठ) थी, मद्य निषेध नीति का सफल कार्यान्वयन के लिये विभिन्न स्तरों पर 2,250 (दो हजार दो सौ पचास) अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है । वर्तमान में कुल स्वीकृत बलों की संख्या 4,417 (चार हजार चार सौ सत्रह) हो गयी है । इसके अतिरिक्त विभाग में 2,538 (दो हजार पांच सौ अड़तीस) गृहरक्षक 443 (चार सौ तेतालीस) सैफ बल,

एम0टी0एस0 392 (तीन सौ बानवे) एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर 142 (एक सौ बयालीस) भी शामिल है ।

● उपलब्धि- दिनांक 1 अप्रील, 2016 से दिनांक 8 फरवरी, 2024 तक की अवधि में सूखा नशा के रोक-थाम हेतु उत्पाद छापामारी का फलाफल प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

कुल छापामारी - 397
कुल गिरफ्तारी - 440
कुल जब्त गांजा - 15232.6 किलोग्राम
कुल जब्त चरस - 3.5 किलोग्राम
कुल जब्त अफीम - 57.2 किलोग्राम
भांग - 500 ग्राम
कुल जब्त कोडीनयुक्त कफ सिरप - 43.00 लीटर
कफ सिरप - 22 लीटर
फैन्साड्रिल कप सिरप - 19490.000 लीटर

उपर्युक्त के अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा भी कार्रवाई की जाती है ।

(2) उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, उत्तर तो आया हुआ है, जवाब मिला हुआ है लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि हाल के दिनों में 28 दिसंबर, 2023 को दैनिक जागरण में शहर तो शहर, अब गांव की गलियां भी सूखे नशे की चपेट में । महोदय, 29 दिसंबर को शहर की गलियों में खुलेआम नशे का धंधा, कदमकुआं, जक्कनपुर, कंकड़बाग, पीरबहोर...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : पटना सिटी के कई क्षेत्रों में...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, पूरक तो पूछूंगा । बचपन भी धधक रहा है नशे की आग में दैनिक जागरण 30.12.2023 को । महोदय, 02 जनवरी, 2024 को बड़ी मछलियां फंसाने में पुलिस बिछाने लगी है जाल, आरा से जुड़ा कनेक्शन ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये अमरेन्द्र बाबू ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : तीन लाख की दवा नशा बनते ही पचास लाख हो जाता है महोदय, यह दैनिक जागरण का...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, यह 14 दिसंबर का है और 31 दिसंबर का है कहीं भाभी जी, कहीं लाली ड्रग्स के धंधे में महिलायें । महोदय, मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उपलब्धियों का जो ब्यौरा दिया है, वह संतोषजनक नहीं है । आपूर्तिकर्त्ता कहीं पकड़े नहीं जा रहे हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न क्या चाहते हैं ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : हम चाहते हैं कि क्या सरकार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके और खुफिया विभाग को भी उसमें लगाकर, क्योंकि यह काम केवल उत्पाद विभाग द्वारा संभव नहीं है । यह उनकी हैसियत से बाहर की बात है कि वह इस सूखे नशे को पकड़ पायें तो उसमें क्या प्रशासन, खुफिया विभाग और एस0टी0एफ0 स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके, इसमें कठोर कार्रवाई करने का और आपूर्तिकर्त्ताओं को पकड़ने का विचार रखती है जबकि आपूर्तिकर्त्ता को पकड़ने की सूची जो उन्होंने दी है उसमें एक भी नहीं है...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अमरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका विस्तार से जवाब माननीय सदस्य को मिला है और माननीय सदस्य की जो चिंता है अगर इस तरह की खबरें सिर्फ अखबार में छपती है और माननीय सदस्य के संज्ञान में, जो भी माननीय सदस्य हों चाहे हमारे विधान सभा के सदस्य हों, लोकसभा के सदस्य हों, विधान परिषद् के सदस्य हों, त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य हों अगर इस तरह की पुख्ता जानकारी अगर सरकार को उनके माध्यम से प्राप्त होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी । महोदय, यह अवेयरनेस का भी विषय है, लोगों को जानकारी देने का भी विषय है । अगर इस सिलसिले में अपने बच्चों, अपने समाज में जहां भी माननीय सदस्य जाते हैं भाषण देते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जनसभा करते हैं, अगर इन चीजों पर अपनी बात को पूरी तरह से रखेंगे कि इससे आने वाले समाज की पीढ़ियों को नुकसान हो रहा है तो मैं

समझता हूं कि यह रूकेगा भी और माननीय सदस्य को जो भी जानकारी है अगर सरकार को उपलब्ध करायेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं आरा से आता हूं, माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आरा में यह मामला कितना गंभीर रूप धारण कर चुका है । आरा स्टेशन से लेकर के जैन कॉलेज होते हुये और डांगी तक का जो मोहल्ला है पूरा स्मैक और चरस, सूखा नशा बेचने वालों का, आपूर्ति करने वालों का जमघट लगा रहता है । स्कूल के पास, कॉलेज के पास, अन्य भीड़-भीड़ वाली जगहों के पास, स्टेशन पर ये हैं और हमने कई बार पुलिस को भी कहा लेकिन कहीं कोई इस पर ध्यान नहीं है और बड़े-बड़े माफिया इसमें लगे हुये हैं, करोड़ों-अरबों की संपत्ति बनाने वाले वहां खड़े हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यही है कि क्या पूरे राज्य में जो मामला है वह तो है लेकिन क्या आरा में विशेष रूप से छापामारी करके ऐसे आपूर्तिकर्त्ताओं को पकड़ने का सरकार विचार रखती है, एस0टी0एफ0 का गठन करके और पुलिस को लगाकर, पूरे प्रशासन को लगा करके, केवल मद्य निषेध विभाग के भरोसे नहीं छोड़ करके सरकार ऐसा गंभीर विचार रखती है, कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

टर्न-2/राहुल/27.02.2024

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और सदन के अन्य माननीय सदस्यों को भी देख रहे हैं इस पर काफी चिंता जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं । सरकार विषय-वस्तु से चिंतित है । हर हालत में इस तरह का कृत्य करने वाले पकड़े जायेंगे और माननीय सदस्य ने जहां-जहां स्थान चिन्हित किये हैं एक सप्ताह के अंदर वहां जो भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र जवाब बहुत विस्तृत दिया हुआ है पूरक पूछिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में नशाखोरी का मामला चल रहा है और प्रशासन अगर इसको गंभीर रूप से लेता है तो निश्चित रूप से नशाखोरी पर हम काबू

पायेंगे तो क्या सरकार पुलिस प्रशासन को आदेश देना चाहेगी कि जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं या स्मैक बेचा जा रहा है, चाहे वह मनेर हो, बिहटा हो, पटना जिला हो, चाहे बिहार में अनेक जगहों में इस तरह की चीजों की बिक्री हो रही है तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है या नहीं ?

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ठाकुरगंज प्रखंड में एक बच्चे ने नशे का शिकार होकर अपने माता और पिता दोनों का मर्डर कर दिया । उसको पुड़िया के लिए दो सौ रुपये चाहिये थे । पूरे शहर में चाहे मोटर की चोरी हो, ट्यूबवेल की चोरी हो, पूरा बाल संस्थान चौपट है । हम यह चाहते हैं कि सीमांचल में भी स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर के इस नशाखोरी गिरोह को पकड़ा जाय और कड़ी से कड़ी सजा दी जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अमरेन्द्र बाबू का बड़ा संवेदनशील प्रश्न है और पूरे बिहार के युवाओं की नस्ल बर्बाद हो रही है तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं या सरकार से जानना चाहते हैं कि युवाओं की नस्ल बर्बाद न हो इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके इसकी रोकथाम के लिए सरकार कोई ठोस कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमने सदन को बताया कि सरकार चिंतित है और जहां-जहां से माननीय सदस्य ने अपने सुझाव दिये हैं स्पेशल ड्राइव चलाकर 15 दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0- 27 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, 1. स्वीकारात्मक ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि अब मृत शिक्षकों के आश्रित का अनुकम्पा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है परन्तु अनुकम्पा के आधार पर उच्च विद्यालयों में विद्यालय सहायक/विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति की जा सकती है । वर्तमान में विद्यालय अध्यापक एवं विद्यालय परिचारी का पद उपलब्ध नहीं रहने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है । 6421 विद्यालय सहायक का पद सृजित किया जा रहा है, जिससे अनुकम्पा के लंबित मामलों का निष्पादन हो जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है अनुकंपा पर शिक्षक और सहायकों की बहाली का मामला है । मैंने पत्रांक-दिनांक भी दिया है और विभाग का यह कहना है कि मृत शिक्षक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है लेकिन मैंने जो पत्रांक-दिनांक दिया है, मैं केवल एक मिनट चाहूंगा, हजारों लोगों का यह मामला है मैं केवल...

अध्यक्ष : सभी मामले गंभीर होते हैं ।

श्री संजय सरावगी : जी, मैं केवल तीन पंक्ति के पत्रांक, दिनांक का हवाला देता हूं जो दिनांक-01.07.2006 का मैंने उदाहरण दिया है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सरकार का आदेश है, संलेख है कि दिनांक-01.07.2006 एवं इस तिथि के पश्चात् प्रमंडलीय संवर्ग अथवा जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी, पंचायती राज संस्था अंतर्गत प्राथमिक मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटि के कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित की इंटरमीडियट एवं प्रशिक्षण की अर्हता होने के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में उर्त्तीणता के आधार पर संगत नियोजन नियमावली के आलोक में पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक/नगर प्रारम्भिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति की जाय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : वही मैं पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार का निर्देश है, संलेख है कि जो शिक्षक होंगे अगर शिक्षक की पात्रता रखते हैं तो उनकी शिक्षक के पद पर अनुकंपा पर बहाली की जायेगी, तो सरकार अपने दिये गये निर्देश के आलोक में क्यों नहीं उसको लागू करना चाहती है ? सरकार कहती है कि शिक्षक के आश्रित की शिक्षक के पद पर बहाली नहीं होगी, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पहले सेवाकाल में जिन शिक्षकों की मृत्यु होती थी उनकी जगह पर अनुकंपा के आधार पर योग्यताधारी उनके जो वारिस होते थे उनकी नियुक्ति शिक्षक में होती थी उसके बाद सारे सदस्य अवगत हैं कि वर्ष 2006 में जो नई शिक्षक नियमावली आयी और शिक्षक नियोजन का प्राधिकार जो स्थानीय निकाय होते हैं पंचायत और नगर निकाय, ये अधिकार उनको दे दिया

गया। हालांकि उनको भी जब दिया गया था तब यह सरकार की तरफ से निदेश था कि जिनकी मृत्यु अगर सेवाकाल में हुई है वैसे शिक्षकों के वारिस अगर योग्य हैं तो शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जाय और वर्ष 2006 से 2015 तक इस श्रेणी की नियुक्तियां हुई हैं । जब सेवाकाल में मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को नौकरी दी गयी । महोदय, वर्ष 2015 में एन0सी0टी0ई0 (नेशनल काउंसिल फोर टीचर्स एजुकेशन) जो है उसका एक ऑल इंडिया सर्कुलर भारत सरकार की तरफ से आया जिसके तहत उन्होंने शिक्षक में नियुक्ति के लिए दो चीजें अनिवार्य कर दी । एक तो टी0ई0टी0 पास होना चाहिए, चाहे सी0टी0ई0टी0, चाहे सेन्ट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें या स्टेट में जो होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, वह पास करें । यह पहली शर्त थी, दूसरी शर्त थी कि उनको प्रशिक्षण भी, शिक्षक होने के लिए जो बी0एड0 या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से भी प्रशिक्षित होना चाहिए तो 2015 के बाद से चूंकि यह भारत सरकार का देशव्यापी निदेश था कि अब कोई भी शिक्षक तभी नियुक्त होंगे जब तक कि वे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट न पास कर लें और प्रशिक्षण न प्राप्त कर लें । महोदय, 2015 से 2023 तक इस श्रेणी के जो लोग पाये गये उनकी नियुक्तियां हुई हैं। अभी पिछले वर्ष जो नई नियमावली जारी हुई है जब से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उसमें शिक्षक में सीधे नियुक्ति का प्रावधान नहीं है और जो पीछे के बैकलॉग के बारे में कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सरकार भी मानती है चूंकि समय-समय पर कुछ भारत सरकार के निर्णय से और कुछ राज्य के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो नये कदम उठाये गये उसके कारण नियुक्तियां नहीं हुई । अब आज की स्थिति में अगर शिक्षक की सेवाकाल में मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को हम या तो सहायक में या परिचारी में, दो ही श्रेणी उनकी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं और इसीलिए अभी सबों ने देखा होगा कि पिछले दिनों मंत्रिपरिषद् ने 6421 विद्यालय सहायकों के पदों की स्वीकृति दे दी है उसमें जो सहायक बनने के लिए योग्य होंगे तो जितने लंबित मामले हैं उनको उस पद कर दिया जायेगा और जो परिचारी पद की अर्हता रखते हैं अब हम लोग परिचारी के पद सृजन की भी कार्रवाई कर रहे हैं वह हो जाने के बाद लगभग सभी लोग समायोजित हो जायेंगे ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो प्रशिक्षण शिक्षक की पात्रता रखते हैं, चाहे सी0टी0ई0टी0, एस0टी0ई0टी0 पास हैं उनकी 2023 तक हम लोगों ने शिक्षक में बहाली की है, भारत सरकार का भी यह प्रावधान है लेकिन जो विभाग की लापरवाही से पांच-पांच, सात-सात, आठ-आठ, दस-दस साल से घूम रहे हैं । इधर से लेकर पटना तक, पटना से लेकर उधर उनकी तो जो पात्रता है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2023 तक हम लोग बहाली किये हैं तो जो विभाग की लापरवाही से, अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया तो अलग बात है जो पूर्व से दस-दस साल से आवेदन कर रहे हैं और विभाग की लापरवाही से जिनकी शिक्षक में बहाली नहीं हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी, जो पूर्व से आवेदन किये हुए हैं और जो शिक्षक बहाली की पात्रता रखते हैं तो क्या उनकी बहाली करेंगे मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं ?

टन-3/मुकुल/27.02.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर माननीय सदस्य या कोई भी दूसरे सदस्य इस तरह की सूचना देते हैं कि वर्ष 2015 के बाद से जिन्होंने आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन किया है और वह टी0ई0टी0 भी पास हैं और प्रशिक्षण भी प्राप्त किये हुए हैं तो जरूर सरकार उसको भी देखेगी कि उनकी क्यों और किस परिस्थिति में नियुक्ति नहीं हो पाई है । उन मामलों की भी हम अलग से जांच करवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न शुरू करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्यों ने एक मांग या बात उठाई थी कि आज मिथिला विश्वविद्यालय में सीनेट की मीटिंग जो वाइस चांसलर ने रख दी थी । महोदय, हमने निदेश दिया और हमको वहां से सूचना दे दी गई है कि आज की बैठक स्थगित कर दी गई है ।

अध्यक्ष : यह सरकार है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-610 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र संख्या-165, मुंगेर)

अध्यक्ष : श्री प्रणव कुमार जी, आपका पहले का जो प्रश्न स्थगित था, हस्तांतरित होकर आया था ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, उसका उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, इसके लिए हम समय चाहेंगे, इसका जवाब चलते सत्र में दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-927 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र संख्या-225, गुरूआ)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-928 (श्री विनय बिहारी, क्षेत्र संख्या-5, लौरिया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : सर, उत्तर नेट पर अपलोड नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण में प्राथकि विद्यालय 1623, मध्य विद्यालय 749, उच्च विद्यालय 336 और डिग्री कॉलेज 03 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 01 कार्यरत हैं । पश्चिमी चम्पारण के सभी 303 पंचायतों में उच्च विद्यालय हेतु भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और सभी पंचायत आच्छादित हैं । 82 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है । 70 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण प्रगति पर है और शेष माध्यमिक विद्यालयों में भी जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी, विद्यालय भवन का निर्माण करवा दिया जायेगा ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां दो ब्लॉक है, योगापट्टी और लौरिया । प्रोजक्ट कन्या प्लस2 विद्यालय (मच्छरगांवा), उत्क्रमित कन्या विद्यालय (योगापट्टी), बहुआरवा, जरलपुर, सिसवां बैरागी, सिसवा भूमिहार, ओझा बरवा, दरवलिया ये 8 पंचायत में विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है और लौरिया में कटैयां, साठी, धमौरा, सिसवनियां ये मिलाकर ये 12 हो गये । हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि हमारे यहां पर जो 12 बचे हुए हैं उनका निर्माण कार्य कब तक हो सकेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा है कि प्रश्न में माननीय सदस्य ने अपने प्रखंडों या किसी खास विद्यालयों की चर्चा नहीं की है । हमने तो आम जो नियम है उसका हवाला दिया है । लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि अगर कुछ पंचायत या जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें निर्माण नहीं हो रहा है और अगर वहां पर भूमि उपलब्ध है और नहीं भी उपलब्ध है तो माननीय सदस्य अपने इलाके में भूमि उपलब्ध करवा दें, सरकार तुरंत भवन निर्माण की कार्रवाई करेगी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा एक सवाल है कि जिन विद्यालयों में जमीन नहीं है और अगल-बगल में जमीन है तो क्या अगल-बगल की जमीन को भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो मैं दे दूंगा । हमारे यहां पर बारह बचे हुए हैं, उन बारहों के लिए मैं जमीन मैं दे सकता हूं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी सरकार की जमीन अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि जहां पर विद्यालय प्रस्तावित हैं तो उसके अगल-बगल में ये जमीन उपलब्ध करवा देंगे तो वह बन सकता है या नहीं बन सकता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने माननीय सदस्य को बता ही दिया कि जहां पर ये चाहते हैं, जिस पंचायत में भी प्लस-2 विद्यालय के लिए भवन नहीं है और अगर वहां भूमि उपलब्ध है तो वह सूची माननीय सदस्य हमको दे दें तो हम तुरंत उनको बनवा देंगे ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहां से इस प्रश्न में बोलने के लिए खड़ा हो गये हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राज्य का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं । यह प्रश्न पूरे राज्य का प्रश्न नहीं है, यह पश्चिमी चम्पारण का प्रश्न है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन में यदि कोई सवाल आयेगा तो....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं । ऐसा नहीं होता है । आप अलग से प्रश्न कीजिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-929 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र संख्या-6, नौतन)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-930 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र संख्या-67, मनिहारी (अ0ज0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आंशिक अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत लखनपुर पंचायत के वार्ड संख्या-11 में प्राथमिक विद्यालय घसियाघाट में कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या 217, कुल शिक्षक/शिक्षिकाओं की संख्या 04 है एवं कमरों की संख्या 06 है । जिसमें 04

कमरों में पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है । शेष दो कमरे जर्जर हैं । दो जर्जर कमरों को तोड़कर उसके स्थान दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष (1जी+1एफ) के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भवन निर्माण करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है । आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, भवन जो जर्जर हैं, उनको सुदृढ़ करने के बाद अतिरिक्त कमरे बनाने के लिए मैंने प्रश्न किया था । इसमें माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है उसमें अतिरिक्त कमरे बनाने की बात नहीं कही गई है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये जर्जर भवन को बनाने के बाद वहां पर अतिरिक्त कमरे बनाने का विचार रखते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वहां पर दो कमरे हैं, जैसाकि माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि उसकी स्थिति जर्जर है और हम भी तो उसकी स्थिति जर्जर मान ही रहे हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसकी मरम्मति करवा दीजिए और हमलोगों ने दिखवाया है उसका कुछ अंश मरम्मति के लायक भी नहीं है तो उसको हटाकर हमलोग दो नया कमरा जो 1जी+1एफ मतलब एक कमरा नीचे, एक कमरा ऊपर भी। इसका प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृति दी जा चुकी है । अगले वित्तीय वर्ष में दो नया कमरा बनवा देंगे ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि उसका ऊपर का जो बनता है वह कर्कट का बनता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य, नहीं-नहीं । इसमें हम जो कह रहे हैं, स्टील का भी कमरा बनता है । वह प्री-फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो होता है उसका अलग योजना है, लेकिन सब जगह वही योजना नहीं है । बहुत जगह पक्के मकान भी बन रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-931 (श्री राजेश कुमार, क्षेत्र संख्या-222, कुटुम्बा (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के प्रखंड नवीनगर अन्तर्गत विभिन्न गांवों यथा हरिहरपुर, बेलगोरेया एवं सिकरियारतन में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं । नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बेलगोरैया विद्यालय हेतु भूमि अप्राप्त रहने के कारण भवन निर्माण नहीं हो सका है ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से उक्त दोनों विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । भूमि प्राप्त होने के पश्चात भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सिकरियारतन के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है । वित्तीय वर्ष 2024-25 में भवन निर्माण कार्य करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है । अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा दो पूरक प्रश्न है । पहला यह है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बेलगोरेया । विद्यालय हेतु भूमि अप्राप्त है के कारण भवन निर्माण नहीं हो रहा है । तो अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय से सीधे एक पूरक प्रश्न है कि ये प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 से ही जा चुका है तो किन कारणों से यह आ रहा है प्रतिवेदन भेजा गया है या मांग की गई है और यह ऑलरेडी प्रतिवेदित है तो क्या सरकार इसको किस तरह से रिजॉल्व करेगी वह हम जानना चाहेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि तीन नवसृजित विद्यालयों के संबंध में इन्होंने प्रश्न पूछा है, हरिहरपुर, बेलगोरेया और सिकरियारतन । हमने कहा है कि हरिहरपुर और बेलगोरेया में अभी जमीन उपलब्ध नहीं है । हम तो माननीय सदस्य से कहेंगे कि ये अपने प्रयास से भी वहां पर सरकार को जमीन उपलब्ध करवा देंगे तो हमलोग वहां पर मकान बनवा देंगे । एक जो सिकरियारतन है वहां पर भूमि उपलब्ध हो गई है वहां पर अगले वित्तीय वर्ष में जो मात्र 1 महीने के बाद से शुरू हो रहा है उसमें हमलोग उसको बनवा देंगे ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारा यह कहना है कि ये दोनों उक्त विद्यालयों के लिए वर्ष 2020-22 में ऑलरेडी प्रतिवेदन जा चुका है केवल सरकार उस पर पहल करके यदि होगा तो वह तुरंत हो जायेगा । जैसा कि यह खंड-3 का नवसृजित मध्य विद्यालय सिकरिया मनियार का सरकार ने ऑलरेडी सकारात्मक उत्तर दे दी है लेकिन ये दोनों विद्यालयों के लिए एक बार सरकार इसको प्रतिवेदित दोबारा करना चाहेगी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य तो नया सुझाव दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये अपना सुझाव अलग से लिखकर दे देंगे तो हमलोग उसकी जांच करवा लेंगे । अगर करने लायक होगा तो हमलोग उसको जरूर करवा देंगे ।

श्री राजेश कुमार : धन्यवाद ।

टर्न-4/यानपति/27.02.2024

तारांकित प्रश्न संख्या-932 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र संख्या-126, महुआ)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-933 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र संख्या-56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-5623, दिनांक-29 अक्टूबर, 2021 एवं पत्रांक-5784, दिनांक-18 सितंबर, 2019 द्वारा बिहार राज्य में कुल 18380 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक डी0ओ0 नंबर- 14/2/2021-सी0डी0, दिनांक-15 नवंबर, 2021 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है ।

रिक्त वार्डों को नजदीकी वार्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र से टैग कर वहां के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है ।

पुनः आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के पत्रांक-1239, दिनांक-19 फरवरी, 2024 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति के लिये सेंटर को भेजा गया, दो साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी हमने क्वेश्चन किया है तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इन्होंने पुनः 19 तारीख को अपने पत्रांक-1239 द्वारा भेजा है केंद्र को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा है । मेरा साफ कहना है महोदय, हमारा क्षेत्र हो या दूसरा क्षेत्र हो आंगनबाड़ी के पोषाहार का मामला, गरीबों के, दलितों के बच्चों से जुड़ा हुआ है और 18 हजार केंद्रों में बच्चे वंचित हैं बल्कि सरकार के मुताबिक.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमान : सरकार के मुताबिक तो 18380 केंद्रों में मैं साफ पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार, चूंकि सुशासन की सरकार है, अच्छा काम कर रही है तो क्या इन 1830 केंद्रों में राज्य सरकार अपने संसाधनों से केंद्र स्थापित करना चाहती है, केंद्र ने नहीं दिया तो ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तार से जवाब दिया है और पहले भी भेजा गया था उसमें क्या कार्रवाई हुई उस संदर्भ में भी माननीय सदस्य को उत्तर में हमने दिया है । माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और जब माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है तो हमने भी पुन: भारत सरकार से अनुरोध किया है और जैसे ही भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होगा, आदेश प्राप्त होगा वैसे ही इसको हम बिहार में लागू कर देंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मामला यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, नदियों ने एक-एक वार्ड को दो हिस्से में बांट दिया है डब्बावारी में वार्ड नंबर-3 में और चंदवार में वार्ड नंबर-10 में, एक वार्ड दोनों तरफ विभाजित है तो गरीबों के बच्चे कहां जायेंगे तो कम से कम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र समझकर वहां पर विशेष कोई उपाय करने का आप इरादा रखते हैं ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, मेरा प्रश्न तो बहुत ही वाजिब है कि अब तो सरकार, सरकार के साथ है और यही बात तो मैंने पहले दिन कहा था कि क्या वे सारे वाजिब जो काम आपने पिछले बजट में उठाया था वह इस बार हो जायेगा, भारत सरकार दे देगी आपको, यह है सवाल, नहीं देगी यह मैं जानता हूं, है ही नहीं पैसा ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों का सवाल है महोदय, राष्ट्रहित का सवाल है और हमने जब भारत सरकार से अनुरोध किया है तो हमें आशान्वित रहना पड़ेगा और जब आशान्वित हैं तो निर्णय भी, निर्देश भी जल्द प्राप्त होगा, ऐसा हम सबको लगता है महोदय और बच्चों के हित में हमको जल्द ही भारत सरकार कुछ निर्देश देगी ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, गरीबों के बच्चे, कुपोषण की वजह से मंदबुद्धि हो रही है उनकी, क्या आप अपने संसाधनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खोलने का इरादा रखते हैं, मैं यह पूछ रहा था । आप विशेष उपाय कीजिए, हम सबसे पिछड़े हैं सीमांचल में ।

तारांकित प्रश्न संख्या-'ख'934 (श्री रामविलास कामत, क्षेत्र संख्या-42, पिपरा)

श्री रामविलास कामत : पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक-627, दिनांक-20.02.2024 द्वारा समाहर्ता सुपौल से पिपरा प्रखंड के पंचायत पथरा उत्तर अंतर्गत ग्राम जोलहनीयाँ के कैलाशपुरी शिव मंदिर एवं मां विषहरा मंदिर प्रांगण में आयोजित होनेवाले पूसी पूर्णिमा मेला, पूसी पूर्णिमा

कैलाशपुरी मेला को राजकीय मेला में सम्मिलित करने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त कोसी प्रमंडल, सहरसा के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत उक्त मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, यह जो मेला है काफी पुराना है और अभी भी इस मेला के अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी हुआ करते हैं और हर साल 10 दिन यह मेला लगता है, काफी बड़ा मेला है, कई मंत्री महोदय भी बराबर वहां सभी कार्यक्रम में जाते भी हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री रामविलास कामत : इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि इसका अगले पूसी पूर्णिमा मेला के पहले इसपर विचार रखती है, उसको सरकारी मेला घोषित करने के लिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम तो हमेशा सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक स्थलों का फिर से पुनर्जागरण का यह वर्ष है महोदय और इसको हमलोग प्राथमिकता में लेंगे । माननीय सदस्य को हमने बता दिया है, रिपोर्ट आते ही इसको प्राथमिकता में लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-935 (श्री विजय कुमार, क्षेत्र संख्या-169, शेखपुरा)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-936 (श्रीमती निशा सिंह, क्षेत्र संख्या-66, प्राणपुर)</u>

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग में ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : ट्रांसफर है, अगली बार आयेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-937 (श्री सिद्धार्थ सौरव, क्षेत्र संख्या-191, बिक्रम)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-938 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र संख्या-93, कुढ़नी)</u>

अध्यक्ष : उत्तर मिल गया है आपको ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह सदस्य का प्रश्न है तो शिक्षा विभाग वर्षवार कोई पैनल तैयार नहीं करती है, यह पैनल जिला कलेक्टर या जिला पदाधिकारी के स्तर पर तैयार किया जाता है और उस पैनल के आधार पर समाहर्ता द्वारा अलग-अलग विभागों को भेजा जाता है और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि एक पैनल से बहाली हुई है जिस पैनल से जो अनुशंसा कलेक्टर के यहां से आई थी उसके

आधार पर हमने बताया है कि 56 परिचारी की नियुक्ति की गई है जो पैनल से कलेक्टर द्वारा अनुशंसा होकर आया था और बाकी चूंकि वहां से नहीं आया है इसलिए नहीं किया और वह जो पैनल तैयार करते हैं वह सिर्फ शिक्षा विभाग के लिये ही नहीं होता है, वह कहीं भी, किसी भी विभाग में जो रिक्तियां उपलब्ध होती हैं उनके विरुद्ध उनका समायोजन किया जाता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो 56 अनुशंसाएं आई थीं उसके आधार पर शिक्षा विभाग ने उसकी नियुक्ति की थी और अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा जानते हैं जिसकी अनुशंसा कलेक्टर से आई है तो देंगे तो उसपर हमलोग जरूर विचार करेंगे ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, दरअसल 2011 में या जो अभ्यर्थियों का, उसमें से कुछ लोगों की नियुक्ति हुई और कुछ लोगों की नियुक्ति नहीं हुई जिससे उनलोगों को काफी परेशानी है और हम पूरक पूछना चाहते हैं सरकार से क्या सरकार जिलाधिकारी को आदेश देकर बचे हुए अभ्यर्थियों को पुनः बहाल करना चाहती है ?

अध्यक्ष : सरकार कह रही है कि जितनी हमें आवश्यकता थी, उतना हमने कर दिया । जब आवश्यकता होगी तो फिर होगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जैसा हमने कहा कि जिला पदाधिकारी जो पैनल बनाते हैं, शिक्षा विभाग से प्रश्न पूछा गया है तो शिक्षा विभाग को जो अनुशंसाएं 11 वाले पैनल से आई थीं उनकी नियुक्ति कर ली गई है और हालांकि नियमानुसार यह पैनल एक साल, दो साल तक के लिए ही वैलिड होता है लेकिन फिर भी जो उस पैनल में हैं और अगर रिक्तियां हैं और वही नियम है, इसीलिए तो हमने माननीय सदस्य से कहा कि अगर उसमें से कोई कलेक्टर अनुशंसा करके शिक्षा विभाग को देगा तो विभाग जरूर विचार करेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-939 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र संख्या-208, सासाराम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-940 (श्री रामविलास कामत, क्षेत्र संख्या-42, पिपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के पंचायत रतौली में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय उत्तर-पश्चिम टोला को मध्य विद्यालय रतौली में शिफ्ट कर संचालित किया जा रहा है । प्राथमिक विद्यालय उत्तर-पश्चिम टोला से मध्य विद्यालय रतौली की दूरी लगभग 03 कि0मी0 है ।

विभाग द्वारा नये विद्यालय भवन निर्माण हेतु जिला को राशि उपलब्ध करा दी गई है । भवन निर्माण हेतु जिला द्वारा निविदा प्रकाशित की गई थी ।

निविदा में मात्र एक निविदादाता द्वारा भाग लेने के कारण पूर्व प्रकाशित निविदा को रद्द करते हुए पुनः दिनांक-30.01.2024 को पुनर्निविदा प्रकाशित की गयी है ।

प्राथमिक विद्यालय उत्तर-पश्चिम टोला का अगले वित्तीय वर्ष-2024-25 में भवन निर्माण कराते हुए विद्यालय को मूल स्थान पर संचालित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, हमारा पूरक है कि सरकार जो अभी जवाब दी है कि प्राथमिक विद्यालय उत्तर-पश्चिम टोला को अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भवन निर्माण के बाद मूल स्थान पर संचालित करेगी, महोदय मेरा यह कहना है कि नवसृजित विद्यालय जितने भी राज्य में खोले गये थे उसमें 2016 के बाद.....

(क्रमशः)

टर्न-5/अंजली/27.02.2024

श्री रामविलास कामत (क्रमशः) : अधिकांश विद्यालयों को बगल के विद्यालय में टैग कर दिया गया है जबकि 5 वर्षों में हमने देखा है...

अध्यक्ष : क्या चाहते हैं ? पूरक क्या है आपका ?

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, पूरक यही है कि सुपौल जिला में 389 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो हैं दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया है और वर्तमान समय में विभाग के द्वारा और विधायक और सांसद मद से भी कई विद्यालयों में भवन बना दिया गया है, सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं लेकिन विद्यालय को पूर्व के स्थान पर संचालित करने का आदेश सरकार...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा सुनिये । आपका प्रश्न बड़ा पर्टिकुलर है, सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के पंचायत रतौली में पर्टिकुलर एक विद्यालय के बारे में है, उसका जवाब सरकार ने दिया है, उससे संबंधित कोई पूरक है तो पूछिये ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं नवसृजित विद्यालय है दूसरे विद्यालय में टैग है और उसको पुनः अपने स्थान पर संचालित करने का आदेश सरकार दे रही है ?

अध्यक्ष : आप बैठिये । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो अपने मूल उत्तर में ही कहा है, हमने बात कही है कि वहां भूमि नहीं थी इसलिए उसमें टैग कर दिया गया । स्वाभाविक रूप से नवसृजित विद्यालय था तो उसमें भूमि उपलब्ध नहीं थी । हमने यह भी कहा है कि अब भूमि उपलब्ध हो गई है, भवन बनाने की निविदा भी जारी की गई थी

लेकिन एक बार चूंकि एक ही टेंडर डाला गया इसलिए वह कैंसिल हो गया है, अब फिर हमलोग कर रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग निर्माण करा देंगे तब यह विद्यालय उससे अलग होकर अपनी जगह पर चलेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रामविलास कामत : महोदय...

अध्यक्ष : हो तो गया ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, हम सिर्फ एक बात की जानकारी चाहते हैं कि यह जो नवसृजित विद्यालय है जिसको दूसरे विद्यालय में जोड़ दिया गया है आज पुराने जगह पर जहां पर नवसृजित विद्यालय सृजित किया गया था वहां पर सभी सुविधा होने के बावजूद भी सरकार टैग को हटाकर के अपने स्थान पर उस विद्यालय को भेजना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : सरकार कह तो रही है कि वर्ष 2024-25 में कर देगी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य एक बात जो कह रहे हैं, जो अभी नई बात की चर्चा उन्होंने की है जिसकी चर्चा इन्होंने प्रश्न में नहीं किया था कि जहां से शिफ्ट किया गया है वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसा कि हमने सुना, ये कह रहे हैं । अगर ये लिखकर दे दें कि वहां भी भवन-भूमि सब उपलब्ध है तो स्वाभाविक रूप से उसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए था । हमें जो सूचना है वहां भूमि नहीं थी और कहीं दूसरी जगह चल रहा था इसलिए दूसरे विद्यालय से जोड़ा गया है और हमने यह भी कहा है कि अब वहां भूमि उपलब्ध है, भवन बनाने की निविदा भी प्रकाशित की गई थी लेकिन वह निविदा सफल नहीं हो पाई । हम फिर से निविदा करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण करा देंगे और फिर विद्यालय उस जगह चलने लगेगा लेकिन अगर जो माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं कि पुराने वाले जगह पर सारी सुविधाएं यानी भूमि, भवन अगर सब मौजूद है तो वह अलग से दे देंगे हम जांच करा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रामविलास कामत : महोदय...

अध्यक्ष : हो तो गया ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, हमारी मंशा सिर्फ एक है कि यह जो नवसृजित विद्यालय खोला गया है पूरे राज्य में, हमारे सुपौल जिले में 389 नवसृजित विद्यालय हैं ।

अध्यक्ष : पूरे जिले का नहीं हो सकता है अभी । आपका एक विद्यालय का प्रश्न है उसी पर आइए । अलग से करिए उसके लिए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, उसमें इसके पूर्व के सत्र में हमने कई विद्यायल के बारे में प्रश्न डाला है ।

अध्यक्ष : उसके लिए अलग से प्रश्न कीजिए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा सुन तो लीजिए न । इसके बारे में मंत्री जी ने जवाब दिया है। इसके अलावा और भी विद्यालय के बारे में बात करनी है तो अलग से मंत्री जी से बात कर लीजिए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, इससे पहले के सत्र में हमने प्रश्न डाला था उसका जवाब आया है कि सरकार के स्तर पर जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक उसको टैग से हटाकर के अपने स्थान पर विद्यालय चालू नहीं होगा, इस तरह का जवाब शिक्षा विभाग से मिला है ।

अध्यक्ष : आपके इस प्रश्न का जवाब तो दे रहे हैं कि 2024-25 में कर देंगे, टेंडर भी कर दिया है यह भी कह रहे हैं । अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है ?

श्री रामविलास कामत : विभाग के स्तर पर निर्णय लेने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए । अलग से बात कर लीजिएगा ।

माननीय सदस्य श्री राजवंशी महतो ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-941 (श्री राजवंशी महतो, क्षेत्र सं0-141, चेरिया बरियारपुर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री गुंजेश्वर साह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-942 (श्री गुंजेश्वर साह, क्षेत्र सं0-77, महिषी)</u>

श्री गुंजेश्वर साह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । श्री गुंजेश्वर साह जी का उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि महिषी विधान सभा अंतर्गत प्रखंड महिषी नौहट्टा एवं सत्तरकटैया मध्य विद्यालयों, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कुल 19 विद्यालयों में आई0सी0टी0 लैब अधिष्ठापित करवाया गया है ।

2 एवं 3. वस्तुस्थिति यह है कि विभाग के प्रावधानानुसार आई0सी0टी0 लैब अधिष्ठापन हेतु अधिकृत एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जाता है और सामान्य रूप से विभागीय अनुश्रवण किया जाता है कि योग्य शिक्षक ही रहें और क्लास भी नियमित हो । अगर कोई माननीय सदस्य विशेष जगह की शिकायत देंगे तो उसकी अलग से हम जांच करा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या है जिस काम के लिए कंप्यूटर हरेक स्कूल में दिया गया है उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, इंस्ट्रक्टर जो रखा है वह अयोग्य रखा है और जो लैब सप्लाई किया है वह भी मापदंड के अनुकूल नहीं है वह भी गड़बड़ है और पढ़ाई भी नहीं हो रही है तो दिखाने के लिए कम्प्यूटर, एक रूम को घेर कर रखे हुए है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा है कि जो विभाग को सूचना है कि सब जगह जहां भी, हमने कहा कि सब जगह दिया भी नहीं गया है । जिन इलाकों की चर्चा इन्होंने की है उसमें 19 विद्यालयों में दिया गया है और जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से एजेंसी ने इंस्ट्रक्टर दिया है और पढ़ाई चल रही है और अगर ये कह रहे हैं नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से हम इसकी अलग से जांच करा देंगे ।

अध्यक्ष : श्री गुंजेश्वर साह । अगला प्रश्न भी आपका है ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, वहां जो कंप्यूटर सप्लाई हुआ है वह मानक के अनुरूप नहीं है, क्या सरकार जांच कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है उसको दिखवा लेते हैं, आप जो कह रहे हैं । अब दूसरा प्रश्न आपका श्री गुंजेश्वर साह ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : नहीं-नहीं महोदय, इसके अलावा भी अगर किसी विद्यालय विशेष में अयोग्य जो इंस्ट्रक्टर हैं उनकी बात है या कोई आधारभूत संरचना के बारे में शिकायत है तो वह अलग से भी लिखकर दे दें हम उसकी भी जांच करा देंगे ।

श्री गुंजेश्वर साह : कंप्यूटर ही मानक के अनुकूल नहीं है ।

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए एक बार, तुरंत दिखा देंगे उसको ।

श्री गुंजेश्वर साह : ठीक है ।

अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आपका ही है श्री गुंजेश्वर साह जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-943 (श्री गुंजेश्वर साह, क्षेत्र सं0-77, महिषी)</u>

श्री गुंजेश्वर साह : महोदय, इसका भी जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । इनका ही सेकेंड क्वेश्चन भी है ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सरकार तो वही है, जवाब भी सरकार दे रही है आपके समझने में फर्क आ गया है । आप कोई पहली बार थोड़े ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । ललित जी बैठिये ।

(व्यवधान)

गुस्सा में नहीं बोलते हैं । मुस्कुरा के बोलिए न । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये-सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, खंड-1, 2 और 3. वस्तुस्थिति यह है कि कक्षा-1 से 8वीं में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं एवं कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत पात्र छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु दी जाने वाली राशि को आदेश ज्ञापांक-285, दिनांक-04.06.2018 में वृद्धि की गई है महोदय, जो वर्ग 1, 2, 3 से 5 तक के लिए है । पहले 400 रुपया प्रति बालक दिया जाता था उसे अब 600 रुपया कर दिया गया है जो 500 रुपया पहले प्रति बालिका दिया जाता था उसको अब 700 रुपया कर दिया गया है । वर्ग से 6 से 8 के लिए जो पहले 700 रुपया दिया जाता है वह अब 1000 रुपया कर दिया गया है । 9 से 12 तक के लिए जो एक 1000 रुपया दिया जाता था उसको 1500 रुपया कर दिया गया है और इसी प्रकार कक्षा 9वीं कक्षा में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं को साइकिल क्रय हेतु पूर्व में स्वीकृत दर रुपये 2000 में संकल्प संख्या-562, दिनांक-12.10.2018 द्वारा वृद्धि करके 3000 रुपया कर दिया गया है । वर्तमान में राशि बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, जो 1 से 5 के बच्चे या 5 से 10 में, गरीब बच्चे बहुत हैं इसमें, हम समझते हैं कि 80 परसेंट गांव घर में गरीब के बच्चे ही उसमें पढ़ते हैं और हर चीज का दाम बढ़ गया है, जैकेट का, स्वेटर का, जूता का आदि यह 400-600 रुपया में संभव नहीं है और जब वह बच्चे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वे तो अपने बच्चों को अपना पैसा देकर पूरा देते हैं जो गरीब है वह अपने बच्चे को कहां से पूरा करेगा । इससे होता है क्या जब वह ड्रेस पहनकर वे भी आते हैं, ये बच्चे जाते हैं तो समानता नहीं रहती है ।

टर्न-6/आजाद/27.02.2024

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पूरक ।

श्री गुंजेश्वर साह : पूरक यही है कि बच्चों के ड्रेस में और अन्य सभी में उसका मानदेय बढ़ाया जाय, इसमें राशि बढ़ायी जाय ।

अध्यक्ष : सरकार ने तो अभी कहा है कि राशि बढ़ायी गयी है ।

श्री गुंजेश्वर साह : जी-जी, लेकिन उससे नहीं हो रहा है । इसमें राशि की बढ़ोत्तरी की जाय । बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर के राशि बढ़ायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप कह रहे हैं कि बढ़ा दिया जाय और हम कह रहे हैं कि बढ़ा दिया गया ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : ललित जी, ...

अध्यक्ष : ललित जी, बैठ जाईए, बिना अनुमति के नहीं बोल सकते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अलग-अलग श्रेणी के लिए कितना बढ़ाया गया है, वह भी हम फिर से बता देते हैं । एक से दो, यानी कक्षा पहली और दूसरी, इसमें पढ़ने वाले जो बालक थे, जिनके लिए हमलोग 400 रू0 दे रहे थे, उसको बढ़ाकर के हमने 600 रू0 कर दिया है, जो बालक-बालिका 3 से 5 जो दोनों पर समान रूप से लागू होता है, मतलब 1 से 5 तक, जो बालिका को हमलोग पहले 500 रू0 पोशाक के लिए देते थे, अब 700 रू0 देते हैं और महोदय, वर्ग-6 से 8 तक के लिए जो हम पहले से पोशाक की राशि 700 रू0 थी, उसको हमलोगों ने 1000 रू0 कर दिया है और 9 से 12 के लिए जो पहले एक हजार रू0 दे रहे थे, उसको हमलोगों ने 1500 रू0 कर दिया है और जो साईकिल के लिए राशि हमलोग पहले 2000 रू0 देते थे और अब 3000 रू0 देते हैं । वही तो आप कह रहे थे कि बढ़ा दीजिए और हम कह रहे हैं कि बढ़ा दिया ।

तारांकित प्रश्न सं0-944(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221,नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में एक मध्य विद्यालय के उत्क्रमण हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में कुल 842 विद्यालयों की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, जिसके भवन निर्माण हेतु राशि रू0 58.12 लाख प्रति विद्यालय थी । स्वीकृत विद्यालयों में नवम् एवं दसम् वर्ग की पढ़ाई के लिए भवन का निर्माण होना था, जिसका कुल ब्लिडअप एरिया 5340 वर्ग फिट (जी प्लस वन) था ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 265 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 58.12 लाख को नये दर पर पुनरीक्षित कर रू0 73.4 लाख के दर से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्तमान में सभी माध्यमिक विद्यालयों को सैद्धांतिक तौर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमण किया गया है ।

उक्त परिस्थिति में दसवीं स्तर के स्थान पर बारहवीं स्तर तक भवन का निर्माण हेतु (जी प्लस वन) नक्शा तैयार कराया गया, जिसकी कुल ब्लिडअप एरिया 10112.14 वर्ग फिट है तथा नये दर पर प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसकी कुल राशि प्रति विद्यालय रू0 150 लाख थी । उक्त 265 विद्यालय भवनों में से 144 विद्यालय भवनों (दसवीं स्तर तक 41 विद्यालय एवं बारहवीं स्तर तक का 103 विद्यालय) का कार्य निगम द्वारा कराया जा रहा था ।

शेष 121 विद्यालयों में बारहवीं स्तर तक के विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 150 लाख की दर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया है । मेरा स्पेशीफिक इस क्वेश्चन में मेंशन है कि 183 करोड़ रू0 अधिक निकासी की गयी है और उस निकासी से जो भी उचित पदाधिकारी थे, उनसे कोई भी स्वीकृति नहीं ली गयी । सरकार इसका जवाब सही ढंग से नहीं दे रही है ......

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, पूरक यही है कि इसमें जो राशि का गबन हुआ है, जो निकाली गई है, क्या इसकी जॉंच कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो उत्तर में बताया है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसको मैंने कहां गलत कहा है । राशि बढ़ायी गयी है, हम कह रहे हैं । पहले जो राशि 58.12 लाख रू0 प्रति यूनिट था, उसको हमलोगों ने बढ़ाकर के 73.4 लाख रू0 किया है और वहां जो जी प्लस वन का निर्माण होना था, उसका ब्लिडअप एरिया कम था, उसको हमलोगों ने अब बढ़ाया है । जो पहले जितने दूर में भवन बनने थे, उसको आकार बढ़ा है, इसलिए भी उसकी राशि पुनरीक्षित हुई है और जो पुनरीक्षित किया गया है, उसके लिए विधिवत तरीका है, उसका पूरा करने के बाद ही बढ़ाया गया है । इसमें जो दो-तीन स्टेज में बढ़ाया गया है, उसमें कहीं माननीय सदस्य को शक है कि इसमें प्रक्रिया नहीं फोलो की गई है तो आप हमको

अलग से बता दीजिए, हम इसको देखवा लेंगे । सरकार इसको क्यों छिपाना चाहेगी, हम तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने बढ़ाया है ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, देखने का विषय यह है कि एक साल के अन्दर में 4 बार, एक बार नहीं 4 बार इसका रिविजन हुआ है । बस इसी चीज को हमलोग चाहते हैं कि इसकी जॉच करा लीजिए और नहीं होता है तो विधान सभा की समिति से इसकी जॉच करा लीजिए ।

अध्यक्ष : सरकार जब खुद स्वीकार कर रही है कि हां बढ़ाया है तो समस्या क्या है ? एक साथ दो आदमी नहीं बोलिए । बैठिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने कहा कि बढ़ा है और हम तो साल बता रहे हैं कि कब-कब बढ़ा है । एक साल में नहीं बढ़ा है, आप कह रहे हैं अगर एक साल में तीन बार बढ़ा है, वह कागज दे दीजिए तो जरूर हम जॉच करके कार्रवाई करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-945(श्री बागी कुमार वर्मा, क्षेत्र सं0-215,कुर्था)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-946(श्री मनोहर प्रसाद सिंह,क्षेत्र सं0-67,मनिहारी(अ0ज0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत फुलहारा पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, फुलहारा का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा से जॉच कराया गया । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में विद्यालय में कुल 957 छात्र/छात्रा नामांकित है तथा कुल 23 शिक्षक/शिक्षिका पदस्थापित है । विद्यालय में कुल 06 कमरा तथा एक प्रयोगशाला भवन उपलब्ध है। प्रयोगशाला भवन में प्लाई से घेरा लगाकर चार भागों में बॉटकर 04 वर्गकक्ष का संचालन किया जा रहा है । इस तरह 10 कमरों में वर्गकक्ष का संचालन किया जा रहा है । बच्चों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए 03 अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण कराये जाने हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है । निविदा पूर्ण होने के बाद भवन निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, इसमें तीन कमरे के निर्माण के बारे में कहा गया है, लेकिन शौचालय के बारे में नहीं कहा गया है, क्या इसमें सरकार शौचालय भी बनवाना चाहती है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, तीन कमरा तो माननीय सदस्य ने अतिरिक्त कमरों की बात की थी, तीन कमरा बनवा रहे हैं और शौचालय भी इसमें बनवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, बन रहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-947(श्री कुमार शैलेन्द्र,क्षेत्र सं0-152,बिहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि उच्च विद्यालय, झंडापुर में चहारदीवारी उपलब्ध है । विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या-671 एवं औसत उपस्थिति 70 प्रतिशत है । विद्यालयों में कमरों की संख्या 20 एवं शिक्षकों की संख्या-28 है । विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बेंच-डेस्क की आपूर्ति हेतु चिन्हित एजेंसी को आदेश निर्गत किया गया है । एक महीने में विद्यालय को बेंच-डेस्क उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत ही सकारात्मक है । लेकिन लगता है कि विभाग को कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय एक ही जगह है और बेंच-डेस्क के लिए कहा है कि एक महीना में हम दे देंगे तो एक बार केवल चहारदीवारी का जॉच करा लेंगे, हम धन्यवाद देते हैं कि सर ने कहा है कि एक महीना में बेंच-डेस्क दे देंगे । केवल चहारदीवारी की जॉच करा लेंगे चूँकि मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय एक ही जगह है । मध्य विद्यालय में चहारदीवारी बना हुआ है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, विभाग को सूचना आयी है, उसके हिसाब से झंडापुर के विद्यालय में चहारदीवारी उपलब्ध है जैसा कि हमने कहा है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चहारदीवारी नहीं है तो निश्चित रूप से हम जॉच कराकर के अगर चहारदीवारी नहीं होगा तो हम उसको भी बनवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-948(श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र सं0-47,रानीगंज(अ0जा0)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-949(श्री राम विशुन सिंह,क्षेत्र सं0-197,जगदीशपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

भोजपुर जिला अन्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के स्वारथ साहू उच्च विद्यालय, जगदीशपुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-80, दिनांक 17.02.2009 द्वारा दी जा चुकी है ।

2. उत्तर खंड-1 में सन्निहित है ।

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, हमने पूछा है कि जगदीशपुर अनुमंडल के जगदीशपुर प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है । सरकार का पहला जवाब आया है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है, वह भी नहीं हुआ है । इसमें दूसरा जवाब आया है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के स्वारथ साहू उच्च विद्यालय, जगदीशपुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-80, दिनांक 17.02.2009 द्वारा दिया गया है । लेकिन सर, स्टेडियम बना नहीं है ।

अध्यक्ष : क्या है, प्रश्न क्या है आपका ?

श्री राम विशुन सिंह : स्टेडियम बनाने का जगदीशपुर प्रखंड में । जगदीशपुर अनुमंडल के जगदीशपुर प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए न, प्रश्न आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, हमने यही कहा है कि जवाब यह आया है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण करने का लक्ष्य है, वह भी नहीं बना है और दूसरा है जगदीशपुर प्रखंड के स्वारथ साहू .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खेल विभाग । इनका कहना है कि कब बनाईयेगा, यह न आप जानना चाहते हैं ?

श्री राम विशुन सिंह : यह जो आदेश हुआ है, वह भी स्टेडियम स्वारथ साहू उच्च विद्यालय में नहीं बना है ।

अध्यक्ष : बैठिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हमलोगों को उपलब्ध है, उसके आधार पर स्वारथ साहू उच्च विद्यालय, जगदीशपुर में 2009 में ही कार्य पूरा कर लिया गया और इसमें 28,58,200/-रू0 खर्चा हुआ, प्राक्कलित राशि 33,21,700/- रू0 था, इसमें फुटबॉल खेलने के लिए पूरे मैदान का उपयोग किया जा सकता है । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसकी जॉंच हो जाय तो जरूर इसपर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 फरवरी, 2024 के लिए माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, मतदान, सरकार का उत्तर तथा बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अत शून्य-काल लिये जायेंगे ।

टर्न-7/शंभु/27.02.24

शून्यकाल की सूचनाएं

श्री कृष्णनन्दन पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सदर अनुमंडल के 6 प्रखंडों के लिए जुलाई, 2023 से अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन सहायक आपूर्ति पदाधिकारी सदर खाद्यान्न माफिया से मिलीभगत करके केवल मोतिहारी प्रखंड में उठाव कराकर प्रतिमाह कालाबाजारी कराते हैं । इसकी जॉच कराकर दोषी को दंडित करने एवं प्रत्येक प्रखंड में खाद्यान्न आवंटन करने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला के मंझौलिया प्रखंड के अन्तर्गत हरगुन उच्च विद्यालय सरिसवा जिला मुख्यालय से 20 कि0मी0 दूर है । इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी होती है । अत: हरगुन उच्च विद्यालय से सरिसवा को डिग्री कॉलेज बनाने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री महानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसान सलाहकारों को टोला सेवक एवं विकास मित्र को मिलनेवाले मानदेय 26 हजार रूपये करने एवं उन्हें जनसेवक के पद पर समायोजन करने की मांग करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, डुमरांव नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड सं0-16 के महरौरा गांव में बड़ी संख्या में दलितों गरीबों की आबादी है । आजादी के बाद से आज तक किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है । सभी गरीबों को शीघ्र आवास योजना का लाभ देने की मांग करता हूँ ।

श्री छत्रपति यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया विधान सभा के मोरकाही थाना खगड़िया सदर पुलिस सर्किल में आता है । विहित हो कि पुलिस विभाग द्वारा

मोरकाही थाना को प्रस्तावित अलौली पुलिस अनुमंडल में स्थानान्तरण की प्रक्रिया को स्थगित करते हुए मोरकाही थाना को खगड़िया सदर पुलिस सर्किल में पूर्ववत् रखने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

डा0 निक्की हेम्ब्रम : महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड में लीलावरण से बाघमारी के जोर में पुल निर्माण होने से अनेकों गांव संपर्क पथ से जुड़ेंगे । अत: सरकार से उक्त जोर पर पुल निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत कोठिया पंचायत के वाजितपुर से सिरहुल्ली जानेवाले रास्ते में अधवारा समूह के बागमती नदी के उपर एक पुल की आवश्यकता है । वह पुल दरभंगा एवं मधुबनी जिला को जोड़ने के साथ-साथ दोनों जिले के चार प्रखंडों को भी जोड़ने का काम करेगा ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत बगहा नगर परिषद् के कालीघाट से पुअर हाऊस तक पक्की बांध का निर्माण कराया जाय । इस बांध का निर्माण हो जाने से गंडक नदी से हो रही भूमि कटाव से नगर परिषद् सह अनुमंडल पुलिस जिला बगहा का बाढ़ से बचाव हो सकेगा । अत: कालीघाट से पुअर हाऊस तक पक्का बांध बनवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, कटिहार के बदले प्राणपुर में निर्मित बी0एफ0एस0सी0 गोदाम को पूर्व की भांति सभी डीलरों को अनाज दिया जाय । जिससे डीलरों के साथ-साथ सभी क्षेत्र वासियों को भी सुविधा दिलाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, कटिहार जिला अन्तर्गत फलका प्रखंड पोठिया बाजार में एस0एच0-77 के दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य पथ निर्माण विभाग ने कराया था जो जर्जर स्थिति में है । अत: जनहित में शीघ्र नाला का निर्माण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, रोहतास जिला अन्तर्गत काराकाट थाना कांड सं0-76/24 सुकहरा निवासी पत्रकार अशोक कुमार सिंह के उपर जानलेवा हमला में नामजद अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूँ ।

श्री ललन कुमार : महोदय, गांव में रहनेवाली 75 प्रतिशत आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है जो कि अन्याय है । ग्रामीण बच्चों को भी शहरों एवं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके इसे सरकार सुनिश्चित करे तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण पर पूर्णत: प्रतिबंध लगावे ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत सिसौटिया से पिपरा विशनपुर एवं परवाहा से बबुरवन ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है जो बहुत ही

जर्जर है । आम जनता का प्रखंड एवं जिला मुख्यालय जाने में कठिनाई होती है । अत: सिसौटिया से पिपरा विशनपुर एवं परवाहा से बबुरवन सड़क को अविलंब बनवाने की सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, जयनगर शहीद चौक के पास एन0एच0-105 रेल गुमटी पर ओवरब्रिज आर0ओ0बी0 का निर्माण बिहार सरकार अपने संसाधन से करायेगी, की घोषणा तीन वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आम सभा में की गयी थी । उक्त आर0ओ0बी0 के शीघ्र निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, जिला पूर्णिया अन्तर्गत अमौर प्रखंड गेरिया टू मनवारे टू रहरिया धट्टा टोला जानेवाली सड़क का प्राक्कलन विभागीय उदासीनता से कारण पिछले दो वर्षों से उलझा पड़ा है । अत: मैं उक्त सड़क के निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किये गये सभी रात्रि प्रहरियों को 10 हजार रूपया मानदेय सुरक्षा किट उपलब्ध कराते हुए 60 वर्ष की सेवा नियमित करने तथा विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से कार्य कराने पर रोक लगाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, वैशाली जिला में मेरे विधान सभा क्षेत्र राजापाकर अन्तर्गत पंचायतीराज विभाग के तहत कचरा उठाव हेतु खरीदी गयी ठेला गाड़ी विभिन्न प्रकार के डब्बों में हुई भारी अनियमितता एवं घपले घोटले की जॉच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग सरकार से करती हूँ ।

श्री जयप्रकाश यादव : महोदय, अररिया जिला अन्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के पथराहा पंचायत में इन्डो नेपाल रोड से पासवान टोला जानेवाली सड़क के पक्कीकरण निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड मैनारोड के मैनारोड पुरैनिया, बगहा-2 के लक्ष्मीपुर एम्पुरवा, गौनाहा के बनबैरिया, बेतिया के शेखौना मठ, चनपटिया के कुरवा मठिया जैसे सैकड़ों गांवों के गरीबों को न्यायालय के फैसले के बाद भी भू-हदबन्दी से अधिशेष जमीन नहीं मिल सकी है । उसकी बिक्री पर रोक एवं वितरण हो ।

श्री विरेन्द्र कुमार : महोदय, रोसरा विधान सभा अन्तर्गत करेह नदी के शंकरपुर घाट पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड अन्तर्गत बहादुरपुर पटोरी पंचायत के सुखाडेरा से डिप्टी साहब के डेरा तक लगभग 4 कि0मी0 लंबी सड़क जर्जर

अवस्था में है जिसके कारण राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अत: जनहित में शीघ्र सड़क निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, योगापट्टी स्थित मिश्रौली के जर्जर पुल के टूटी रेलिंग की सुधि नहीं, दो की हो चुकी मौत 12 घायल । न तकरार की है न प्यार की है......

अध्यक्ष : जो लिखा है वही पढ़िये ।

श्री विनय बिहारी : जो लिखा है वही बोल रहा हूँ ।

अध्यक्ष : वही बोल नहीं रहे थे, आप बोलिये अब ।

श्री विनय बिहारी : योगापट्टी स्थित मिश्रौली के जर्जर पुल व टूटी रेलिंग की सुधि नहीं, दो की हो चुकी मौत 12 घायल, न तकरार की है न प्यार की है यह खबर अखबार की है । मंगलपुर वितरणी और उप वितरणी के दर्जनों पुल क्षतिग्रस्त हैं मैं निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, पूर्णिया विधान सभा अन्तर्गत पूर्णिया शहर में 2 हजार से ज्यादा दलित परिवार भूमिहीन है । सरकार द्वारा भूमिहीन परिवार को जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन्हें आवास योजना से वंचित रखा गया है । अत: मैं सरकार से पूर्णिया के हजारों भूमिहीन दलित परिवार को भूमि उपलब्ध कराकर आवास योजना में शामिल करने की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/पुलकित/27.02.2024

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में ऊर्जा के सतत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु एजेंसी के माध्यम से मानवबल की नियुक्ति विभाग ने की है ।

मानवबल के ईमानदार प्रयास से राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन एजेंसी इनका शोषण करती है ।

अत: मानवबल के सीधे खाते में वेतन भुगतान की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कल उनकी बेटी की शादी थी, उसके बाद भी सदन में आये हैं, इस पर आपको बधाई देनी चाहिए ।

माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 7000 चिमनी ईंट-भट्ठे हैं, जिनसे 70 लाख लोगों की रोजी-रोटी चलती है । सरकारी निर्माण कार्यों में लाल ईंट्टों का प्रयोग बंद होने से यहां काम करने वालों के सामने भुखमरी पैदा हो रही है । सभी सरकारी निर्माण कार्यों में लाल-ईंटों के प्रयोग की मांग करता हूँ ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखण्ड के ब्रह्मपुर निवासी श्री चतुर्भुज साह के 11 वर्षीय पुत्र श्री घनश्याम कुमार साह दिनांक- 12.12.2021 को दरभंगा से अभी तक गायब है ।

कोतवाली ओपी दरभंगा में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर श्री घनश्याम कुमार साह को सकुशल बरामदगी करावें ।

(व्यवधान)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज क्षेत्र की नहरों में सिल्ट एवं गाद जमाव के कारण कृषि पटवन हेतु बारहमास किसानों को पानी नहीं मिलने से किसानों को खेती करने में काफी कठिनाई होती है ।

मैं सदन के माध्यम सरकार से शीघ्र अति शीघ्र नहरों की उड़ाही करने की मांग करती हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान एवं पैक्स की सुविधा हेतु बिहार के सभी प्रखंडों में सहकारी बैंक की स्थापना करने की सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी । माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन जी की सूचना पढ़ी गयी है ।

(व्यवधान)

आपकी सूचना अमान्य इसलिए की गयी है क्योंकि आपकी सूचना में 50 से अधिक शब्द थे । मैंने बार-बार विधान सभा में कहा है, जो भी आप सूचना बनाते हैं वह 50 शब्द के अंदर ही होनी चाहिए । आपकी सूचना में अधिक शब्द थे इसलिए आपकी सूचना को अमान्य किया गया ।

(व्यवधान)

आपकी सूचना पहले ही ध्यानाकर्षण और प्रश्न में आ चुकी है इसलिए आपकी सूचना को अमान्य किया गया है । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आप दोनों की सूचनाएं मेरे ध्यान में है । आपकी सूचना छूटी नहीं है । भविष्य में ध्यान रखियेगा । मैंने कई बार माननीय सदस्यों को कहा है कि शून्यकाल की सूचना में 50 शब्दों की ही बाध्यता है इसलिए आगे से ध्यान रखियेगा ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री आलोक रंजन, श्री कुमार शैलेन्द्र एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मामले में माननीय सदस्यगण के द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में रोगी कल्याण समिति में स्थानीय विधायक के प्रतिनिधित्व देने के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा हेतु समय की आवश्यकता है । महोदय, समीक्षा के उपरांत जो भी उचित होगा, इसमें निर्णय लिया जाएगा ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि समय की आवश्यकता है । लेकिन महोदय, आप जानते हैं कि जनता को सबसे अधिक अपेक्षा विधायक से रहती है । महोदय, विधायक को ही इस समिति से निकाल दिया गया है, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ेगा । महोदय, हम यह चाहते हैं कि मंत्री जी कब तक इसकी समीक्षा करके जवाब दे देंगे और उस समिति में विधायक को जोड़ देंगे?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है इसलिए बैठ जाइए ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने समय कहा है ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय विधायक सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है, यह काफी अहम मुद्दा है और इसमें नगर परिषद्, नगर निकाय के शासी सदस्य भी और जिला परिषद् के शासी सदस्य भी इसमें रहते हैं । इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है वह जायज है और विचारोपरांत इस पर अवश्य कार्रवाई की जायेगी ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, चलते सत्र में कर दें ।

अध्यक्ष : सरकार कह रही है कि विचार करेंगे । आपने कोई प्रस्ताव दिया, सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गयी है, इसलिए निर्णय का इंतजार कीजिए ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, इसी चलते सत्र में कर दें ।

अध्यक्ष : निर्णय का इंतजार कीजिए । अब हो गया, बैठिये ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अजय कुमार, श्री महा नंद सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड का पद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पद है । उक्त पदों पर वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन सीधे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के संकल्प दिनांक-25.01.2010 की कंडिका 4(6) के तहत कार्यकारी व्यवस्था के तहत किया गया है ।

वर्तमान समय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड के 100 पदाधिकारी उपलब्ध हैं ।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग में वापस लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर नव प्रोन्नत पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें मूल प्रश्न इतना ही है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर जो अंचल अधिकारी प्रोन्नत होकर उस श्रेणी में गये हैं उनके पदस्थापन की बात है । अभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता जो हैं उनकी सारी जगह प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से भरी हुई है । अभी चूंकि चुनाव आयोग के अधीन मामला चला गया है, उन सारी चीजों को और अभी पीछे भी जो पद भरे गये थे, निर्वाचन आयोग के निदेश पर जो पद थे, भर दिये गये हैं ।

अब जैसे ही चुनाव आयोग का यह प्रतिबंध खत्म होता है जैसे-जैसे जो रिक्तियां होंगी, डी0सी0एल0आर0 यानी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता जो प्रोन्नत हैं अंचल अधिकारी से अब सरकार उन्हीं का पदस्थापन करेगी ।

अध्यक्ष : हो गया, आप जो चाह रहे थे हो गया ।

श्री अजय कुमार : सर, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, आप जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन । क्या इन लोगों को, आपका अपना संकल्प जो पुराना है उसमें है कि जब तक अन्य विभाग के संवर्गों में प्रोन्नति हेतु चिन्हित पदों पर उस संवर्ग के निम्नतर ग्रेड के कार्यरत अधिकारी निर्धारित कालावधि पूर्ण कर प्रोन्नत नहीं हो जाते, तब तक उन सेवाओं के पद पर पूर्व की भांति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी औपबंधिक रूप से पदस्थापित किये जाते रहेंगे । लेकिन जब आपके पास पदाधिकारी ऑलरेडी

उस संवर्ग के हैं, तो सिर्फ इतना कहना है कि तब तो आप तात्कालिक तौर पर कार्यकारी व्यवस्था किये थे, अभी तो इलेक्शन कमीशन आपको कोई रोक नहीं दिया है । आचार संहिता अभी लागू नहीं हो गयी है, आप तो कर सकते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी चुनाव आयोग का यह प्रतिबंध आ चुका है, दोनों तरह का । जो तीन साल से अधिक हैं उनको स्थानांतरित कर दीजिए और तीन साल से कम वाले को भी हमारी अनुमति से आप करिये । यह प्रतिबंध आ चुका है और हमने तो कहा कि हमने प्रोन्नति भी मुख्यमंत्री जी के विशेष निदेश पर जो प्रोन्नतियां अलग-अलग संवर्गों की रूकी हुई थी उनको अभी अभियान चलाकर सभी अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है । महोदय, ये प्रोन्नत हुए हैं और स्वाभाविक रूप से ये जो अंचल अधिकारी से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बने हैं, सरकार की भी नीति है कि हमलोग इन्हीं को देंगे । लेकिन जो सर्कुलर का आप पढ़ रहे थे कि नियमित नियुक्तियां होने तक या नियमित प्रोन्नत पदाधिकारियों की उपलब्धता तक । उसी नीति के तहत पूर्व में जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे उनको दे दिया गया है । अब चूंकि चुनाव आयोग का निदेश है, जैसे ही निदेश खत्म होगा, हमलोग इनको कर देंगे, सरकार भी चाहती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 सुनील कुमार, अपनी सूचना को पढ़ें ।

डॉ0 सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार राजकीयकृत उच्च विद्यालय प्रबंध समिति का गठन एवं संचालन नियमावली-2022 के विपरीत शिक्षा विभाग ने ज्ञापांक-191(गो), दिनांक- 20.07.2023 द्वारा 50 हजार रुपये से 05 लाख रुपये तक विद्यालय के विकास एवं सामग्रियों के क्रय हेतु प्रध्यानाध्यापक / प्रभारी प्रध्यानाध्यापकों को अधिकार दिया है, जो नियमानुकूल नहीं है । उक्त आदेश के कारण प्रबंध समिति की अनुमति के बिना उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ (नालन्दा) के प्रभारी प्रध्यानाध्यापक द्वारा विकास कोष की जमा राशि निकालकर बंदरबांट किया जा रहा है । इसी तरह पूरे राज्य के उच्च विद्यालय के प्रध्यानाध्यापकों / प्रभारी प्रध्यानाध्यापकों द्वारा विकास कोष की राशि निकालकर बंदरबांट किया जा रहा है ।

शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-191 (गो), दिनांक- 20.07.2022 द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देश बिहार अराजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1961 एवं नियमावली, 2022 के विपरीत है ।

अत: विभाग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देश को तत्काल रद्‌द करते हुए राज्य के सभी उच्च विद्यालयों में हो रहे विकास कोष की राशि की बंदरबांट को रोकने के लिए मुख्यालय से जांच कराने तथा जांचोपरान्त दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

टर्न-9/अभिनीत/27.02.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर कोई स्पष्ट इसके उल्लंघन की बात आयेगी तो सरकार जरूर जांच करायेगी । वैसे..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले सुना जाय । उत्तर तो सुनिए । शांति-शांति । पहले उत्तर सुनिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : पूरी बात सुनकर बोलते तो अच्छा होता । महोदय, हमने यह कहा है कि ध्यानाकर्षण में जिस नियमावली का जिक्र है 2022 की, 2022 की नियमावली के 16 (क) में यही वर्णित है कि छात्र कोष या विकास कोष राशि का व्यय निर्गत विभागीय पत्र, परिपत्र एवं निदेश के आलोक में किया जायेगा और उसी के तहत जो पहले ढ़ाई लाख की सीमा थी उसको बढ़ाकर अब पांच लाख तक की सीमा की गयी है, इतना ही फर्क आया है लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह गंभीर बात है । सीमा बढ़ाना अलग बात है लेकिन सीमा कोई भी हो, चाहे ढ़ाई लाख तक की ही सीमा थी तो राशि के दुरूपयोग या गबन को सरकार किसी भी हालत में छोड़ना या बख्शना नहीं चाहती है । महोदय, हम तो चाहते थे कि अगर अलग विद्यालय का देते, एक विद्यालय उच्च विद्यालय, बिहार शरीफ, नालंदा का जिक्र इन्होंने कर दिया है । महोदय, हमलोगों को विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट आयी है इसमें उच्च विद्यालय, बिहार शरीफ के नाम से कोई विद्यालय नहीं है । वहां जो विद्यालय हैं एक मुख्यालय में है आदर्श उच्च विद्यालय, दूसरा है बिहार टाउन उच्च विद्यालय, बिहार शरीफ, तीसरा है गवर्नमेंट उच्च विद्यालय राणा बिगहा, बिहार शरीफ, चौथा है उच्च विद्यालय बड़ी पहाड़ी, बिहार शरीफ, फिर अलग है नालंदा कॉलेजियट प्लस टू उच्च विद्यालय, फिर अलग है एस0एस0 बालिका उच्च विद्यालय, इन सब नामों से वहां विद्यालय हैं । महोदय, हम चाहते हैं बल्कि विभाग को अच्छा लगेगा कि जिस भी विद्यालय में, हम सभी माननीय सदस्यों को कहते हैं कि राशि की बंदरबांट की गयी है या करने की सजिश चल

रही है इसकी सूचना दें तुरंत अधिकारियों को निदेश देकर यह नहीं होने देने की व्यवस्था सरकार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनील जी ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अध्यादेश दिनांक- 03.09.2022 जो माध्यमिक और उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति के गठन के लिए जारी किया गया था उसके खंड 16 (ख) का अवलोकन करेंगे तो उसमें उद्धृत है कि विद्यालय के विकास कार्य योजना मद कार्य के लिए प्रबंध समिति स्वीकृति प्रदान करेगी । योजना कार्य को समापन करने हेतु राशि की भी स्वीकृति प्रबंध समिति ही प्रदान करेगी । विकास निधि विद्यालय के प्रधानाध्यापक..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक क्या है ? पूरक आप क्या पूछना चाहते हैं ?

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरक यह है कि जब पहले से प्रावधान था और हम तो अपने क्षेत्र में विकास राशि का बंदरबांट न हो इसके लिए प्रबंध समिति में दो व्यक्तियों को निर्देशित किया गया था कि वही बैंक खाते का संचालन करेंगे । प्रबंध समिति में एक सरकारी पदाधिकारी का योगदान करना भी है, हमने सी0ओ0 और हेड मास्टर को रखा था, प्रधानाध्यापक को रखा था । अभी राज्यपाल के अध्यादेश के विरोध में उसके विपरीत नियमानुकूल, नियम के विपरीत सरकार के एक पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को बिना प्रबंध समिति की सूचना के या प्रबंध समिति के निदेश के 50 हजार से 5 लाख तक बैंक से विड्रो कर खर्च करने का प्रावधान कर दिया है..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने तो जवाब दिया ही है ।

डॉ0 सुनील कुमार : नहीं महोदय । जिसके कारण पूरे बिहार राज्य में पैसों का बंदरबांट हो रहा है । हमारे बिहार शरीफ का मतलब था बिहार शरीफ विधान सभा, चूंकि आपका शब्दों का लिमिटेशन है इसलिए हमने उसको तालमेल बैठकार लिखा था लेकिन विधान सभा कहना है । दूसरा, इससे अति उत्साह में प्रधानाध्यापक प्रबंध समिति के किसी भी निर्णय को मानने को तैयार नहीं हैं । बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय में तो प्रधानाध्यापक ने इतना कर दिया कि बिना प्रबंध समिति के आदेश के या निर्णय के भवन को भी तोड़वा दिया और अवशेष को भी बेच दिया...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं ?

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, हम चाहते हैं कि जिस तरह पूर्ववत हमलोगों का था वैसा ही रहे । बिना प्रबंध समिति के निर्णय के कोई भी पैसा खर्च नहीं हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सबसे पहले हम सदन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रबंध समिति के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गयी है..

(व्यवधान)

पहले पूरी बात सुन के हंसते तो हमको अच्छा लगता वरना आपकी हंसी पर हमको हंसी आ रही है । महोदय, यह तो हमारा सौभाग्य है कि अगर हमको देखकर इनका दिल खुश होता है और ये हंसने लगते हैं, तो यह मेरा सौभाग्य है । महोदय, हमने कहा कि प्रबंध समिति के अधिकारों में कटौती नहीं की गयी है और राशि की जो सीमा बढ़ाई गयी है उसमें भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं और सभी सदस्यों को सूचित करना चाहते हैं कि राशि की सीमा बढ़ाने का मतलब प्रबंध समिति के अधिकारों में कटौती नहीं है । पहले जो राशि थी वह राशि भी प्रधानाध्यापक खर्च करके प्रबंध समिति से अप्रूवल लेते थे । महोदय, नियम यही था, आखिर नहीं था तो राशि की सीमा क्यों थी । हम तो कह रहे हैं, प्रबंध समिति के हक की बात कह रहे हैं कि 50 हजार की सीमा तक में भी अगर प्रधानाध्यापक खर्च किये हैं और प्रबंध समिति उसको गलत मानती है तो उसकी जांच कराकर रिपोर्ट दीजिए हम उस पर भी कार्रवाई, किसी को अधिकार देने का मतलब उसको गड़बड़ी करने की छूट नहीं होती है और हमने यह कहा है कि यह सिर्फ सीमा और सीमा का अर्थ यह होता है महोदय कि उस सीमा तक प्रधानाध्यापक उस काम को करके तब प्रबंध समिति की अनुमति लेने की उनको छूट है । अगर उससे ज्यादा का है, अगर वह राशि उससे भी ज्यादा है तो बिना प्रबंध समिति के अनुमोदन या पास किये वो नहीं कर सकते हैं । अगर कर रहे हैं तो यह गलत कर रहे हैं । आप दीजिए और हम जांच करके कार्रवाई करेंगे ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री शब्दों के जादूगर हैं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका अंतिम प्रश्न है । बोलिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, शब्दों के जादूगर हैं और प्रश्न को घुमा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अध्यादेश दिनांक- 03.09.2022 में स्पेशली उद्धृत है कि बिना प्रबंध समिति के निदेश के एक भी पैसे खर्च नहीं हो सकते हैं और नियमावली भी है । जो नियम है उसके अनुसार प्रबंध समिति के अध्यक्ष विधायक होते हैं, सचिव प्रधानाध्यापक होते हैं, एक सीनियर टीचर सदस्य होते हैं, एक दानदात्री समिति सदस्य होता है, एक अनुसूचित जाति महिला सदस्य होती है और एक सरकारी पदाधिकारी सदस्य होते हैं । हमलोगों ने बिहार शरीफ में इस राशि का, विकास कोष के दुरूपयोग को रोकने के लिए हमने प्रधानाध्यापक के साथ अंचलाधिकारी को ज्वायंट में खाता ऑपरेट करने का दिया..

अध्यक्ष : सुनील जी, यह तो आप बता चुके हैं । दुबारा रिपिट मत कीजिए । जो प्रश्न है वह बोलिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले की जो व्यवस्था थी वह पूर्ववत् सरकार रखना चाहती है कि नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं ?

टर्न-10/हेमन्त/27.02.2024

अध्यक्ष : श्री संजय सरावगी जी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत पुराने सदस्य हैं । पूर्व में जो व्यवस्था थी, प्रबंध समिति की बैठक होती थी, एजेंडा में आता था कि विद्यालय में क्या-क्या काम की आवश्यकता है, प्रबंध समिति से निर्णय होता था और तब उसका प्राक्कलन बनकर कि प्राक्कलित राशि क्या है, उसके बाद प्रबंध समिति में निर्णय होता था, तब काम होता था और पांच हजार तक इमरजेंसी के लिए प्रधानाध्यापक को खर्च करने की अनुमति थी । अब क्या व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय । इसीलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूर्व में जो व्यवस्था थी, आपको एक टीचर पर विश्वास है, प्रबंध समिति में माननीय विधायक उसके अध्यक्ष हैं और जो स्थिति है, जो पत्र गया है, माननीय मंत्री जी को भी जानकारी है और सदन के सभी सदस्यों को जानकारी है और अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी है..

अध्यक्ष : हमको तो बहुत कुछ जानकारी है ।

श्री संजय सरावगी : आपको भी जानकारी है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या पूर्व में जो व्यवस्था थी प्रबंध समिति की कि इमरजेंसी में पांच हजार मात्र प्रधानाचार्य खर्च कर सकते थे बाकी प्रबंध समिति के निर्देश पर ही खर्च होता था । क्या पहले की तरह फिर से सरकार उसको लागू करना चाहती है कि नहीं लागू करना चाहती है, यह माननीय मंत्री जी सदन को बतावें ।

अध्यक्ष : और कोई पूछने वाले हैं ? इसमें जिनका नाम है उसमें से कोई पूछने वाले हैं, तो एक साथ पूछ लीजिए । नहीं हैं, ठीक है ।

माननीय मंत्री जी, इसमें दो विषय हैं । एक विषय तो, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो पुराना नियम था राशि की निकासी का, राशि की स्वीकृति का, राशि के खर्च करने का, वह लागू किया जाय, एक प्रश्न तो यह है और दूसरा यह है कि जो बिहार शरीफ के विद्यालय हैं, उस विद्यालय में बंदरबांट

हुआ, ऐसा विषय आया है । तो मैं जरूर चाहूंगा कि दोनों विषयों के बारे में एक बार अंतिम रूप से आप अपनी बात रख दें ।

माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये न । बिहार शरीफ के बारे में उन्होंने कहा है । माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि किसी विद्यालय में अगर बंदरबांट हुआ है, तो आप लिखकर दीजिए हम कार्रवाई करेंगे ।

(व्यवधान)

आप बैठिये न, आप बैठिये । मैंने तो आपकी बात की है पहले । यह साफ-साफ माननीय मंत्री ने कहा है । इसलिए अब वह प्रश्न सार्वजनिक नहीं हुआ ।

बोलिये, माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने दोनों बातें लगभग पहले स्पष्ट की थी कि पचास हजार या पांच लाख, वह सिर्फ सीमा है । ऐसा पहले भी नहीं था कि पचास हजार वह अगर खर्च कर देते हैं और प्रबंध समिति अगर उस पचास हजार को गलत मानती है या उस खर्च में गड़बड़ हुआ है, तो प्रबंध समिति को यह पूरा अधिकार है कि प्रबंध समिति उसकी जांच करके भेजे, हम लोग उसको देखेंगे । महोदय, दूसरा, संजय सरावगी जी ने जो कहा कि सरकार शिक्षक को देखती है, विधायक को नहीं देखती है । संजय जी, सरकार को सभी विधायकों पर विश्वास था इसीलिए प्रबंध समिति बनाकर और शिक्षकों के ऊपर देखभाल के लिए विधायकों को अधिकार इसीलिए दिया गया था कि सरकार विधायक को सम्मान देना चाहती है । महोदय, हम तो यह कह रहे हैं कि पहले भी, चाहे सीमा पचास हजार की हो या पांच लाख की हो, कोई काम, सिर्फ फर्क इतना है कि कितना अप्रूवल के बाद करेंगे और कितना करके अप्रूवल लेंगे । दोनों केसेज में अप्रूवल अवश्यंभावी है । अगर पहले उन्होंने पचास हजार का भी काम करा दिया है और अगर आपको वह गलत या उसमें गड़बड़ी लगती है, आप जांच कराकर रिपोर्ट दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप नहीं पूछ सकते हैं तारकिशोर जी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप यह तो नहीं कहना चाहते हैं कि जो पहले व्यवस्था थी उसके कारण से बड़ी राशि, लगभग 1100 करोड़ से अधिक की राशि विद्यालय के विकास कोष में पड़ी हुई थी, उस व्यवस्था में थोड़ा संशोधन करके शायद वह राशि ठीक से खर्च हो जाय विद्यालय के विकास में, ऐसा तो विचार मन में नहीं आया आपके ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आपने कहा सही, लेकिन हम यह इसीलिए नहीं कहना चाह रहे थे कि ये कहते तब फिर से विधायकों को लगता कि हम थे तो इनको नहीं खर्च हो रहा था मतलब हम पर तोहमत लगा रहे हैं और उसको दे दिये...

अध्यक्ष : नहीं, नहीं । किसी विधायक पर तोहमत का सवाल नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसलिए किसी विधायक पर कोई बिना तोहमत हमारे सभी विधायक जिम्मेदार हैं, संवेदनशील हैं और अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों का विकास चाहते हैं । इसीलिए हमने कहा कि चूंकि एक तो पचास हजार की राशि, छोटी मरम्मति भी होती है, तो खर्च अब लाखों में जाता है । राशि की सीमा तो बढ़ाई जाती है सामग्रियों की कीमत बढ़ने से और हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि प्रबंध समिति का अनुमोदन हर हाल में आवश्यक है, हर हाल में । अगर नहीं करता है, तो उसकी रिपोर्ट दीजिए, जांच कराकर कार्रवाई होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये संजय जी । कहीं की रिपोर्ट दीजिए, नहीं होगा, तो उसके बाद न पूछियेगा । अब बैठ जाइये ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/धिरेन्द्र/27.02.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की माँगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की माँगों की कुल संख्या-38 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अतः किसी एक विभाग के अनुदान की माँग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं माँग संख्या-42, ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूँ, जिसपर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष माँगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी०पी०आई० (एम०एल०)	-	08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी०पी०आई०(एम०)	-	02 मिनट
सी०पी०आई०	-	02 मिनट
ए०आई०एम०आई०एम०	-	01 मिनट
कुल	-	180 मिनट

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की माँग की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 77,97,00,000/- (सतहत्तर करोड़ संतानवे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस माँग पर माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो व्यापक है, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

अतएव माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।"

महोदय, पार्टी की तरफ से माननीय सदस्य डॉ॰ रामानुज यादव जी बोलेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामानुज जी । आपके पास 25 मिनट का समय है ।

डॉ॰ रामानुज यादव : अध्यक्ष महोदय, परम्परा के अनुसार से सरकार अनुपूरक बजट पर विनियोग लेकर आयी है । है भी, बहुमत के हिसाब से तो पास होना ही है, खजाना का चाबी मिलना ही है । चाहे ये लूटायें या उसको अप्रोप्रीयेशन में खर्च करें लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, वैसे तो गिलोटीन में ग्रामीण विकास विभाग को रखा गया है । है भी यह, भारत गाँवों का देश है, अपना बिहार और पिछड़ा और गाँवों का राज्य है । ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण महकमा है, मंत्रालय है लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई है चाहे पैसा ये जितना लेते रहें लेकिन बिहार में जो बेलगाम नौकरशाही है, जो आलम है नौकरशाही का, जो भ्रष्टाचार है प्रखंडों में, जो भ्रष्टाचार है जिलों में, जिला मुख्यालयों में, सचिवालय में, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि पहले भी जो राशि.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट । क्यों आपलोग आमने-सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं दोनों आदमी ? कोई खास बात है क्या ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमलोग तो आपको देखकर हर्षित हो रहे थे कि हमलोग तीन आदमी एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, यह अकारण नहीं है, सकारण है, कारण के साथ है । इसलिए कि हम तीनों कभी आप ही वाले आसन पर होते थे और आज नीचे बैठे हैं । इसलिए आपको देखकर हमलोग अपने पुराने दिनों को याद कर मन प्रफुल्लित कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : क्या बात है !

डॉ॰ रामानुज यादव : अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिये, उनका समय है ।

डॉ॰ रामानुज यादव : अध्यक्ष महोदय, विजय बाबू जो कह रहे हैं, मुस्कुराने का लगता है एक और कारण है कि आपको भी बहुत जल्द समझ रहे हैं कि आकर यहीं बैठेंगे और तीसरा कोई वहाँ होगा । यह विजय बाबू की बातों से लगा कि ये लोग यही गोष्ठी कर रहे हैं कि बहुत जल्द फिर उस आसन पर कोई जाने वाले हैं । अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट । माननीय सदस्य अवध विहारी जी ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, उस आसन पर माननीय उपमुख्यमंत्री जो बने हैं विजय कुमार सिन्हा जी भी रहे हैं और उसके पूर्व हमलोगों के साथी विजय चौधरी जी भी रहे हुए हैं और हमलोगों का संसदीय व्यवस्था में जो काम करना चाहिए, उस काम को हमलोगों ने किया है और आज आप बैठे हुए हैं तो आपको देख कर हमलोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक अच्छे आदमी बैठे हैं और दोनों तरफ की भावना को समझते हुए उचित समय पर उचित निर्णय लेने का काम करेंगे । इसीलिए प्रसन्नता हो रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामानुज जी ।

डॉ॰ रामानुज यादव : महोदय.....

अध्यक्ष : अपनी ओर से हम कुछ नहीं कहेंगे ।

डॉ॰ रामनुज यादव : महोदय, यह जो विनियोग है, उसके कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ । यह ग्रामीण विकास का जो मामला है, बहुत अच्छा है ग्रामीण विकास को, मंत्री जी एक साथी को कह रहे थे, आज भी ग्रामीण विकास का ही है । ग्रामीण विकास विभाग एक अहम विभाग है भी लेकिन जो सच्चाई है, कोई भी सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, ग्रामीण विकास विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जनता को परेशान करने वाली वहाँ व्याप्त जो माहौल है, इसको

देखकर मैं भी समझता हूँ कि निश्चित बात होनी चाहिए ग्रामीण विकास विभाग पर। चाहे वह मनरेगा का मामला हो, सरकार एक लेकर आयी है सेवा का अधिकार लेकिन सेवा का अधिकार का जो कार्यक्रम है, इनके जो बी॰डी॰ओ॰ लोग हैं, उनके जैसा सक्षम पदाधिकारी बैठाये गये हैं । अगर आवेदन करने वाला, अगर पैसे की बात नहीं माना तो 21 दिन का पहले ही हमने प्रावधान किया हुआ है कि 21 दिन तक लौटाया जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है और अगर नहीं देता रहा तो वह कितना 21 बार बुलाया जायेगा, इसका कोई हिसाब नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था आज भी मंत्री जी को कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं सुन रहे होंगे तो उनको भी मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं करते हैं, वर्क कल्चर आप नहीं बदलते हैं तब तक पैसा आप चाहे जितना ले लीजिये, जितना आप लूटवा दीजिये, जितना आप पार्क करवा दीजिये, डबल इंजन की सरकार का पैसा हो या राज्य कर्जे पर चलने वाला जो हमारा राज्य बहुत ज्यादा रिसॉर्सेज नहीं है, उसके पैसे लेकर चाहे आप जो भी बंदरबांट कराते रहें, जमीन पर नहीं पहुँच रहा है । जो ग्राउंड रियल्टी है ग्रामीण विकास विभाग का, ये मनरेगा कुछ लोगों के मन को खुश करने वाला, पॉकेट को गर्म करने वाला आइटम बन कर रह गया है । अध्यक्ष महोदय, और भी जो विभाग है उस पर मैं विषयवार बोलूंगा । अभी मुझे कहना है कि ये जो बिहार का हालात है, इसमें पैसा चाहे जो ले लेकिन जब सरकार में स्थिरता नहीं है, सरकार के मुखिया ही जब पलटते रहते हैं तो सरकार के मुखिया पलटते रहते हैं, बजट बनाने वाले पदाधिकारी तो बैठे रहते हैं लेकिन समर्थन करने वाले हमलोग पलटते, पलटाये जाते रहे हैं । आज ही की एक घटना है, कल मधु कोड़ा जी झारखंड में काँग्रेस की एम॰पी॰ हुआ करती थी, उन्होंने ज्वाईन किया बी॰जे॰पी॰ के वासिंग मशीन में गए.....

अध्यक्ष : मधु कोड़ा जी हुआ करते थे.....

डॉ॰ रामानुज यादव : महोदय, हुआ करती थी....

अध्यक्ष : थी नहीं, थे । मधु कोड़ा पुरुष हैं ।

डॉ॰ रामानुज यादव : महोदय, गीता कोड़ा मैंने कहा ।

अध्यक्ष : आप मधु कोड़ा न बोले हैं ।

डॉ॰ रामानुज यादव : नहीं, महोदय । मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा । गीता कोड़ा जी ने यह किया है.....

(व्यवधान)

जो प्रसंग है हमारा, अध्यक्ष महोदय । जो प्रसंग है.....

(व्यवधान)

बैठिये । महोदय, जो प्रसंग है कि उनको, बाबूलाल मरांडी जी ज्वाईन करा रहे थे, जब भाजपा का भगवा ओढ़नी ओढ़ा रहे थे तो बगल में बैठे हुए लोगों में जो गुफ्तगू हो रही थी, उसको मीडिया ने कैच किया.....

अध्यक्ष : रामानुज जी, आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं और आप जब भी बोलते हैं तो हमलोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं लेकिन आप बजट से कुछ इतर बोले जा रहे हैं ।

डॉ॰ रामानुज यादव : अध्यक्ष महोदय, बजट पर ही बोल रहे हैं....

अध्यक्ष : बोलिये ।

टर्न-12/संगीता/27.02.2024

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बजट पर ही आ रहे हैं...

अध्यक्ष : बोलिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : तो बजट पर ही मैं बोलूंगा, तो वह हुआ कि जो बाबूलाल मरांडी जी करा रहे थे किसी माननीय सदस्य ने कहा नीचे से कि भाई मरांडी जी जैसे अपने पलटते रहते हैं वैसे गीता कोड़ा जी को भी पलटा लिया तो उसपर सी0पी0सिंह हैं वहां के माननीय सदस्य, उन्होंने कहा नहीं, नहीं अरे क्या कहते हो भाई, हमारे ये बाबूलाल मरांडी कई बार पलटे हैं, गीता कोड़ा कई बार पलटी हैं, भाई बिहार देखो न, बिहार देखो न रेकर्ड बना हुआ है, उनका रेकर्ड नहीं टूट सकता है हमारे यहां पलटने वाले का तो ये जो हालात है, इसमें बिहार की जो अभी मौजूदा हालात है उसमें पूरी अराजक स्थिति बनी हुई है राज्य में और अस्थिरता का ऐसा माइंडसेट है कि यहां कोई काम कहीं नहीं हो रहा है, कहीं भी चाहे वह प्रखंड मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, सचिवालय हो, जहां आम लोग जाते हैं, सभी पदाधिकारी-कर्मचारी इस गुफ्तगू में लगे होते हैं कि आज तो यह हुआ, कल क्या होने वाला है । क्या होगा हमारे राज्य का विकास, पैसा चाहे ये जो मांग लें, पैसा जो ले लें लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि फलाफल बहुत बेहतर आने वाला है, यह बिहार का आज नहीं है, वैसे यह जो अनुपूरक बजट पर बात हो रही है तो मुझको यह प्रतीत होता है कि यह जो 2023-24 के लिए जो लाया गया है इसमें जो स्थिति बनी हुई है उसको अगर कमांड करना है तो सरकार को मेरा एक सजेशन होगा कि सरकार चाहे सभी काम करे लेकिन जबतक भ्रष्टाचार पर काम नहीं होगा, नौकरशाही पर आप लगाम नहीं लगाते हैं, कर्मचारियों का आप वर्क कल्चर नहीं बदलते हैं तब तक बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा, पैसा चाहे हमारे राजकोष का

जितना आप लेते रहिए, जितना आप व्यय करते रहिए, अपव्यय करते रहिए, यह हमारा कहना है । जहां तक सवाल है कि साहब, ये हैं पलटने-वलटने का तो कहां तो हमलोग बात कर रहे थे, जब आए थे माननीय नीतीश जी, उनलोगों को उधर से छोड़कर इधर आए तो कहे कि हम चले हैं देश में साम्प्रदायिकता मिटाने । साम्प्रदायिकता मिटाने तक की बात कर रहे थे, साम्प्रदायिकता अधिनायकवाद के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन जब बात कर रहे थे उस दिन कि हम सामाजिक न्याय के पहरूआ हम भी हैं, हम भी जो हैं राम मनोहर लोहिया के परंपरा के लोग हैं, हम भी कर्पूरी ठाकुर को आगे रखकर राजनीति करने वाले लोग हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि आज क्या बोलेंगे । अध्यक्ष महोदय, वैसे कह रहे थे के0सी0 त्यागी जी का एक वायरल हुआ है, के0सी0 त्यागी जी का कल का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ है जिसमें मैं तो नहीं कहना चाहूंगा वे कहते-कहते खुद कह जा रहे हैं एक प्रश्न के जवाब में कि साहब कभी कभी टंग स्लिप होता है कभी माइंड स्लिप भी होता है तो यह जो स्थिति बनी हुई है कि टंग स्लिप और माइंड स्लिप का इसमें क्या कल्याण होगा कौन सी नीति बनेगी । आप सामाजिक न्याय करने की बात कर रहे थे, मैं देख रहा था आपके बजट को भी, आप कह रहे हैं नहीं, नहीं हमने अकेले किया है, अगर जाति आधारित जनगणना आपने करायी, आर्थिक आधार पर पिछडों को, वंचितों को या जो भी गरीब हैं उसको आपने गिनने का काम किया है तो जो गिनती करायी है आपने, आपने कहा 94 लाख परिवार है उसको 2-2 लाख रुपये देंगे, बजट में कहीं प्रावधान नहीं है । मैं तो सरकार से, सरकार के वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार बिहार में भी आज मांझी जी नहीं हैं, एक दिन मांझी जी कह रहे थे कि जो बहालियां होती हैं उसमें रोस्टर मेंटेन नहीं होता, तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जहां भी हों और भी वरिष्ठ लोग जो सुन रहे हैं कि बिहार सरकार में भी एक विभाग बनाया जाय 'सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग', जो सालों भर राउंड द ईयर यह देखते रहे कि नियुक्तियां चाहे जहां जहां हो रही हों, जहां जहां बहालियां हो रही हैं उसमें रोस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसमें सही ढंग से आरक्षण का प्रावधान पूरा किया जा रहा है कि नहीं, कहीं हकमारी तो नहीं हो रही है । गरीबों को, वंचितों के लिए मुंह से घोषणा कर दिया गया, कागज में कर दिया गया लेकिन वह जमीन पर उतर रहा है कि नहीं इसके लिए एक विभाग बिहार में होना चाहिए तब जाकर सामाजिक न्याय की बात करने वाले कुछ हद तक आपकी प्रतिबद्धता दिखाई देगी । आप कहने चले थे कि साहब ये करेंगे और आज आप वहां जाकर बैठ गए, जहां संविधान में इसे संविधान के

प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द निकालने के लिए रोज लेख लिखवाए जा रहे हैं । कमिटी तक बना दी गई, कमिटी बना दी गई और आप समतामूलक समाज की बात करने वाले कहते हैं हम उस परंपरा के हैं, हम गांधी की बात करने वाले हैं और आप चले गए राजधर्म वाले के यहां, जो राजधर्म और सेंगोल लेकर घूम रहा है जो चारों तरफ बात कर रहा है तो आप समतामूलक समाज बनाते बनाते सनातन समाज बनाने और मजबूत करने चले गए । समतामूलक समाज बनाते बनाते सनातन और ये जो हैं राष्ट्रवादी समाज वाले लोगों के पास चले गए, किस मुंह से आप बोलते हैं, जितनी बार पलटते हैं उतनी तरह की बात करते हैं । हम नहीं कह सकते, हमलोग उतनी जुर्रत नहीं कर सकते हमारे लोग आज भी कहते हैं आपको अपना मानते हैं लेकिन आप जिनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं वहीं आपको समय समय पर क्या क्या जांच रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं, हमलोग उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते कि वे कौन कौन सा आपकी जांच रिपोर्ट लेकर उद्धृत करने लग जाते हैं और फिर भी आप चले जाते हैं, कहते हैं कि मर जायेंगे, मिट जायेंगे लेकिन हम फलाने के साथ नहीं जायेंगे लेकिन आप फिर भी चले जाते हैं । आखिर क्या है पूरे देश की जनता, पूरे देश का प्रभुद्ध तबका इस बात को बुनने में, बीनने में इसको समझने में लगा हुआ है कि आखिर देश की राजनीति की, कैसी राजनीति के आप प्रतीक हो गए हैं, राजनीति क्या सिर्फ कुर्सी के लिए होता है और कुर्सी को बचाए रखने के लिए येन केन प्रकारेण बचाए रखने के लिए आप कुछ करते रहे जोड़-घटाव करते रहे, कुछ भवन बनाते रहे, कुछ रंग-रोगन कराते रहे, कुछ बल्ब-बत्ती लगाते रहे और कहे कि आखिर यह बल्ब-बत्ती किसके लिए, ये सभागार किसके लिए, ये सड़कें किसके लिए यह पहले तय होना चाहिए लेकिन नीतीश जी ने पूरे जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको डाइलूट करने का काम किया है । सोशल जस्टिस को अगर खराब करने की बात, सोशल जस्टिस को ध्वस्त करने की बात जितना संघ के लोगों ने नहीं किया उससे ज्यादा नीतीश जी आपने डाइलूट किया है, पूरी लड़ाई को आपने डाइलूट करने का काम किया है । बात चाहे आप जितनी करते रहें लेकिन मैं समझता हूं कि अभी आप इंडिया गठबंधन के सब कुछ थे बगैर घोषित किए हुए आप कन्वेनर थे, कन्वेनर वही होता है न जो मीटिंग को कन्वेन करता है । अब ममता बनर्जी ने क्या कह दिया, आज सफाई दे रहे थे के0सी0 त्यागी उसने क्या कह दिया, राहुल जी ने क्या कह दिया यह कहीं मायने नहीं रखता था । अगर आप कन्वेन करने वाले आपके कलेजा में ताकत होता, सोच मजबूत होता, कुर्सी के लिए नहीं आते-जाते रहते तो आप कांग्रेस को भी निकाल देते । मैं कहता हूं आप कन्वेनर थे, आपने

सबको इकट्ठा किया था, जो अड़ंगा डाल रहा था उसको बाहर करके आप कारवां लेकर चल देते । अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मैं कहना चाहता हूं, मैं एक चार लाइन की पंक्ति पढ़ना चाहता हूं :

''रास्ते की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है,
रास्ते में हर पग-पग पर इम्तिहान होता है
डरने वाले को नहीं मिलता कुछ,
मंजिल पर पहुंचने के पहले ही मर जाते हैं
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है ।''

आप अपने मुंह से, अपने लोगों से, आज भी के0सी0त्यागी जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री मेटेरियल हैं, ठीक है वे फलाने हैं लेकिन हमारे भी हैं, अरे आप क्या कह रहे हैं । आप लड़ते रहते मैं कहता हूं हमारे जैसे लोग आपके साथ पहले भी इसी सदन में मैंने कहा था, नीतीश जी आपने हिम्मत किया होता तो मेरे जैसे लोग आपके साथ जो कमिटेड हैं सोशल जस्टिस के लिए, जो कमिटेड हैं सोशलिस्ट क्रेसिडेंसियल के लिए आपके साथ दीवार की तरह खड़े रहते, पहाड़ की तरह खड़े रहते, मुहिम बनाने हमलोग निकलते अगर आपको किसी ने ये किया लेकिन आप भाग चलते हो, भगोड़ा होकर के कहते हैं आपको प्रधानमंत्री मान लें, आपको कन्वेनर बना दें आप कल भाग जाते तो क्या होता, कन्वेनर बनाने पर भाग जाते तो क्या होता...

अध्यक्ष : बजट पर बोलिए, बजट पर ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : बजट पर ही बोल रहे हैं सर, लेकिन बजट को रखवाने वाले पर भी बोलेंगे । कल अगर हमलोग ये कह दिये होते कि हमलोग कैंडिडेट बना दिये होते तो अब हमें यह डर रहता । (क्रमशः)

टर्न-13/सुरज/27.02.2024

डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्रमशः): अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा नहीं होता तो आप ही पर मैं न्याय छोड़ता हूं कि जो मुख्यमंत्री बने थे इधर आकर के आपके आसन पर चौधरी जी को बैठाया गया था, तब हम 168 की संख्या लेकर के हम वहां अपने अध्यक्ष जी को बैठाये थे, हमने मुख्यमंत्री जी को वहां बैठाया था और आप 168 की संख्या को तिलांजली देकर 128 की संख्या लेकर आप रस्सा-कस्सी करवा रहे हो, राज्य को अस्थिरता में डाल रहे हो, आप तोड़-जोड़ कर रहे हो, अपने सरकारी पद का दुरूपयोग करके आप सदस्यों को पुलिस से उठवा रहे हो, आप सामने बुला करके नियम और संविधान का धत्ता बता करके आप लोगों को बैठा ले रहे हो सामने ।

स्पीकर साहब भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने कौन-सी ऐसी परिस्थिति थी, कौन परिस्थिति आन पड़ी थी कि 168 की संख्या छोड़ करके 128 वाले की संख्या पर आप रस्सा-कस्सी करते चल रहे हैं । मांझी जी नहीं हैं, मांझी जी जहां होंगे वह हमारा भाषण सुन रहे होंगे । मांझी जी कल-परसों बोले हैं कि हमने बदला चुका दिया । हमको मुख्यमंत्री बनाने का ताना देता था, तो अब आप ताना सुनिये । आज वह कह रहे हैं कि आपने हमको बनाया था तो हम चार अगर नहीं दिये होते तो आप 120, 121 हो जाते आप मुख्यमंत्री नहीं रहते । हमने भी आपको देकर के अपना कर्जा उतार दिया । अब आप किस मुंह से कहियेगा इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्थिति हमलोगों ने किया था, आप कहते रहें, भरोसा दिलाते रहें, पब्लिक को भी भरोसा दिलाते रहें, हमारे नेता को भी भरोसा दिलाते रहें । कहते रहें नहीं अब हम मर जायेंगे, मिट जायेंगे नहीं जाने वाले हैं हम अब यहीं रहेंगे । लेकिन आप कितनी बार मरते रहियेगा । राज्य के लोगों को यह चिंता लगी है कि आपका शरीर जिंदा रहेगा, कुर्सी पर आप बैठे रहेंगे लेकिन आपकी आत्मा मर गयी है । आप कितनी बार मरते रहियेगा । दूसरे को चिंता लगी है आपके पार्टी के प्रधान प्रवक्ता कह रहे हैं फलां स्लीप कभी-कभी होता है तो आखिर इस स्लीप को आखिर क्यों झेले राज्य की जनता हम यह जानना चाहते हैं । राज्य की जनता क्यों झेले, ये तेरह-साढ़े तेरह करोड़ लोगों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है यह हम नहीं कहना चाहते । हम उतनी बड़ी संख्या लेकर सरकार बनाये थे, हम स्मूथ थे, हम सारे लोग राजकाज जो चलाने वाले मंत्री आज भी बैठे हुये हैं ये लोग वहां भी मंत्री थे कहीं कोई अवरोध था क्या । आप तो राज्यपाल के यहां से आ रहे थे इस्तीफा देकर के आपने कोई स्पष्ट लाईन नहीं खींचा, कुछ भी नहीं कह सके कि हमने क्यों इस्तीफा दिया, हम क्यों वहां से भाग चले । तो आप ही बताइये कि सी0बी0आई0 और ई0डी0 को आप पर भी लगा दिया गया था, आपके चाहने वाले पर लगा दिया गया था, आपके अगल-बगल बैठने वाले, आपके बच्चों पर लगा दिया गया था, उनके निजी संबंधियों पर लगा दिया गया था अन्यथ क्या था ? जो आई0जी0आई0एम0एस0 है, उस समय हेल्थ विभाग हमारे नेता के पास था उसमें सबसे पहले आगे बढ़कर यह प्रावधान कराया गया कि वहां पैसा लगता था हर चीज का, खड़ा होने का भी पैसा लगता था । वहां प्रावधान हुआ कि नहीं साहब वहां मरीजों को जैसे हम सब सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाते हैं, आई0जी0आई0एम0एस0 में भी मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे और वहां शुरू हो गया, हमलोगों ने शुरू करवाया । चाहे अस्पतालों की स्थिति सुधारनी हो, बहाली का

मामला हो, चाहे जातीय आधारित जनगणना कराके उनको अंजाम तक पहुंचाने का मामला हो । उसको प्रोपोगेट करना था, उसको प्रचार करना था । आपने दूसरें साथियों को चाहे हमलोग गठबंधन के लोग हो या आपने भी अपने साथियों को नहीं निकाला । एक तरफ पूरे प्रचार वाली सरकार है, मोदी जी अपने ही प्रचार करते रहते हैं । उनका आई0टी0 सेल लगा रहता है, असत्य-असत्य बातें करते रहते हैं, पोस्ट ट्रुथ फैलाते रहते हैं और आप....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यहां की बात करिये न कहां चले जाते हैं रामानुज जी । अब आपका समय भी पूरा हो रहा है, कंक्लूड करिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने आरक्षण की बात की जिस समय घोषणा हो रही थी, सदन में घोषणा करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन आपने कहा था सदन में बढ़ोतरी करते हुये कि आज हमने 15 परसेंट बढ़ाया है...

अध्यक्ष : आप कंक्लूड करिये रामानुज जी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन घोषणा हो रही थी, आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही थी, बारकेडिंग जो किया हुआ था हमारी किस्मत पर, जो एक ताला लगाया गया था, वह ताला हमलोगों के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : किसका काटे ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : पांच मिनट काट लीजिये अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : किसका काटे वही तो पूछ रहे हैं ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सुरेन्द्र राम जी का ।

अध्यक्ष : ठीक है, बोलिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जिस दिन हमलोग मिल करके घोषणा कर रहे थे, ये मेजें थपथपा रहे थे और आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा रहा था । माननीय मुख्यमंत्री जी आपका फुटेज है आपने कहा था कि आज 15 किये हैं जरूरत होगी तो तमिलनाडु की तरह 75 परसेंट होगा, 10 परसेंट ई0डब्लू0एस0 रहेगा । जितने हमारे नेता, पुरखे कहा करते थे, जगदेव बाबू कहा करते थे 100 में 90 हम हैं 90 भाग हमारा है । अब तो फिगर सामने आ गया है तो 100 में 90 की जो अवधारणा थी, उस दिन बात करते हुये आपने कहा था कि आज जो 15 हुआ है उस 15 को हम 75 बढ़ाये हैं 25 बढ़ायेंगे और 25 रहेगा जिसमें ई0डब्लू0एस0 और रेस्ट के लोग रहेंगे

। आप वहां गये हैं तब हम माने कि जो कहता है कि जाति होती कहां है । चार ही जाति है नौजवान, किसान, महिला...

अध्यक्ष : चौथा गरीब ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जी गरीब । जो जाति को इंकार करता है वैसा XXX है यह व्यक्ति । जो अपनी जाति तो बताता है कि चाय वाला का बेटा, चौमिन वाला का बेटा, फलां का बेटा और आप उसकी गोद में जाकर बैठ गये जो इस पूरे मुद्दे को, इस मान्यता को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रामानुज जी एक मिनट ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जो असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किये हैं उसको प्रोसिडिंग से निकालना चाहिये ।

अध्यक्ष : वह हम दिखवा लेंगे जो रहेगा उसको निकलवा देंगे । बोलिये रामानुज जी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति है, यह स्थिति मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिये कि किस दिन करेंगे । जिस तरह से स्पेशल स्टेटस की मांग थी, जिस तरह से यह अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिये पलटते रहते हैं, कहीं सामाजिक न्याय के नाम पर तो नहीं पलट जायेंगे । इस राज्य का करोड़ों रुपया बहा दिया जाता है गांधी जी के नाम पर । गांधी जी के सात पापकर्म के नाम पर । ऊपर ही लिखा हुआ है कि सिद्धांत के बगैर राजनीति । सारे न्यायालय में, कार्यालय में, सचिवालय में, विधानमंडल में आपने टांग दिया है, यह कौन सिद्धांत की राजनीति है । सिद्धांत की राजनीति करते हो बाबू कि कुर्सी की राजनीति यह स्पष्ट कर दीजिये राज्य की जनता जान जाये कि कुर्सी की राजनीति है कि सिद्धांत की राजनीति है । गांधी जी की आत्मा कहीं अगर होगी तो वह छटपटाती होगी कि ऐसे-ऐसे लोग हैं । कोई हमारा चश्मा चुराके भागता है गोडसे का लोग तो कोई....

अध्यक्ष : इधर देखकर बात करिये । कंक्लूड करिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : पूरे सिद्धांत को पलट देने वाला हमारे ही नाम पर पाप करता है । कहता है गांधी का सात पाप तो सात पाप में सबसे पहला जो ऊपर है हैसियत पाये हुये वही पाप आप दुहराते रहते हैं, यह बात हो रही है । अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां शिक्षकों का मामला है बहुत अहम मामला है, शिक्षा विभाग अहम बना हुआ है । चूंकि बजट पर चर्चा है आप कह रहे थे बजट पर आइये तो मैं बजट पर आता हूं तो शिक्षकों का मामला...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये आप । आप पहली बार आज विषय पर नहीं बोल रहे हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : नहीं महोदय मैं विषय पर ही बोल रहा हूं...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये आप । आपका समय समाप्त हो रहा है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : राज्यकर्मी का दर्जा बगैर शर्त उसको दिया जाय । दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि राज्य में जो स्थिति है शिक्षा विभाग के महकमे के जो आला अधिकारी हैं मुख्यमंत्री की बात भी नहीं मान रहे । (क्रमशः)

XXX - आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

टर्न-14/राहुल/27.02.2024

डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्रमशः) : आखिर क्या मैसेज जा रहा है, कौन-सा पैगाम हम लोग दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री सदन में कुछ घोषणा करते हैं और वह मानते नहीं हैं, अपनी चिट्ठी निकालते हैं, अपनी बात करते हैं, भागकर चले जाते हैं, आप मनाकर के बुलाते हैं, आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है । क्या हमारे यहां दूसरा कोई नहीं है और उनकी जो करतूत है हम बताना चाहते हैं कि जो पढ़ाई-लिखाई की बात सुधरी है तो सारी चीजों को निजी में देकर के, सारे विद्यालयों में यहां सारे एम0एल0ए0 बैठे हैं हमारे साथी...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये रामानुज जी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सब पद ठेकेदारों को दे दिये गये और बैगर रोस्टर पूरा किये हुए, सब जगह रात्रि प्रहरी बहाल कर दिये हैं, बहाल कर दे रहे हैं कंप्यूटर की सुरक्षा करने वाला, बहाल कर दे रहे हैं लैब टेक्निशियन और कहते हैं कि स्कूल के कोष से पैसा दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त हुआ । श्री रामप्रीत पासवान जी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : चारों तरफ स्कूल निर्माण के नाम पर जो काम हो रहा है उसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी जांच कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इसकी जांच कराये, इस पर नियंत्रण करे ।

अध्यक्ष : श्री रामप्रीत पासवान जी, आपका समय 10 मिनट है ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आज अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । अध्यक्ष महोदय, जब से इन लोगों की सत्ता चली गयी है पूरी बैचेनी है और बैचेनी इस तरह की है कि बाहर भी छटपटाते हैं और सदन में भी छटपटाते हैं । बहुमत हम लोगों को मिला था, हम लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े थे ।

आप लोगों ने तो जबर्दस्ती हड़पने का काम किया और जब से हम लोग सत्ता में आये हैं, 2005 से पहले आप लोगों की सत्ता थी और मैंने देखा है चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ग्रामीण विकास हो, नल-जल हो कहीं कोई काम ही नहीं था । आपके रेजिम में तो कोई काम हुआ नहीं और हम लोगों ने जो काम किया है और खेत तक भी...

(व्यवधान)

टोका-टोकी नहीं करिये । आप लोग हमारी बात को गौर से सुनिये...

अध्यक्ष : रामप्रीत जी, आप इधर देखकर बोलिये ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : हां सर, आपकी तरफ देखकर ही बोल रहे हैं तो हमने जहां गांव में कहीं भी इंदिरा आवास के नाम पर एक भी घर नहीं बनता था, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था और गरीबों का घर नहीं बनता था । जब हम लोगों की सरकार बनी है तो हम लोगों ने गरीबों का घर बनाने का काम किया है । एक-एक घर खोज-खोजकर गरीबों का घर बनाने का काम किया जो पहले फूस के घर में रहते थे आज वह छतदार घर में रह रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं प्रखंड, पंचायत सेवक से लेकर और बी0डी0ओ0 तक तीन फेज में पैसे दिये जाते थे लेकिन वह पैसा इतना मिलता था जो उसकी कुर्सी तक नहीं बन पाती थी आज की तिथि में भी वैसे घर पड़े हुए हैं जहां केवल कुर्सी है, न उसकी छत बनी, ताड़ का छज्जा रखकर के गरीब लोग रह रहे हैं लेकिन जब से हम लोगों की सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तब से हम लोगों का जो काम है हम लोगों ने गांव में एक-एक काम किया है । गांव के विकास के नाम पर आपके जमाने में पूरी कच्ची सड़क थी, खरंजा तक नहीं था । हम लोगों ने एक-एक गली को बनाने का काम किया है, दूर-दूर तक जो गरीब से गरीब लोग हैं वहां एक-एक गली बनाने का काम किया है और आवश्यकता पड़ने पर हमने उस गली में नली भी बनाने का काम किया है जो लोगों को चलने में सुविधा हो । विकास तो हम लोगों ने इतना किया है कि एक-एक गांव में जो लोग साइकिल से नहीं चल पाते थे आज सभी के दरवाजे पर मोटर साइकिल है, चाहे वह हाट बाजार पर बिजनेस करने वाला आदमी हो, शहर में काम करने वाला आदमी हो, युवा साथी हो ये सारे लोग और जो हमारी बच्ची स्कूल जाती हैं सभी को हमने साइकिल दी । आज वह साइकिल से स्कूल जाती है । आपके जमाने में न साइकिल थी, न सड़क थी । आप लोगों ने तो काम नहीं किया और केवल बिहार को लूटने का काम किया और एक-एक पैसा आप लोगों ने लूटा है और इसके बावजूद भी जब बजट पास होता है तो उसमें आप कटौती प्रस्ताव लाते हैं । ठीक

है, कटौती प्रस्ताव लाना आपका है, इसमें हम लोग बोलते भी हैं, वह हक है लेकिन उसके बाद जहां बजट पर बोलने की बात होती है तो वहां राजनीति होती है और राजनीति इस तरह की होती है कि जो काम यहां नहीं होना चाहिए, जो सदन का विषय नहीं है उस विषय को उठाकर के आप लोग सदन को गुमराह करने का काम करते हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां इनके जमाने में स्कूल नहीं थी आज सारे स्कूलों का भवन बना है, शिक्षक की नियुक्ति हुई है । अभी शिक्षक की नियुक्ति हुई है तो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैंने शिक्षकों की नियुक्ति की है । शिक्षक की नियुक्ति तो हमारे जमाने में हुई थी और वहां पास हुआ था और तब शिक्षक की नियुक्ति हुई है । स्वास्थ्य विभाग में आपके जमाने में जहां एक भी मरीज नहीं आता था, बेड पर कुत्ता रहता था और धूल जमीं रहती थी और आज गांव में हॉस्पिटल में तीन-चार सौ मरीज आते हैं । हॉस्पिटल नहीं थी, 1984 का गिरा हुआ हॉस्पिटल आप लोगों ने नहीं बनने दिया । जब हमारी सरकार बनी है तो हम हॉस्पिटल बनाने का काम किये । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं एक-एक गांव में जहां नलकूप वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, चापाकल बंद पड़ा हुआ था हम लोगों ने चापाकल देने का काम किया और उसके बाद नल से जल देने की जो बात हुई तो जो मेरे विभाग में था उस विभाग के तहत हम लोगों ने नल से जल देने का काम किया । टेक्निकल के चलते जहां कहीं भी कुछ त्रुटि हुई है उस त्रुटि के चलते वह नहीं चल पा रहा है लेकिन गरीब को पहले दूर-दूर से चापाकल से पानी लाना पड़ता था आज उसके घर में नल-जल हुआ और उसको पानी मिल रहा है । इस तरह से हम लोगों ने...

(व्यवधान)

हमने जांच की है, मैं भी गांव से आता हूं, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं और मैं देख रहा हूं कि कहां क्या कमी है जो कुछ कमी है जिसके लिए आप लोग भी कमी, विपक्ष का काम है कमी को दिखाना, आप कमी को दिखाइये सरकार उसको पूरा करेगी और सरकार उसको पूरा करने के लिए तत्पर भी है तो एक-एक काम को स्वास्थ्य विभाग हो, गांव के लोगों को हो, बच्चों के पढ़ने की बात हो । आपके समय में और अभी आई0आई0टी0, एन0आई0टी0 , पॉलिटेक्निकल का एक-एक भवन बनकर तैयार है और यहां बच्चों की पढ़ाई होती है । पहले लोग पढ़ने के लिए दूर-दूर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में जाकर के एडमिशन कराते थे, गरीब के बच्चे का तो नामांकन ही नहीं होता था, उसके पास पैसे नहीं थे । अब वह प्रतियोगिता के माध्यम से आता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है । इस तरह से एक-एक काम हम लोग निश्चित रूप से करते हैं

और समाज के हित का काम करते हैं, समाज का एक-एक आदमी, जहां तक जातीय जनगणना की बात है तो हम लोग सत्ता पक्ष में थे हम लोगों ने उसको पास किया है, सर्वसम्मति से पास हुआ है । आप अपने ऊपर श्रेय लेने की बात करते हैं । जातीय जनगणना तो हम लोगों ने करवायी है, हम लोगों का प्रस्ताव था और जातीय जनगणना के समय में आप लोग थे भी नहीं...

(व्यवधान)

देश में क्या, आप लोग विधान सभा की चर्चा करिये । आप लोग देश की चर्चा मत करिये । आप विधान सभा के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के सदस्य नहीं हैं जिसकी आप चर्चा करते हैं । आप पार्लियामेंट के सदस्य नही हैं आप विधान सभा की चर्चा करिये और यदि पार्लियामेंट की चर्चा करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं आजादी के बाद मेरे ही दल के प्रधानमंत्री हैं जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने आज तक देश में जो काम नहीं हुआ था एक-एक काम को करने का काम किया है और नरेन्द्र मोदी की गारंटी है तो गारंटी के साथ काम भी होता है । गारंटी के साथ काम होता है । जिसके घर में जलावन नहीं था हमने गैस देने का काम किया । जिसके घर में नल-जल नहीं था, नल-जल देने का काम किया । आपने 18 हजार गांवों में बिजली नहीं दी, हमने 18 हजार गांवों में बिजली देने का काम किया है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हमने एक-एक गांव के कामों को करने का काम किया है । ऐसा कहीं भी नहीं है, आप लोग अपने गांव में जाते हैं तो पहले और आज में आपको भी अंतर लगता है लेकिन यहां आप विपक्ष में हैं तो इसीलिए आपको विपक्ष की बात कहनी है इसीलिए कहते हैं और बाहर जाकर के आप ही बोलते हैं कि नहीं ये काम हुआ है, आपकी सरकार में यह काम हुआ है तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं, आप लोग परिवारवाद करते हैं । हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं आप केवल परिवारवाद में विश्वास करते हैं और भ्रष्टाचार में । चाहे ऊपर की बात करें तो कांग्रेस के जमाने में ही हुआ, यहां भी 15 साल आप लोगों ने क्या किया ? आपने जो चरवाहा विद्यालय खोला अब बताइये कहीं आपका चरवाहा विद्यालय चलता है क्या और चरवाहा विद्यालय से एक भी बच्चा पढ़कर निकला क्या ? केवल गरीबों को ठगकर के वोट लेने का आप लोगों ने काम किया है । हम लोग सरजमीं पर, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, पंडित विनोदानंद झा, हम उस समय में चौथी क्लास में पढ़ते थे, पंडित विनोदानंद झा इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इतने दिनों का काम मेरे यहां कमला नदी में एक सुक्की साइफन था इनका शिलान्यास किया हुआ, चुनाव के समय में जाकर के

सारे लोग शिलान्यास करते थे और अपना बोर्ड लगाते थे । मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं । 7 बोर्ड लगे हुए थे ।

क्रमशः

टर्न-15/ मुकुल/27.02.2024

क्रमशः

डॉ0 रामप्रीत पासवान : एक-एक नेता जाते थे और बोर्ड लगाते थे । लेकिन वह काम नहीं हुआ । जब वर्ष 2005 में हमलोगों की सरकार बनी है तो वर्ष 2006 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गये और कोसी का साइफन बना है और आज कोसी से पूरा पानी होता है । अब आप सोच लीजिए पंडित विनोदा नंद झा, हमारे जो मुख्यमंत्री थे उनका शिलान्यास किया हुआ कार्य, सात लोगों का पट्ट लगा हुआ था किसी ने नहीं किया, अधूरा काम था और मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, भोगेंद्र झा जी हमलोगों के यहां पर सांसद हुआ करते थे पार्लियामेंट में बार-बार और यहां भी हमारे बैद्यनाथ यादव जी चर्चा करते थे लेकिन आपलोगों ने साइफन नहीं बनाया और कमला से पश्चिम पानी नहीं जाता था और हमलोगों की धान की उपज नहीं होती थी और आज देख लीजिए वह साइफन बन गया तो दरभंगा तक पानी आता है और एक-एक खेत में पानी जाता है । हमलोगों की सरकार की सोच थी कि हमलोग एक-एक खेत को पानी देंगे तो हमलोग एक-एक खेत में पानी दे रहे हैं, बिजली के माध्यम से पानी देते हैं । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमलोग काम किये हैं और काम के बल पर पूरी दबंगता के साथ बोलते हैं कि हमने काम किया है, मेरी सरकार ने काम किया है। आपलोग हमेशा छल के साथ सरकार में आने का काम करते हैं और अपने ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड कीजिए ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, अब मैं कन्क्लूड करता हूं । मेरे विधान सभा की एक समस्या है । सरकार के द्वारा तय हुआ कि सभी प्रखंडों में मिनी स्टेडियम बनेगा, जमीन थोड़ी कम पड़ती है उसको पूर्व की सरकार, जब हमलोग सरकार में नहीं थे तो उसको रिजेक्ट कर दिया था । वहां पर थोड़ी जमीन कम पड़ती है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि अंधराठाड़ी प्रखंड में खेल का मैदान है उसमें मिनी स्टेडियम बनाया जाय । अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं, अपने सदन के नेता को बधाई देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । भारत माता की जय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राज कुमार सिंह । आपके पास 10 मिनट का समय है ।

श्री राज कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो एक बार मैं अपने क्षेत्र मटिहानी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी शक्ति की बदौलत आज इस सदन में मैं उनकी आवाज बनकर खड़ा हूं । मैं विपक्ष के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कटौती का प्रस्ताव लाया, संवैधानिक प्रक्रिया है, जब कटौती का प्रस्ताव आता है तो विमर्श करने का मौका मिलता है, हमें अपनी बातें कहने का मौका मिलता है । अध्यक्ष महोदय, आपका भी बहुत-बहुत आभार है । लेकिन आज जब रामानुज जी बहुत सारी बातें कह रहे थे तो आप मंच पर हैं । मैंने बार-बार आप से ही वह शेर सुना है, वह शेर पता नहीं आपने उनको क्यों नहीं कहा कि

''उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा ।''

हमारा राज्य और हमारा देश गांवों का देश है और बिहार की 89 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । जिस तरीके की योजनाएं केन्द्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए लाई गई हैं वे न सिर्फ राज्यों की प्राथमिकता है बल्कि ये तमाम उन लोगों का अधिकार है जो गांवों में बसते हैं और इस राष्ट्र के निर्माण में जिनकी अग्रणी भूमिका है और यह भारत राष्ट्र तभी राष्ट्र कहलाता है जब हम गांवों की ओर देखते हैं तो हमारे गांवों का, हमारे देश का सही स्वरूप विदेशों में भी दिखाई पड़ता है । राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कार्य किये हैं, ये तो इन्होंने दिया ही है । आवास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिसमें 60 प्रतिशत की भागीदारी केन्द्र की होती है, 40 प्रतिशत राज्यों के द्वारा दिया जाता है और विगत वर्षों में 2016-17 से लेकर 2021-22 तक जो 37 लाख परिवारों को आवास देने का लक्ष्य था उसके तहत 37 लाख परिवारों को लक्ष्य, उस लक्ष्य के लगभग करीब हमलोग पहुंच चुके हैं तो यह काफी सराहनीय कार्य है और जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको आवास नहीं मिल सका है उसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जारी है । उसके तहत भी 57 हजार से अधिक लक्ष्य रखा गया है और लगभग 34-35 हजार लोगों का आवास स्वीकृत हो चुका है । उसी तरीके से माननीय मंत्री जी जो आवासीय भूमिहीन लोगों के लिए बास स्थल क्रय करने की योजना है उसके तहत भी काफी कार्य किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसे अभी 60 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है तो इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं । लेकिन मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि

हमारा क्षेत्र मटिहानी बाढ़ की आपदा से बार-बार ग्रसित होता रहा है और बड़े दुख की बात है कि विगत 30 वर्षों से जो बाढ़ के कारण विस्थापित सैकड़ों परिवार जो भूमिहीन हो गये, जिनका वास भी पूरा कटकर गंगा के पेट में समा गया, 30 वर्षों से वे बांध पर बसे रहने के लिए विवश हैं । वे काफी दयनीय स्थिति में रहते हैं, खतरनाक स्थिति में भी रहते हैं जोकि वहां पर आवागमन भी काफी होता रहता है, आये दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि उन भूमिहीन लोगों के लिए, बासहीन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था अब तत्काल करा दी जाये, क्योंकि 30 वर्षों का काल बहुत ही बड़ा काल होता है । अभी सरकार की एक योजना आई है जिसमें वास स्थल जिनके पास नहीं है एप के माध्यम से लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उस एप में शायद एक त्रुटि है कि जो लोग किसी आपदा के कारण भूमिहीन हो गये है, जिनका बास नहीं है उनको बसने का कोई उपाय नहीं है, उसमें जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनको आवेदन करने की सुविधा उस एप में नहीं है या तो हमारे जिले में नहीं है या हो सकता है यह असुविधा/त्रुटि कहीं पर हो इस त्रुटि को शीघ्र दूर करा दिया जाय ताकि सभी लोगों को रहने के लिए कम-से-कम अपना एक घर तो हो ही । अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें अभी रामानुज जी भी कह रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं । महोदय, जब सपने टूटते हैं तो दिल की व्यथा निश्चित रूप से निकलती है । लेकिन हम यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिहार के विकास के साथ में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं किया । बिहार के विकास की रफ्तार को कभी कम होने नहीं दिया, राजनीतिक रूप से जो भी दृश्य बदलता रहा, उसमें बिहार के विकास के लक्ष्य से कभी भी इतर उन्होंने सोचा नहीं और उनको देखकर मुझे एक शेर फिर से याद आ गया कि

''हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जायेगा ।''

तो इस लक्ष्य के साथ वे चलें और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो जीविका की योजना है, जिसके तहत पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर मिले, जो वंचित लोग हैं, जो किसी भी प्रकार के रोजगार से जुड़े नहीं हैं ताकि उनका आर्थिक विकास हो तो वर्ष 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जीविका की योजना लाई गई है यह अपने आप में एक नायाब योजना साबित हुई और इसको देखकर केन्द्र सरकार ने भी अपनी योजनाओं को पूरे देशभर में आजीविका के नाम से फैलाया । वर्ष 2006 से जो यह योजना चालू हुई, आज

10 लाख 47 हजार जीविका समूह के माध्यम से 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लोग इस समूह से जुड़े हुए हैं और लगभग 19 लाख ऋण संबंध स्थापित किये गये जिसमें साढ़े 34 हजार करोड़ की राशि भी वितरित की गई है और बहुत तरीके के हस्तक्षेप चाहे मछली पालन के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में हो हर क्षेत्र में अब जीविका के द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा रहा है । जीविका की रसोई अपने आप में एक उदाहरण है, अब वह सिर्फ हॉस्पिटल से निकलकर कई संस्थानों में जीविका की रसोई हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा चलाई जा रही है जिससे उनकी आजीविका में, उनके आर्थिक स्तर में विकास हो रहा है । ये सब अग्रणी सोच हैं, इस सोच के साथ ग्रामीण विकास का कार्य किया जा रहा है ।

क्रमशः

टर्न-16/यानपति/27.02.2024

श्री राज कुमार सिंह (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, उसी तरीके से मनरेगा में 17 करोड़ मानव दिवस का जो लक्ष्य था उसको भी लगभग पूरा कर लिया गया है । साढ़े 16 करोड़ मानव दिवस पिछला जो हमारा वित्तीय वर्ष था उसमें कार्य सृजन हो चुका है और इसमें महिलाओं और अनुसूचित जातियों का प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा है । 57 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत रहा है, 20 प्रतिशत से अधिक महिलाओं का भी इसमें योगदान रहा है तो ये सारी चीजें हुई हैं यहां पर और एक बात माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे मेरी बात को, आपने हरेक अंचल कार्यालयों के उन्नयन के कार्य की भी एक योजना रखी और उसके अंदर आवासीय परिसर है उसका भी होना चाहिए लेकिन हमारे क्षेत्र में बड़ी ही मार्मिक बात है साम्हो प्रखंड का जो अंचल कार्यालय है.....

अध्यक्ष : अब आप कंक्लूड कीजिए ।

श्री राज कुमार सिंह : साम्हो प्रखंड का अंचल कार्यालय मुझे लगता है कि ढाई सौ से तीन सौ स्कवायर फीट के एरिया में वह अंचल कार्यालय चल रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जितनी भूमि उस अंचल के पास उपलब्ध है, शायद मानक से कुछ कम भूमि उपलब्ध है लगभग दो बीघा भूमि उपलब्ध है वहां, अगर नीतिगत फैसलों में थोड़ा सा चेंज करके उसको वर्टिकल रूप से एक्सपेंशन करके उस अंचल भवन का निर्माण करा दिया जाय तो मुझे लगता है कि उस साम्हो क्षेत्र के जो वंचित लोग हैं उनके लिये ग्रामीण विकास वहां पर प्रभावी दिखेगा लोगों को

और वह सिद्ध होगा और उसी तरीके से हमारा मटिहानी का जो अंचल का कार्यालय परिसर है वह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है लगभग 15 एकड़ जमीन है उसमें.....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राज कुमार सिंह : लेकिन वह बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । उसको भी एक मॉडल, आदर्श परिसर के रूप में आप उसको स्थापित करने में सरकार की ओर से उसमें सहयोग दें और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राम, आपका समय 17 मिनट है ।

श्री सुरेन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आज बजट के कटौती के समर्थन में बोलने का हमें अवसर मिला इसके लिये हम अपने नेता नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सम्माननीय तेजस्वी बाबू और जो बिहार के ग्रामीण इलाकों का स्थिति जब हम देखते हैं चूंकि बिहार में शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति आप देखिएगा, देखते हैं तो भयावह स्थिति है, गांव में नल-जल की टोटी तो लगा लेकिन टोटी से पानी बाल्टी में नहीं वह सड़क पर नजर आता है । गांव में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उस योजना का लाभ लेने के लिए बी0डी0ओ0 साहब, आवास पर्यवेक्षक के पॉकेट को गर्म करना पड़ता है तब जाकर उस गरीब को झोपड़ी के लिये चंद रुपये मिलता है । हमने कल जो है अपने पंचायत के एक गांव में हम गये हुए थे हमने पूछा कि आपका जो यह मकान है पूरा क्यों नहीं हुआ, तो हम क्या करें कुछ बी0डी0ओ0 साहब और कुछ बीच का दलाल इतना पैसा ले लिया जिसकी वजह से यह मकान पूरा नहीं हुआ । ऐसी स्थिति ग्रामीण विकास विभाग की है । सड़कें टूटी हुई हैं, गांव के लोग बेबस-लाचार हैं पदाधिकारियों के रवैये से, कहां हैं हमारे नीति की बात करनेवाले नीतीश बाबू क्या गांव की बेबस जनता आपको नजर नहीं आती है ? XXX

अध्यक्ष : शब्दों का उच्चारण ठीक करिये । शब्द का चयन ठीक करिये । गलत परंपरा कायम मत कीजिए सुरेन्द्र जी । इसको हटा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राम : मैं तर्क के साथ इस चीज को सिद्ध करता हूं, आप शांति से चुपचाप बैठिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उसको निकाल दिया गया है प्रोसीडिंग से ।

श्री सुरेन्द्र राम : XXX लेकिन जब-जब राजद से इनको सहारा मिला, जिस पेड़ पर आशियाना, सहारा मिला, मौका मिला तो उस पेड़ को भी काटने से पीछे नहीं हटे, ऐसी इनकी नीति और ऐसी इनकी फितरत है । आप गांव में देखे होंगे कि किस तरह से स्वच्छताकर्मियों की हालत है, सभी को संविदा की चकरी में, किसानों को और जो काम करनेवाले लोग हैं उन सब को पीसा जा रहा है, वह झूठ का ही बड़े-बड़े संतों की जयंतियां मनाते हैं । मैं संत शिरोमणि गुरू रविदास जी की चंद पंक्ति को मैं बोलना चाहता हूं । संत शिरोमणि गुरू रविदास जी कहा करते थे कि

''ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ा सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न ।''

लेकिन यह तो जयंतियां मनाते हैं लेकिन कभी-भी संतों की विचारधारा और उनकी वाणियों पर कभी अमल नहीं किये । यह हमारे महापुरुषों की जयंतियां तो मनाते हैं कभी उसपर चलने का साहस नहीं जुटा पाये । तभी तो आज बिहार की बदहाल स्थिति है । आप देखते हैं कि बिहार से ट्रेन भर-भरकर लोग जो है दूसरे राज्यों में काम ढूढ़ने के लिये, काम मांगने के लिये । आप देखते होंगे कि किस तरह की बदहाल स्थिति में बिहार की जनता है । बिहार में न तो कोई कल-कारखाना लगा, न कोई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार के पदाधिकारियों के पॉकेट को भरा जा रहा है, ऐसी इनकी नीति है । ऐसे नीतीश कुमार जी को हम क्या कहेंगे अनीति कुमार, जिनकी कोई नीति न हो, जिनका कोई सिद्धांत नहीं हो यह सिर्फ अपनी कुर्सी के लिये कभी-भी किसी से भी हाथ मिला सकते हैं । एक हाथ आगे तो दूसरा हाथ पीछे भी मिलाते हैं, कभी आगे वाला धोखा देता है तो हमलोग हमेशा इनके, हमारे परम आदरणीय, सम्माननीय, गरीबों के मसीहा, जन-जन के नेता हमारे दूसरे अंबेडकर साहब जो अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलनेवाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिनको हमेशा एक छोटा भाई माने.....

(क्रमशः)

XXX - आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

टर्न-17/अंजली/27.02.2024

श्री सुरेन्द्र राम (क्रमशः) : और जब-जब इनपर मुसीबत पड़ी, हमेशा वे एकदम तटस्थ होकर के, खड़ा होकर के इनको मदद करने का काम किया । आप देखते होंगे कि बिहार में, हमेशा बिहार की स्थिति जो है इनकी वजह से बदहाल है, आपको मैं जानकारी

के लिए बता देना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन के द्वारा एक लेटर निकला हुआ था उस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो भी फोर्थ ग्रेड की बहाली होगी, वह बहाली नहीं होगी, अब सामान्य प्रशासन का जो लेटर निकला है सभी विभाग में, उसमें स्पष्ट था कि बिहार के सभी विभाग अब सामान्य प्रशासन के द्वारा उस लेटर के आलोक में स्पष्ट लिखा हुआ था कि अब नियमित बहाली फोर्थ ग्रेड की नहीं की जाएगी । आप देखते होंगे क्या फोर्थ, जो चपरासी के कार्य करने वाले लोग हैं, जो मेस्तर-सफाई के कार्य करने वाले लोग हैं, जो माली के कार्य करने वाले लोग हैं, जो दरबान के कार्य करने वाले लोग हैं, चपरासी के कार्य करने वाले लोग हैं, क्या उनके बाल-बच्चे नहीं होते हैं ? क्या उनके परिवार के लोग नहीं होते हैं ? क्यों नहीं उनकी नियमित बहाली होती है? क्यों नहीं होता है मैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं ? कैसे आप कहते हैं कि मैं महादलितों का, दलितों का और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का हिमायती हूं । आप हिमायती नहीं हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के, दलित के हिमायती नहीं हैं, आप महादलित के हिमायती नहीं हैं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आप अल्पसंख्यक के हिमायती नहीं हैं, सबसे ज्यादा आपके शासन काल में किसी को कष्ट हुआ तो वह कष्ट अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक भाइयों का हुआ तो आप क्यों नहीं सफाई कर्मचारी का, आप क्यों नहीं सफाई करने वाले लोगों की, दरबानी करने वाले लोगों की नियमित बहाली करते हैं ? थोड़ा सा भी आप में शर्म बचा हुआ है तो जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वह नगर विकास विभाग के तहत हो या विद्यालय में काम करने वाले लोग हों या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हों, चाहे स्वच्छताग्रही ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको आप नियमित कर दीजिए तभी मैं आपको जानूंगा कि आप सचमुच में बिहार के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका आप हिमायती हैं । आप जब क्लास थ्री में बहाली करा रहे हैं, क्लास सेकेंड की बहाली होगी और जब क्लास वन की बहाली होगी तो क्लास फोर की क्यों नहीं नियमित बहाली कर रहे हैं ? आपसे पूछना चाहते हैं मेस्तर वर्ग के लोग, आपसे पूछना चाहते हैं दलित वर्ग के लोग, आपसे पूछना चाहते हैं अति पिछड़ा वर्ग के लोग, क्यों नहीं क्लास फोर में नियमित बहाली हो रही है ? आप तो उसको ठेकेदारी प्रथा से, आखिर ठेकेदारी से क्यों उनकी बहाली कराना चाहते हैं क्यों, मैं इस बात

को पूछना चाहता हूं और आपसे यह जानना चाहता हूं । आप स्मार्ट बिजली मीटर लगा रहे हैं, हम तो देखते हैं अपने गांव में गरीबों के घर पर बिजली का कनेक्शन लगा और बिजली का बिल नहीं भरने की वजह से उनका कनेक्शन काट दिया गया, क्यों नहीं गरीबों के लिए मुफ्त बिजली देना चाहते हैं ? हम अपने विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव लेने का हमने काम किया कि जो भी बिहार में बी0ओ0सी0डब्लू0 बोर्ड के तहत मजदूर रजिस्टर्ड हैं उनको मुफ्त बिजली दिया जाएगा, उसका जितना बिजली का बिल मीटर आएगा उसको हम लोग, विभाग के द्वारा दिया जाएगा तो हमको डायरेक्ट फोन करके ये कहें कि आप क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हैं, आप ऐसा निर्णय लेने वाले कौन होते हैं ? उसके बाद हमने सीधा-सीधी लिखा 21 लाख कामगारों को बिजली का बिल अनुदान मिलेगा, इस पर स्पष्ट हमको फोन आया, हमारे विभाग के पदाधिकारी पर भी फोन आया, हम पर भी फोन आया कि ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया मजदूरों के हक में, आप क्यों गरीबों के हक में ऐसा निर्णय लेने वाले इस निर्णय को आप ड्रॉप कीजिए । आप मजदूरों के हक में आप नहीं काम करने वाले लोग हैं, गरीबों के हक में काम करने वाले लोग नहीं हैं, आप ऐसे लोगों के पक्ष में जाकर के सट गए जो न तो सामान्य वर्ग के लोगों का हिमायती है, न पिछड़ा वर्ग के लोगों का हिमायती है, न महिलाओं का हिमायती है और न दलितों का हिमायती है । मैं आपको यह बता दूं कि बाल श्रम भारत सरकार यह सर्वे बताता है कि पहले सामान्य वर्ग के लोगों को वर्ष 2018 से 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसमें स्पष्ट था कि सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत भागीदारी थी लेकिन फिर बाद में जो सर्वे हुआ है उससे स्पष्ट हुआ कि सामान्य वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी घटकर के 26 प्रतिशत आ गया तो आपने बीच में 10 प्रतिशत का आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को देने का काम किया तो यह 33 से 43 न होना चाहिए, यह 26 कैसे हो गया ? आप जो हैं सामान्य वर्ग के साथ चीटिंग, आप जो है अति पिछड़ा वर्ग के साथ चीटिंग, पिछड़ा वर्ग के साथ चीटिंग, आप चीटिंग करने वालों के साथ आप सटकर के उनकी भाषा बोलने का काम कर रहे हैं । मैं हमेशा से ही हमारी पार्टी जो है, हमारा दल जो है गरीबों का हिमायती है, हमारी पार्टी जो है सब को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है तभी तो ताड़ी छेने वाला, वे कौन लोग थे, पासी लोग थे, तभी तो हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस वक्त ताड़ी को फ्री करने का काम किया । आखिर ताड़ी विशेष करके किसी की जीविका थी, रोजगार था, पासी समाज के लोग...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें । आपका समय हो गया है । अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सुरेन्द्र राम : पासवान समाज के लोग, चमार समाज के लोग, सभी लोगों का यह पेशा था और उसको आपने बंद करके रोजगार खत्म करने का काम किया तो आप जो हैं मछुआरों को लेकर, हमारे मल्लाह समाज भाई, नोनिया, बिंद समाज के भाई के लिए, आपने कोई ऐसी नीति बनाई कि उनकी घर की माली स्थिति, उस परिवार की माली स्थिति सुधर सके, आप हमेशा से अति पिछड़ा दलित, महादलित वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने का काम किये और जिसके चंगुल में आप गए हैं वह हम जानते हैं कि आपका हश्र क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फिर आप हसरत भरी निगाहों से आप देखेंगे ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हो गया है । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद जी । आपके पास बारह मिनट का वक्त है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के तृतीय अनुपूरक व्यय के लिए 77,97,00,000 रुपये से अधिक की राशि की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, इसके गिलोटिन में लगभग 38 विभाग शामिल हैं । महोदय, कुछ तो बात हमारे मित्र हैं रामानुज जी, वे कह रहे थे और उनके सब साथी बड़े मजे से सुन कर के उनका समय बढ़ा रहे थे । मैं उनके लिए कुछ पंक्ति कहना चाहता हूं । रामानुज जी तो चले गए, ललित बाबू हैं सुनने के लिए-

''फलसफा समझो, न असरारे सियासत समझो,
जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो,
जाने किस दिन हो जाए हवाएं भी नीलाम यहां,
आज तो साँस भी लेते हो, गनीमत समझो ।''

महोदय, बार-बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर इस तरह से आप डरते रहें तो शून्य पर चले जाएंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मैं इस सदन में 2010 में था और इनकी संख्या क्या हो गई थी आपको पता है महोदय । 22 की संख्या से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज इनकी यह संख्या बल है ।

(क्रमशः)

टर्न-18/आजाद/27.02.2024

...... क्रमशः ......

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जिसको लेकर ये इतराते हैं, इठलाते हैं और उन्हीं पर तोहमत लगाते हैं, जिन्होंने इनको यहां लाकर सदन में रखा है । महोदय, गठबंधन टूटने की छटपटाहट होती है लेकिन वेदना इस कद्र होगी, यह रामानुज जी बयान कर रहे थे तो लग रहा था कि सम्पूर्ण शरीर जल रहा है । इतनी वेदना राजनीति में नहीं होनी चाहिए । इसलिए मैंने वह पंक्ति बताया ।

श्री ललित कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गठबंधन से आये हैं, हमलोग 80 आये अपने गठबंधन से, यह उनको बता देना चाहता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं भी उनको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मैं 1990 में चुनाव लड़कर आया था विधान सभा का और अपने पार्टी के कार्यालय में बैठा हुआ था और उसी समय माननीय लालू जी आते हैं और गठबंधन का पत्र लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आये और वे मेरे खिलाफ आये थे कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो रामानुज बाबू सिद्धांतविहीन राजनीति की चर्चा कर रहे थे ......

उपाध्यक्ष : विषय वस्तु पर माननीय सदस्य अपनी बात रखिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, विषय पर ही आ रहा हूँ । यह उनका सवाल था, इसलिए जवाब देना लाजमी था । ऐसे मैं विषय से भटकता नहीं हूँ, जानते हैं हमारे सभी मित्र । लेकिन कुछ बात अगर ऐसी हो जाय तो उसका उत्तर दिये बिना रह जाना भी पुरूषार्थ नहीं होता है । हमारे रामानुज भाई आ गये, सिद्धांतविहीन राजनीति की बात कर रहे थे, मैं उनको एक पंक्ति और याद दिलाना चाहता हूँ -

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ है, समय लिखेगा, उसका भी अपराध ।
सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है ।

और इन पंक्तियों के साथ जिन्होंने राजनीति की शुरूआत की ......

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, जिन लोगों ने राजनीति की शुरूआत की, उनका मैं हश्र बताता हूँ कि कैसे सिद्धांत से भागकर जिस कांग्रेस के खिलाफ......

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : रामानुज बाबू, आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जिस कांग्रेस के खिलाफ पानी पी-पी कर गाली दे रहे थे लालू प्रसाद जी, जिस कांग्रेस के खिलाफ लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, 15 साल तक सत्ता में रहे, उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हुए हैं और सिद्धांत की बात करते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : रामानुज बाबू, आप अपना आसन ग्रहण करें, टोका-टोकी नहीं करें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, दूसरी बात यह गठबंधन की राजनीति पर बहुत कटाक्ष कर रहे थे, इठला भी रहे थे, इतरा भी रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या नहीं बक रहे थे । महोदय, मैं रामानुज भाई को याद दिलाना चाहता हूँ, 1967 में इस देश में गठबंधन की राजनीति की शुरूआत हुई और 1967 में दो महापुरूषों का मिलन हुआ । समतामूलक समाज की बात करने वाल डॉ0 लोहिया और एकात्म मानववाद दर्शन की बात करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय और दोनों के मिलने के परिणामस्वरूप, उस समय हमारे साम्यवादी मित्र भी शामिल थे....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका-टोकी नहीं रामानुज बाबू, कृपया आप बैठ जायं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : गैर-कांग्रेसवाद का नारा बुलन्द करके और देश के अन्दर पहली बार 8 राज्यों से कांग्रेस को बेदखल करने का काम किया था, एक एक्सीडेंट भी हो गया था कि केरल में वामपंथियों की सरकार बन गई और उस समय हमारे माननीय नेताओं ने कहा कि एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक छोटा राज्य उनके हाथ चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक वह उन्हीं के पास पड़ा हुआ है, यह दु:ख का विषय है महोदय । लेकिन उस समय से गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई और आज तक वहीं से गठबंधन बनता और बिगड़ता रहा है । यह तो आपका ही काम रहा है टूटना, बिखड़ना और मिलना, यह तो आपका इतिहास रहा है । फिर आप क्यों रो रहे हैं अपने ही विषय पर और एक बात और आपने कही थी कि समतामूलक समाज और सनातन की बात तो सनातन से ही समतामूलक समाज बनता है, इसको ठीक से पढ़ लीजिए और डॉ0 लोहिया का वह पुस्तक पढ़ लीजिए, राम, कृष्ण और शिव, जहां उन्होंने राम, कृष्ण और शिव के बारे में लिखा है, दर्ज किया है अपने पुस्तकों में, डॉ0 लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं का भी किताब पढ़ा कीजिए । महोदय, मैं तो जानता था कि ये लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, बजट पर चर्चा करेंगे लेकिन मैं नहीं जानता था कि रामानुज भाई आजकल सतसंगत में पढ़ना-लिखना छोड़ दिये, जब नौवीं पास नेतृत्व करेगा तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति का कैसा विचार होगा, यह कहावत भी है कि शेर का नेतृत्व अगर गिदड़

करे तो शेर गिदड़ हो जाता है और गीदड़ का नेतृत्व अगर शेर करने लगे तो गीदड़ भी शेर की भाषा बोलने लगता है.....

उपाध्यक्ष : अरूण शंकर बाबू, ग्रामीण विकास विभाग पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ, हो गया बहुत, अब मैं बजट पर ही बोलूंगा, दूसरे विषय पर मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता है ।

महोदय, भारत में 6.5 लाख से अधिक गांव है, उसके विकास के लिए हमलोग यहां बैठे हैं । बिहार में भी 45103 गांव हैं, उसपर चर्चा करने के लिए इस सदन में हमलोग आये हैं लेकिन आये थे महोदय, हरि भजन को ओटन लगे कपास, और वैसे लोग जो 70 चूहा खा गये और बिल्ली चली हज करने और ये आज हज करने जा रहे हैं । महोदय, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा मत करिए कि फूट गई खप्पड़ी सलाम भाई चूल्ही, यह कभी मत करिए भैया ।

आईए अब मुद्दों पर, भारत गांवों का देश है, 65 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है महोदय । लगभग 2.6 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं महोदय और पंचायतों में 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 46 प्रतिशत महिलायें हैं और आज अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी की उस समय की एन0डी0ए0 सरकार की । इन दोनों के कारण हो पाया था और महिला आरक्षण मिला ग्राम पंचायतों में जो देश भर में नजीर पेश किया महोदय । यह है एन0डी0ए0 की उपलब्धि, यह है नेचुरल एलायंस । पहले नेचुरल एलायंस क्या था महोदय कि दो-दो महीने तक मंत्री कार्यालय नहीं गये, कभी दस्तखत नहीं किया फाईल पर लेकिन वाहवाही लेने के लिए यात्रा निकाल लिये हैं और कहते हैं कि सारा बहाली हमने किया है । जिसके नेतृत्व में राज्य चलता है, हुकूमत उसका चलता है, जिसके हुकूमत में देश चलता है, उसका हुकूमत चलता है । इसलिए ऐसा श्रेय मत लीजिए कि हास्यास्पद हो जाईए कल । इसलिए मैं मित्र के नाते चूँकि आप हमारे मित्र हैं, मैं यह आपको नसीहत देता हूँ । महोदय, दो विचार के मिलन के फलस्वरूप क्या होता है.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका-टोकी नहीं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलते हैं तो बिहार की तस्वीर बदलती है महोदय और जब फिर इन लोगों का साया पड़ता है बिहार पर तो बिहार फिर से अपराध की गर्त में चला गया, जंगल राज पार्ट-2 बनने के लिए तैयार था । लेकिन मैं तो शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार जी कि इन्होंने नरेन्द्र मोदी जी के साथ मिलकर के फिर

उस नेचुरल एलायंस को लाकर के इस बिहार को राहत देने का काम किया है और बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है, महोदय ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : अरूण बाबू, आप आसन की ओर देखकर बोलें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जी महोदय, देश भर में सतत विकास की अब बल्कि देश भर में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दुनिया जब बैठी थी तो सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया कि ग्रामीण विकास कैसे होगा दुनिया भर में तो सारे देशों ने मिलकर इसको स्वीकार किया और 01 जनवरी, 2016 से इसको लागू किया गया और दुनिया भर में जो 17 लक्ष्य टारगेट किये गये महोदय, जिसमें 169 अवयव थे और उसके लिए 7 निर्धारित कार्यक्रम तय हुआ, जो आज सम्पूर्ण दुनिया में लागू है और उसके सहारे ग्रामीण विकास की कल्पना स्मार्ट गांव के रूप में की जा रही है । महोदय, स्मार्ट गांव के भी बहुत सारे पहलू हैं । सबकी चर्चा चूँकि माननीय हमारे जनक जी हमारे पार्टी के सचेतक हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारा संक्षिप्त समय कर दिये तो विषय छोड़कर मैं अपने मित्र के जवाब देने में लग गया ।

..... क्रमशः ......

टर्न-19/शंभु/27.02.24

श्री अरूण शंकर प्रसाद : क्रमशः महोदय, उसके 9 विषय में 17 अवयव समेटे हुए है । पहला है गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त गांव जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कल्पना का है।

उपाध्यक्ष : आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जी महोदय । पहला है गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त गांव, दूसरा है स्वस्थ गांव, तीसरा है बाल हितैषी गांव, चौथा है जल पर्याप्त गांव, पांचवां है स्वच्छ एवं हरित गांव, छठा है आत्मनिर्भर अधोसंरचना से युक्त गांव और सातवां है सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव और इसी को आगे बढ़ाते हुए आठवां सुशासित गांव और नौवां है महिला हितैषी गांव । महोदय, इनपर व्यापक रूप से जब हम विचार करते हैं तो इसमें वे सारे विषय आ जाते हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी का विजन है सात निश्चय उसके सारे अवयव इसमें समाहित है । महोदय, आज जल जीवन हरियाली एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को जीवन भी दे रहा है जल भी दे रहा है और प्रकृति को हरियाली भी दे रहा है ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने मिलकर एक स्मार्ट गांव बनाने की जो कल्पना किया है 2030 तक ये देश के अंदर साकार होगा ।

उपाध्यक्ष : श्री अजय कुमार सिंह, प्रारंभ करें । आपके पास 14 मिनट का समय है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : मैं अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए महोदय, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा उजाला देनेवालों की कभी हार नहीं होती । इसलिए आप निश्चिंत रहिये ये जीत का श्रेय आदरणीय नीतीश जी और भारत के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेन्द्र मोदी जी को जानेवाला है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । आपके माध्यम से मैं माननीय श्रवण बाबू को धन्यवाद देता हूँ कि जब हमलोग सरकार में थे, हमारे साथ थे तो इसी सदन में कहा करते थे कि दो वित्तीय वर्ष से मनरेगा का, इंदिरा आवास जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है- दो वित्तीय वर्ष से हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है । उपाध्यक्ष महोदय, यू0पी0ए0 सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया और 45 साल के भीतर सबसे अधिक इस सरकार में गरीबी रेखा में लोग चले गये । मैं नहीं कहता पार्लियामेंट के फ्लोर से केन्द्र की सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मैं देता हूँ । इस सन्दर्भ में कवि दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि सड़क पर खड़ा आदमी चीथरे पहने हुए नाम मैंने उसका पूछा कहा कि हिन्दुस्तान है । उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार जब अध्यक्ष महोदय आसन पर आसीन थे तो कहा करते थे कि बजट पर बोलिये, बजट पर बोलिये । ये जो अनुपूरक बजट लाया गया है जिसका मुखबंध जो सब विभाग इसके भीतर हैं जिसे अंग्रेजी में गिलोटिन कहा जाता है । ये इटेलियन शब्द है गिलोटिन का मतलब होता है गर्दन काटना यानी सब विभागों के गर्दन काटने की बात है, लेकिन अनुपूरक बजट के संबंध में जो संविधान कहता है । संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार विनियोग अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए किये गये प्रावधान के अतिरिक्त अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग चालू वर्ष के दौरान किया जा सकता है । जब ऐसे अतिरिक्त व्यय जो कि अपरिहार्य हो और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई संभावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके । तब संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं जिसे बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है । यह संविधान कहता है । यह बात मैंने

इसलिए कहा कि 2018-19 में ग्रामीण विकास विभाग के राजस्व का बजट 15320 करोड़ रूपया था और वास्तविक व्यय 12777 करोड़ रूपया हुआ फिर भी अनुपूरक 3632 करोड़ रूपया लिया गया । ये संविधान की व्याख्या के अनुरूप नहीं है 2018-19 का मामला है । महोदय, 2019-20 में राजस्व के लिए ग्रामीण विकास द्वारा 15639 करोड़ रूपया लिया गया और वास्तविक व्यय 9692 करोड़ रूपया हुआ । मूल बजट से व्यय कम हुआ, लेकिन अनुपूरक 2924 करोड़ रूपया लिया गया । महोदय, 2020-21 में जो लिया गया वह 15940 करोड़ रूपया, अनुपूरक लिया गया 1891 करोड़ रूपया और व्यय हुआ 9299 करोड़ रूपया । इसके बाद 2022-23 में जो लिया गया इसमें 45 विभाग ऐसे थे जिनमें अनुपूरक लेने की जरूरत नहीं थी और ग्रामीण विकास के द्वारा 16784.66 करोड़ रूपया लिया गया और अनुपूरक का प्रावधान था 6386.12 करोड़ व्यय हुआ 13994.68 करोड़ बच गया- मूल प्रावधान में बचत हो गयी 2789.98 करोड़ । महोदय, संविधान कहता है कि जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप अनुपूरक बजट ले आइये तो सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए आपने जो मूल बजट का प्रावधान किया है क्या वह समाप्त हो गया ? यह आपको सदन को बताना चाहिए कि अगर समाप्त हो गया है तो आप अनुपूरक ले आइये, अगर नहीं समाप्त हुआ है तो इसकी जरूरत नहीं है । महोदय, मैंने तीन चार साल का आंकड़ा दिया है आपके सामने प्रस्तुत किया है । 51 मांगे जो सरकार के द्वारा की जाती है और हर विभाग में अनुपूरक बच ही जाता है करीब-करीब । इतना ही नहीं ये 31 मार्च को फिर जब आपके खजाने में लौट आयेगा तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गयी आपको । जिन साल का मैंने हिसाब-किताब दिया, कुछ मित्र हमारे बाहर में कह रहे थे कि 2020-21 के कोरोना काल का मामला था तो मेरी नजर स्वास्थ्य विभाग के अनुपूरक और बजट पर गयी । मैंने कहा कि अगर कोरोना काल का मामला था तो स्वास्थ्य बजट तो बढ़ जाना चाहिए था । महोदय, ये पूर्ण रूप से वित्तीय कुप्रबंधन का मामला है।

क्रमशः

टर्न-20/पुलकित/27.02.2024

(क्रमशः)

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं वे सरकार को या तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं । संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, मुझे यह आपके माध्यम से कहना है । महोदय, यह स्थिति तब पैदा होती जब राजनीति अपने धर्मनीति से विमुक्त हो जाती । राजनीति अपने धर्मनीति के कर्त्तव्य

से अलग चलने लगती है तब यह विप्लव की व्यवस्था पैदा हो जाती है । सिर्फ चर्चाएं इस सदन में यह चलती है जब कोई जय श्री राम की बात करता, कोई सनातन की बात करता तो जय श्री राम की बात करने से पहले यह बात समझ लेनी होगी कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है । मर्यादा पुरुषोत्तम में कुछ विशेषताएं होती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम वही हो सकता है जो हमेशा क्षमा करता है । राम के नाम का जिसने मिसयूज भी किया उसको भी राम ने क्षमा किया । हम और आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो उसके पीछे हमारा अहंकार खड़ा होता है । उपाध्यक्ष महोदय, सनातन की जब चर्चा होती है गांधी ने भी गीता पर भाष्य लिखा है, तिलक ने भी लिखा है, विनोबा ने भी लिखा है और बिहार में किसान और मजदूर का आंदोलन चलाने वाले स्वामी सहजानंद ने भी लिखा है । पहली बार अगर सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है । महोदय, कृष्ण ने बतलाया कि यह सनातन है क्या । कृष्ण ने सनातन के संबंध में कहा कि आत्मा का ही धर्म सनातन है । महोदय, क्या आत्मा सिर्फ हिन्दुओं में है, क्या मुसलमानों में आत्मा नहीं है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ग्रामीण विकास विभाग पर अपना बहुमूल्य सुझाव रखें ।

(व्यवधान)

आप अच्छा बोले थे पहले ।

श्री अजय कुमार सिंह : जी । हुजूर, हमने तो ग्रामीण विकास विभाग पर अपना आधा समय दिया । महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे । जब वे धर्म और पंथ में विभाजन किया करते थे तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दल के लोग इसे नहीं मानेंगे। धर्म दो प्रकार का होता है, एक सनातन धर्म होता है और एक युग धर्म होता है । सनातन धर्म में कोई आराध्य नहीं होता है, वहां कर्म की प्रधानता होती है, वहां आचरण की प्रधानता होती है लेकिन युग धर्म में हिन्दू धर्म भी आता है, मुस्लिम धर्म भी आता है, ईसाई धर्म भी आता है । अगर हिन्दू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो अगर सनातन के नियमों का पालन कर रहा है तो उसे मैं....

उपाध्यक्ष : आपका समय निकल रहा है । ग्रामीण विकास विभाग के विषय पर बहुमूल्य सुझाव रखिये ।

श्री अजय कुमार सिंह : इसलिए मैं सनातन धर्म ही उसे कह सकता हूँ । महोदय, पदम पुराण में धर्म के लक्षण की व्याख्या की गयी है । महोदय, याज्ञवल्य संहिता में धर्म के लक्षण की व्याख्या की गयी है । महोदय, विदुर ने धर्म के लक्षण की बात कही है।

उपाध्यक्ष : आपके पास मात्र दो मिनट का समय बचा है ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, इसी पर दो मिनट लेकर अपनी बात कहेंगे । महोदय, कहने का मतलब यह है कि इससे काम चलने वाला नहीं है । यहां तक कि भाजपा जन संघ के संस्थापक बलराज मधोक ने एक किताब लिखी है इंडियनाइजेशन पता नहीं इन लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी । जिसमें उन्होंने वट आर द राईटर्स कंडक्ट ऑफ धर्माज । अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह ये सब जो धर्म के लक्षण हैं, अगर किसी धर्म में इसका कोई पालन करता है तो वह धर्म के लक्षण का पालन करता है । कर्म और आचरण से शुद्ध है तो वह किसी भी पंथ का रहने वाला हो वह सनातन धर्म का पालन कर रहा है । महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । श्री राम जब अयोध्या लौटकर आये थे, मैंने कहा कि उनके राज में सी0आर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 की जरूरत नहीं थी, एक-दूसरे से लोग भेदभाव नहीं करते थे । महोदय, सब स्वस्थ थे, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था उनके यहां बहुत सुदृढ़ थी और पर्यावरण की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि तुलसीदास जी कहते हैं मांगे बारिद देहिं जल रामचन्द्र के काज ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री अजय कुमार सिंह : कुल मिलाकर मैं माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस अनुपूरक बजट को पास करने से पहले आपका जो मूल बजट है वह खर्च हुआ है या नहीं इस पर भी आप जवाब देंगे और सदन के लोगों को भी आप संतुष्ट करेंगे । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह जी, आपके पास 8 मिनट का समय है ।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार समय देने के लिए । हम अपने विधान सभा घोसी की महान जनता का और अपनी पार्टी भाकपा-माले के आभारी हैं जिन्होंने हमें बोलने का अवसर दिया । जिनके आशीर्वाद से मुझे आज बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है । महोदय, मैं बजट की दिशा पर कुछ बात करूंगा। ग्रामीण विकास विभाग एक व्यापक विषय है ऐसे विभाग के दृष्टिकोण से एक विभाग उसे कहा जा सकता है । भारत गांवों का देश है, गांवों का मतलब मजदूरों का, किसानों का इलाका । महोदय, इसलिए मैं एक अपने पूर्व वक्ता माननीय मित्र का एक शेर था और उसमें उन्होंने कहा कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा । महोदय, मैं तो कहूंगा कि मोतियाबिंद आंख में था और आईना साफ करते रहा । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की दिशा के लिए, कहीं कोई रिसर्च का विषय नहीं है । महोदय, जातीय गणना सामने हैं, आर्थिक सर्वेक्षण सामने हैं और आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए मुझे ताज्जुब हो रहा था । सरकार के

जो मुखिया धृतराष्ट्र की तरह बात कर रहे थे । जब सर्वे हुआ हमें तो तब पता चला कि छह हजार से भी कम आमदनी पर भी लोग जिंदा है । महोदय, वे कौन लोग हैं, किनके चलते छह हजार से कम की आमदनी पर लोग जिंदा है क्या सरकार को यह पता नहीं है कि जिन स्कीम वर्करों से हम दिनभर काम लेते हैं । हमारे यहां रसोइया है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा है और हमारे यहां स्वच्छता मित्र है इन तमाम लोगों को 100/- रुपया, 75/- रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हम पारितोषिक के नाम पर, मानदेय के नाम पर देते हैं । वह गरीब अगर छह हजार रुपये से कम पर जिंदा है तो उसका प्रमाण आप है । महोदय, इसलिए हम कहेंगे कि यदि उनके प्रति आप चिंतित है तो आप तय कीजिए कि हमारे चलते छह हजार रुपया से कम पर किसी को जिंदा होना न पड़ें और जो भी स्कीम वर्कर हैं, जो भी लोग हैं जिनसे सरकार काम लेती है वह संकल्प लें कि उसको छह हजार रुपया से कम नहीं देंगे, छह हजार रुपया से उसको ज्यादा देंगे ।

महोदय, इसी के साथ मैं मांग करूंगा कि स्वच्छता कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाए । जो विकलांग हैं, विकलांगजनों को आप दिव्यांग कह कहकर अपनी जिम्मेवारियों से आप बचना चाह रहे हैं, आप उन्हें उनके अधिकारों और मांगों पर विचार कीजिए और उनको विकलांग पेंशन के रूप में पांच हजार रुपया दीजिए । आपको मालूम है कि इलाके में गांवों में कन्या विवाह योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना जैसी योजनाओं की राशि तीन-चार वर्षों से लंबित है, पैसा नहीं गया है । आप उनको राशि जारी कीजिए और उसकी जो राशि हैं महंगाई के अनुपात में उसे आप बढ़ाइये । महोदय, लंबे समय से कोरोना काल में हमलोगों ने देखा है कि सारे अस्पताल जब बंद हो गये थे, जिनको ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं उन्होंने पूरे इलाके की, पूरे ग्रामीण इलाके की जान बचाई है और सरकार ने उनको ट्रेनिंग दी थी, सर्टिफिकेट दिया था । हम मांग करेंगी कि ग्रामीण स्वच्छता कर्मियों को सरकार स्वास्थ्य मित्र के रूप में और जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं गांव इलाके में उनमें उन्हें पदस्थापित करें ।

(क्रमशः)

टर्न-21/अभिनीत/27.02.2024

..क्रमशः..

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप गांव की बात करते हैं तो गांव का मतलब किसान और मजदूर होता है । हमें ताज्जुब होता है कि अभी वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उधर चले गये बोलते हैं अब इधर ही रहेंगे । उधर तो आप रहते ही हैं जाते कहां हैं वे, यह तो बी0जे0पी0 वालों को कभी

इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, आप तो उधर ही रहते हैं और कह रहे हैं । उधर गये हैं और बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास की, किसान-मजदूरों की, महोदय, जिनके साथ आप गये हैं वह अम्बानी के लिए रेड कार्पेट बिछा रही है और किसानों के लिए कीलें ठोके जा रहे हैं । आप उनके साथ गये हैं और ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं । शोभा देता है महोदय, बिल्कुल शोभा नहीं देता । आप जब इधर थे तो आपने जातीय गणना कराया, आपने आरक्षण बढ़ाया, आरक्षण 75 प्रतिशत हो गया । बहुत खुशी हुई थी लोगों को कि अब जो समस्याएं हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए, उनके रोजी-रोजगार के लिए, उनके आरक्षण को हम व्यापक करेंगे, आरक्षण के आधार पर तमाम बेरोजगारों को रोजगार देंगे लेकिन जहां आप गये हैं, आपने तय तो कर दिया कि अब 75 प्रतिशत आरक्षण होगा । एक-एक ग्लास दूध सबको मिलेगा लेकिन जहां आप गये हैं उन्होंने तो गाय ही बेच दिया है महोदय । कहां से आप दूध दीजिएगा ? रेल बेच दिया उन्होंने, हवाई अड्डा बेच दिया उन्होंने, क्या बचा है, पूरे देश का वो खेत ही बेच रहे थे । यह तो आंदोलन को, बधाई देते हैं हम पूरे देश के किसानों को जिन्होंने 13 महीने तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी, शहादत दी और उनको जो सदन में कानून बनाये थे सड़क पर उनको नाक रगड़ कर वापस लेना पड़ा । यह तो बिहार का और देश के किसानों का योगदान है । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास की दिशा खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है । महोदय, लंबे समय से सड़कों पर नारे लग रहे हैं कि ग्रामीण विकास के तीन आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार । महोदय, यह कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, हमलोग अभी देख रहे हैं बड़े पूंजीपतियों के लिए पूरे देश की खेती आप उनको सौंप दे रहे हैं औने-पौने दाम पर लेकिन गांव में जब स्कूल बनाने की बारी आ रही है तो आप दान में जमीन खोज रहे हैं । यह कम महत्वपूर्ण है दान में खोज रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए पूछ रहे हैं कि जमीन दीजिए बनवा देंगे । कौन देगा जमीन ? जमीन आप चार गुणा कीमत देकर, अगर आप इसको महत्वपूर्ण समझते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को तो क्या आप किसानों से जमीन नहीं खरीद सकते हैं । आप नहीं खरीद सकते हैं ? लेकिन सरकार की दिशा इस पर नहीं है । गांव में कहती है कि जमीन दीजिए न स्कूल बना देंगे । सारे स्कूल टैग कर दिये गये हैं । कई प्रश्न विधान सभा के अंदर आये..

उपाध्यक्ष : रामबली बाबू, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, आपका संरक्षण चाहेंगे । पहली बार बोलने का मौका मिला है, पिछले बजट सत्र में भी नहीं बोल पाया था । महोदय, मैं इस तरह से कहना

चाहूंगा कि यह शिक्षा और स्वास्थ्य की जो दिशा है वह दिशा जनपक्षीय हो, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए जमीन अगर उपलब्ध नहीं हो तो जमीन खरीदा जाय । इसके साथ-साथ मैं कहूंगा कि जब बातें आ गयी हैं, जब जातीय गणना में यह गरीबी सामने आ गयी है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री रामबली सिंह यादव : एक मिनट के लिए, महोदय । जब आ गयी है तो मैं कहूंगा कि वह जो दो लाख रुपये 94 लाख लोगों को देने जा रहे हैं इससे पहले आपने जो डी0 बंधोपाध्याय आयोग लाकर जो रिपोर्ट बनायी थी, गरीबों को एक-एक एकड़ जमीन दे दीजिए । इससे बड़ा गरीबी दूर करने का दूसरा रास्ता नहीं होगा । दो लाख रुपये दीजिएगा, छः हजार महीने पर ऐसे ही जिंदा नहीं हैं, कर्ज ले चुके हैं, सूद पर लिए हैं, जब दो लाख रुपये उनको मिलेंगे सूद देने वाला रजिस्टर लेकर पहुंच जायेगा कि पैसा मिला है न दीजिए यहां जमा कीजिए, तो ये उनके पैसे हो जायेंगे । इसलिए ग्रामीण विकास के लिए यह जरूरी है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपका आभार ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल जी । आपके पास 9 मिनट का वक्त है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 2023-24 के बजट के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, बहुत सीनियर माननीय विधायकगण की बातें सुनने का मौका मिलता है सदन में और सीखने का भी मौका मिलता है लेकिन महसूस तो यह होता है कि जब एन0डी0ए0 की गठबंधन वाली सरकार होती है राज्य में, एन0डी0ए0 की गारंटी वाली सरकार होती है तो बिहार विकास के पथ पर अग्रसर होता है और जब-जब महागठबंधन की सरकार बिहार में रही है बिहार के लोग त्रस्त रहे हैं और सारी योजनाओं में लूट-खसोट बढ़ता चला गया है । इस राज्य में हमलोग इस चीज को महसूस किये हैं । महोदय, क्या पता विपक्ष के लोगों को यह पता है या नहीं है कि 2014 के पहले आवास योजना में मात्र 50 हजार रुपये तक आप देते थे, 15 जून, 2015 के बाद से इस देश में गरीबों को डेढ़ लाख रुपये मिलना शुरू हुआ है । पहले आप गरीबों के आवास की चिंता नहीं करते थे । इसकी चिंता नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है पूरे देश स्तर पर, आप कैसे समझते थे कि 50 हजार में गरीबों के घर बन जायेंगे । लाठी के बल पर प्रखंड के कार्यालयों में आधा पैसा बांट लिया जाता था, नरेन्द्र मोदी जी को

चिंता थी, एन0डी0ए0 की सरकार को चिंता थी और हमलोगों ने निर्णय किया कि पैसा लाभुक के खाते में जायेगा और पूरे देश में आवास का पैसा लाभुकों के खाते में जाना शुरू हुआ । पहले तो प्रखंड कार्यालय में लाठी के बल पर बंटवारा होता था । आज लाभुक के खाते में पैसा जा रहा है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने चार कदम आगे बढ़कर निर्णय किया कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास से जो लोग वंचित रह गये होंगे वैसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत 1 लाख 20 हजार रुपये दिये जायेंगे और वैसे लोगों को भी मुख्यमंत्री जी ने आवास उपलब्ध कराने का काम किया । एन0डी0ए0 की सरकार ने जो क्षत-विक्षत आवास थे, जर्जर आवास थे उसकी मरम्मति के लिए 50 हजार रुपये देने का निर्णय किया । 60 हजार रुपये देने का, पहले 50-60 हजार देने का था जिसके पास आवास नहीं होगा, जमीन नहीं होगी, आवास नहीं बना होगा 50 हजार, 60 हजार दिया जायेगा । एन0डी0ए0 की सरकार ने उसको 1 लाख रुपये देने का निर्णय किया । कैसे गरीबों की बात आप करते हैं । आपको गरीबों के आवास की चिंता नहीं है । आपको गरीबों को लाभ पहुंचाने की चिंता नहीं है, यह मनरेगा के माध्यम से केंद्र की सरकार ने गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया । एक तरह का ही काम नहीं किया जल-संचय के मामले में, नहरों की खुदाई के मामलों में, तालाब की खुदाई के मामलों में, इतना ही नहीं पार्कों के पंचायत स्तर पर निर्माण के मामले में, खेल के मैदान के विकास के मामले में भी हमारी सरकार ने चिंता की है । आपको किसकी चिंता रही है, आपने कभी चिंता नहीं की है । महोदय, पहले के प्रखंड कार्यालयों के जर्जर भवन को देखकर महसूस किया जाता था कि जहां बी0डी0ओ0 को बैठने की जगह नहीं है, जहां सी0ओ0 के बैठने की जगह नहीं है, जहां प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख के बैठने की जगह नहीं है, जहां पंचायत समिति के सदस्यों के बैठने की जगह नहीं है, जहां जिला परिषद् के अध्यक्षों को बैठने की जगह नहीं है, जिला परिषद् के मेम्बरों के बैठने की जगह नहीं है, जहां मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्यों के बैठने की जगह नहीं है उसकी चिंता हमारी सरकार ने की है और जिला स्तर पर जिला परिषदों में जिला स्तरीय संसाधन केंद्र का निर्माण हुआ, प्रखंड स्तर पर प्रखंड संसाधन केंद्र के लिए पैसा गया और पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हुआ । आज राज्य में 101 प्रखंडों में आई0आर0डी0एफ0 परियोजना के अंतर्गत प्रखंड सूचना प्रौधोगिकी केंद्र का निर्माण हुआ । उतना ही नहीं हुआ 82 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल भवन..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमलोगों की एन0डी0ए0 सरकार का काम कितना बेहतर है आज इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठकर एन0डी0ए0 सरकार के पक्ष में बैठते हैं । इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है । विपक्ष के लोगों को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, आइने की तरह यह दिखता है सदन में । उपाध्यक्ष महोदय, 82 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण हुआ । 101 जगह प्रखंड सूचना प्रौधोगिकी केंद्र का निर्माण हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चिंता की है कि सभी प्रखंडों में आधार पंजीयन के लिए सेंटर खोले गये हैं । छूटे हुए जो लोग हैं वे प्रखंड स्तर पर जाकर आधार में संशोधन करवा सकते हैं, आधार बनवा सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इनके किये हुए काम, इनके द्वारा जो काम किये गये हैं, इनकी जो कुरीति है उसको समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है । महोदय, पहले पंचायतों में केवल एक पंचायत सचिव हुआ करते थे । पूरे पंचायत को चलाते थे, हमारी सरकार ने इसकी चिंता की, पंचायतों में आवास सहायक हैं, प्रखंड के आवास पर्यवेक्षक होते हैं...

..क्रमशः..

टर्न-22/हेमन्त/27.02.2024

श्री पवन कुमार जायसवाल(क्रमशः) : इतना ही नहीं, मनरेगा के सफल संचालन के लिए पंचायतों में रोजगार सेवक हैं, लेखापाल हैं, तकनीकी सहायक हैं । हमारी सरकार ने मनरेगा को सुदृढ़ करने के लिए सैंकड़ों अच्छे-अच्छे उपाय करने का काम किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक सुझाव होगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 01.11.2021 को प्रत्येक राज्य के प्रधान सचिव को निर्देश दिया था कि डीआरडीए को भंग करते हुए डीआरडीए के कर्मियों का समायोजन जिला परिषद में, जिला योजना में, ग्रामीण कार्य में या पथ निर्माण में किसी भी लाईन डिपार्टमेंट में डीआरडीए के कर्मियों का समायोजन किया जाय । लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से 2021 का यह आदेश है और यह आज तक लंबित पड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि डीआरडीए के अध्यक्ष भी जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डीआरडीए को भंग करते हुए इनके कर्मियों का समायोजन जिला परिषद या अन्य लाईन डिपार्टमेंट में करने का काम किया जाय । दूसरा, कि मेरे क्षेत्रांतर्गत ढाका में और घोड़ासाहन में नये प्रखंड सह अंचल भवन का निर्माण नहीं हो सका

है । यह ढाका अनुमंडल का मुख्यालय भी है, जिलाधिकारी का प्रतिवेदन है । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में हर हाल में ढाका और घोड़ासाहन में प्रखंड सह अंचल भवन का निर्माण कराया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी । माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी, आप अपना भाषण प्रारंभ करें ।

श्री सतीश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जय भीम सभी को । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात, जो आज का नया दृश्य हुआ है, इस दृश्य को देखकर ही हमको याद आ रहा है कि-

''बहुत हो रहा है उल्टी-पुल्टी, अब न चलेगी उनकी चलती,
कि सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं ।''

जो जन विश्वास यात्रा में...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके स्थान पर रामबली बाबू बोल चुके हैं ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, आपने नाम हमारा पुकारा श्री सतीश कुमार ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी ।

श्री सतीश कुमार : हम राष्ट्रीय जनता दल के हैं महोदय । हम उल्टी-पुल्टी वाले नहीं हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं महोदय ।

महोदय, हम विपक्ष के द्वारा लाये गये अनुपूरक व्यय-विवरणी में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हैं । महोदय, जो सबसे बड़ी बात कि यहां पर एक बात लिखी थी कि नीति और सिद्धांत के बगैर राजनीति बहुत लंबी नहीं होती है । हम अपने कुछ साथियों से कहना चाहते हैं कि कुछ चंद सिक्कों के लालच में, चंद कुर्सी के लालच में पाला तो आप बदलते हैं, लेकिन जनता की अदालत में इंसाफ जनता करती है और विषय पर ही बोलेंगे महोदय, कि सिक्कों की खनक पर नाचने वालों, रोजगार की बात...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टीका-टिप्पणी नहीं ।

श्री सतीश कुमार : सिक्कों की खनक पर नाचने वालों, जनता हिसाब करने के लिए तैयार है और जो बिहार में सरकार चल रही है, इसको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है । इसलिए अभी भी जुगाड़ में लगी हुई है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रामीण विकास विभाग पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, ग्रामीण विकास का ही मामला है । हम लगभग सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही जीतकर आते हैं । महोदय, यहां पर अभी माले के साथी रामबली जी ने

डी बंधोपाध्याय कमेटी की बात की । अभी मौका है मांझी जी के पास में, मांझी जी ने कहा है एक सभा में कि हमने अपना कर्जा उतार दिया । नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था और हमने नीतीश कुमार जी की कुर्सी बचाकर अपना कर्जा उतार दिया । यदि इनके चार विधायक अबसेंट हो जाते, तो सरकार गिर जाती । महोदय, गरीबों के रहनुमा हैं मांझी जी, हम इनसे यह कहना चाहते हैं कि ये सरकार से कहें कि डी बंधोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, नहीं तो हम समर्थन वापस लेते हैं । महोदय, तब जाकर ज्यादातर दलित, महादलित परिवारों को जमीन मिल पायेगी और अभी इंदिरा आवास की बात कर रहे थे, अभी रामप्रीत पासवान जी बैठे हैं, इंदिरा आवास की बात कर रहे थे और हमें इनके साथ भी पूरा बिहार घूमने का मौका मिला । बिहार का एक भी इंदिरा आवास ऐसा दिखा दें जिसमें पलस्टर, खिड़की, किवाड़ और फर्श बना हो, तो क्या उस स्टीमेट में पलस्टर के लिए भी पैसा नहीं होता है, खिड़की, किवाड़ लगाने के लिए पैसा नहीं होता है या जमीन बनाने के लिए पैसा नहीं होता है । तो उनका पलस्टर, खिड़की, किवाड़ और जमीन का पैसा कौन खा जाता है ? महोदय, ये लंबे समय से ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इसका हिसाब इनको देना चाहिए कि गरीबों की जो कॉलोनियां बन रही हैं उस पर पलस्टर क्यों नहीं होता है, उसमें खिड़की दरवाजें क्यों नहीं होते हैं ? महोदय, यह बात उनको बतानी चाहिए । महोदय, और रही बात ग्रामीण विकास की, तो हम बताना चाहते हैं कि अभी अनुपूरक बजट है और बजट में 94 लाख परिवारों को दो-दो लाख रुपया देने की बात हुई है । इसका मतलब जातीय आधारित गणना में यह साबित हुआ है कि पहले जो डी बंधोपाध्याय कमेटी में 21 लाख गरीब परिवार चिन्हित किये गये थे, अब उसकी संख्या बढ़कर 94 लाख हो गयी है । महोदय, इससे साबित होता है कि 94 लाख परिवार भूमिहीन हैं, गरीब हैं । तो जब तक हम उनको खेती योग्य जमीन नहीं देंगे, तब तक उनका असल विकास नहीं हो सकता है । महोदय, दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना की बात रामप्रीत पासवान जी ने की । हम अभी जन विश्वास यात्रा के लिए नुक्कड़ सभा करने एक गांव में गये । एक महिला ने मेरा हाथ पकड़कर, बूढ़ी माता जी थी, हमको घर में ले गयी और उन्होंने कहा कि बेटा देखो, यह सिलेंडर मिला था जिसमें 5 जगह टीका लगा दिया है और रोज प्रणाम करते हैं कि कब हमारे पास 1200 रूपया होगा कि सिलेंडर हम भरायेंगे । तो यह हकीकत है महंगाई की । महोदय, मखदुमपुर से हम आते हैं, जहां की महान जनता ने हमको चुनकर भेजा है । महोदय, मखदुमपुर पूरे बिहार में एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर कुश्ती और दंगल सबसे ज्यादा होता है और हम सरकार से चाहते हैं कि

ग्रामीण विकास मंत्री स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं, तो हमारे मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र में एक कुश्ती का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यदि बनाया जाय, तो देश को गोल्ड मेडल जिताने वाले कुश्ती पहलवान वहां से पैदा होंगे । महोदय, इसलिए हम चाहते हैं कि वहां कुश्ती का खेल स्टेडियम बनाया जाय और पिछले बजट सत्र में भी हमने कहा था कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लॉक आते हैं मखदुमपुर और काको । मखदुमपुर 22 और 19 नगर पंचायत का ब्लॉक है, लेकिन उसका अपना भवन, वही अंग्रेज के समय वाला भवन है, तो प्राथमिकता के आधार पर मखदुमपुर का ब्लॉक भवन का निर्माण कराया जाय, काको के ब्लॉक भवन का निर्माण कराया जाय । यदि वह ब्लॉक भवन का निर्माण नहीं कराया जाता है, तो इतने बड़े ग्रामीण इलाके में विकास को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा । महोदय, यहां पर उप मुख्यमंत्री भी हैं । स्वास्थ्य विभाग के 400 से ज्यादा डॉक्टर वेटिंग फॉर पोस्टिंग हैं और उनका डेली अटेंडेंस सचिवालय में बनाया जाता है और प्रत्येक महीना उनसे आर्थिक दोहन भी किया जाता है । तो उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा की बात की थी, तो जो 400 से ज्यादा डॉक्टर सचिवालय में वेटिंग फॉर पोस्टिंग हैं और वह अपनी अटेंडेंस सचिवालय में जाकर बनाते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-23/धिरेन्द्र/27.02.2024

(क्रमशः)

श्री सतीश कुमार : महोदय, उनका अगर ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग कर दिया जाय तो ग्रामीण इलाकों का स्वास्थ्य और सुदृढ़ हो सकता है, यह हम कहना चाहते हैं । इसलिए यह जो सरकार काम कर रही है, वह ग्रामीण हितों के काम कम और शहरी हितों का काम ज्यादा कर रही है, यह दिखाई पड़ता है । सम्पन्न लोगों के हितों का काम ज्यादा, गरीब लोगों के हितों का काम कम । कई एक बार हमलोगों ने सदन में कहा है कि जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है ? जो किसानों का मालगुजारी, किसानों के दाखिल खारिज में जो बिचौलियों के द्वारा पैसे की उगाही होती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है ? लगातार आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं तो क्या बिहार का विकास का श्रेय आपको जाता है तो इस भ्रष्टाचार का श्रेय भी आपको नहीं जाता है कि गरीब-गुरबों, किसानों से उगाही करवाने का काम करते हैं । तो इस तरीके का हालात ग्रामीण इलाकों में बनाया गया है, उस पर हम चाहते हैं कि सरकार इस पर सख्त कानून बनाये कि जो भी भ्रष्टाचार करे उसको कड़ी-से-कड़ी सजा मिले, ऐसा नहीं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए दरवाजा खोल दिया है कि हमारे यहाँ आओ तो

सदाचारी होगे और दूसरे के यहाँ रहोगे तो भ्रष्टाचारी होगे । उस नीति से यह कल्याण नहीं हो सकता है तो तमाम चीजें ग्रामीण विकास विभाग में और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग में जो काम विकास के होते हैं, जो योजना मद के काम होते हैं, उसकी गुणवत्ता के लिए जितना पर्याप्त जे॰ई॰ होना चाहिए, जितना पर्याप्त ए॰ई॰ होना चाहिए, वे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण, सात निश्चय से बनने वाली सड़कें या सात निश्चय से बनने वाली नालियाँ या सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल जो व्यवस्था किया जा रहा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि गुणवत्ता की कमी है, साफ-साफ दिखेगा, क्योंकि टेक्निकल लोगों की वहाँ पर कमी है । जो एम॰बी॰ बुक करते हैं, वे नन-टेक्निकल लोग एम॰बी॰ बुक करते हैं तो क्या वे मेजरमेंट करेंगे, जिनको खुद ही टेक्निकल जानकारी नहीं है तो ग्रामीण विकास विभाग में टेक्निकल लोगों की संख्या बढ़ायी जाय, जिससे ग्रामीण स्तर पर जो होने वाले विकास हैं, उसमें भी उनको कम-से-कम, जैसे-हम ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें पाँच साल मेंटेनेंस के लिए बनाते हैं तो उसी तरीके से ग्रामीण विकास की भी जो सड़कें बने, उसका भी एक मेंटेनेंस पॉलिसी हमको बनाना चाहिए, जिससे हम उसको मेंटेन कर सकें, जिससे हम और लंबे समय तक के लिए उसको सुगमता प्रदान कर सकें और जो ग्रामीण इलाकों में नालियाँ बन रही हैं, उन नालियों की सफाई कभी नहीं होती है । इसकी एक, नाली की साफ-सफाई की एक पॉलिसी तय हो कि आखिर उन नालियों में कचरे हो रहे हैं, नालियों में मच्छर हो रहे हैं, कभी भी किसी तरह का पाउडर उन नालियों में छिड़काव नहीं होता है तो मंत्री जी हैं, बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर मंत्री हैं तो इन चीजों पर आप यदि ध्यान देंगे तो ग्रामीण स्वास्थ्य भी सुधरेगा । उनके यहाँ मच्छरदानी नहीं होता है, रात भर-दिन भर मेहनत कर काम करते हैं और रात भर मच्छर उनका खून चूसता है तो ये खून जो चूसता है, इसके लिए दोषी हमारे मंत्री जी हैं.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, क्योंकि मच्छर भगाने का उपाय इन्होंने नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, थोड़ा-सा, तीस सेकेंड और, हम अपनी बात को बोल कर खत्म करेंगे । महोदय, इसलिए हम चाहते हैं कि मखदुमपुर ब्लॉक में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, हम लगातार संघर्ष करते हैं । उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, विजय चौधरी जी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं महोदय, मखदुमपुर अंचल कार्यालय में सी॰ओ॰ के स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो यह हम सदन से चाहते

हैं । हमारे मखदुमपुर में सी॰डी॰पी॰ओ॰ के स्तर पर तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं से उगाही की जाती है तीन-तीन हजार रुपये । महोदय, इस पर कार्रवाई की जाय और उनकी संपत्ति की जाँच की जाय, हम इस सदन से माँग करते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान जी । आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, जरा कृपा की जाय । महोदय, मैं कहाँ से बात शुरू करूं ? महोदय, एक शेर याद आता है-

एक-दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी,
दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठें ।

महोदय, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 94 लाख परिवार गरीब हैं यानी पाँच करोड़ से ज्यादा और इनके तरक्की की सारी जिम्मेवारी थी ग्रामीण विकास मंत्रालय पर । मैं सिर्फ समीक्षा की दावत देता हूँ । मनरेगा का हाल क्या है ? लोहिया स्वच्छता का हाल क्या है ? जल-जीवन का हाल क्या है ? जीविका का क्या हाल है ? आप एक नजर उस पर दौड़ा लें । माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि अमौर और बायसा प्रखंड का प्रखंड कार्यालय न जाने किस वक्त गिर पड़े और इनके पदाधिकारी दब जायें, वहाँ भवन निर्माण करा दिया जाय। आर॰ई॰ओ॰ का ताल्लुक, आर॰डब्ल्यू॰डी॰ का ताल्लुक ग्रामीण विकास विभाग से भी जुड़ा रहता है, वहाँ ग्लोबल टेंडरिंग का और ग्रुप टेंडरिंग का खात्मा कराया जाय । महोदय, हमारे यहाँ सैलाब से घर काफी कटे हैं, इस वजह से वहाँ पर इंदिरा आवास का प्रावधान किया जाय । ग्रामीण क्षेत्र है हमारा और सीमांचल पिछड़ा इलाका है, महानंदा में सरकार ने दो बड़े पुल स्वीकृत किये हैं, मैं चाहूँगा कि अभयपुर में और खारुदह में जल्द-से-जल्द काम शुरू कराया जाय । साथ ही, महानंदा के तय्यबपुर और कुट्टी में नये पुल को और टोक नदी के घरघरी घाट में, कनकई......

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक मिनट । कनकई के मटियारी और निसंदरा में, सीमलबाड़ी में पुलों का निर्माण कराया जाय । परमान के बलुआ में, बायसी के माथोरापुर में एवं गोटफोर खुटिया में, इन पुलों का निर्माण कराया जाय । साथ ही महोदय, मैं सिर्फ यह कहूँगा कि उर्दू ट्रांसलेटर और मदरसा शिक्षकों का मसला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला एन॰जी॰टी॰ में फँसा हुआ है, एन॰एम॰सी॰जी॰ में फँसा हुआ है उसको निकाला जाय और एक अंतिम बात कहूँगा, मेरे पास समय नहीं है,

महोदय, मुझे समय देना चाहिए । मैं विनती करता हूँ, सबसे कमजोर मैं ही हूँ महोदय, ये जो दल हैं वे सत्ताभोगी हैं, ये भी सत्ता में रहे हैं और वे भी सत्ता में रहे हैं । उलट-पलट कर जलजला में भले ही राजाओं का मल गिरा है लेकिन गरीब का झोपड़ा वहीं खड़ा है तो गरीब के झोपड़े पर थोड़ा रहम किया जाय....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जायें ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक अंतिम बात । मैं अभी दिल्ली गया था अपने क्षेत्र के मजदूरों से मिलने के लिए, सभी की एक अभिलाषा है कि हम कमाने आते हैं बाल-बच्चों के लिए लेकिन बिहार की सरकार को टैक्स देते हैं अगर कुछ नहीं करती है सरकार तो कम-से-कम हमारे.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक शेर पढ़ देता हूँ । महोदय, दो पंक्ति पढ़ने की इजाजत दे दी जाय.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीतन राम माँझी जी ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, दो पंक्ति-

दर्द के किस्से जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे ।
करो इंसाफ मजनूबा पर, शायद ये तुमको दुआएं देने लगेंगे ।।

महोदय, बहुत शुक्रिया ।

श्री जीतन राम माँझी : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम अपने और अपनी पार्टी की ओर से आपको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं उपाध्यक्ष पद सुशोभित करने के लिए और फिर हमें आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए मौका दिये हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं । हम वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुए हैं और कहना चाहते हैं कि सरकार खासकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विगत 17-18 वर्षों से काम कर रही है । किसी भी दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसके विकास की ओर इन्होंने अपना कदम नहीं उठाया हो, यानी बिहार के चतुर्दिक विकास के लिए उन्होंने काम किया है और मैं एक राजनीतिक बात बोलना चाहता हूँ हालांकि उसके पक्ष में मैं तो नहीं रहता कि आज नीतीश कुमार जी ने जो पाला बदला तो लोगों में बहुत तरह की बात आयी हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि change for betterment अगर हो तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है और नीतीश कुमार बहुत त्रस्त थे, उनकी आवाज और हर मीटिंगों में यह कहना कि मैं वर्ष 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने दूंगा । ये उनके दिल में जो कसक थी, यह साबित कर रही थी कि इन लोगों से काफी वे त्रस्त थे और

इसलिए उन्होंने पाला बदला । इसके लिए उनको हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें । महोदय, आज जो वर्ष 2023-24 का तृतीय अनुपूरक बजट है उसमें ग्रामीण विकास की बात आयी है और अन्य विभागों की बात तो इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं, बहुत बात सुझाव की ही बात हम करेंगे । एक मामूली बात है, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बहुत दिन से रहे हैं श्रवण बाबू, इनके पदाधिकारी भी रहे हैं लेकिन हमको अफसोस है, यह तो अच्छा हुआ कि इस बार भी हम विधान सभा इमामगंज से जीत गये हैं, नहीं तो मेरे कलमाथे पर एक कलंक बना रहता कि इमामगंज क्षेत्र का जो बांके बाजार प्रखंड मुख्यालय-सह-अंचल मुख्यालय है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष महोदय, उसके निर्माण के लिए पैसा आज से 10 वर्ष पहले गया हुआ है, अभी तक भवन बन जाता लेकिन मात्र 28 लाख रुपया ग्रामीण विकास विभाग से वन विभाग को नहीं मिला है....

(क्रमशः)

टर्न-24/संगीता/27.02.2024

श्री जीतन राम मांझी (क्रमशः) : महोदय, इसके लिए आज करीब-करीब 9-10 वर्षों से बांके बाजार का जो प्रखंड मुख्यालय-सह-अंचल मुख्यालय भवन है, पड़ा हुआ है नहीं बना हुआ है । हम नहीं समझते हैं कि इसमें नीतीश कुमार जी का कोई दोष है । हम कहना चाहते हैं ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों को कि इतनी शिथिलता क्यों, जबकि जिला प्रशासन को भी कई एक बार हमने स्मारित करने का काम किया है लेकिन एक छोटी सी बात जिसके लिए उनको जमीन ट्रांसफर का मामला था, करीब 7-8 एकड़ जमीन बिहार सरकार का ट्रांसफर कर दिया गया, और सिर्फ 28 लाख रुपया ग्रामीण विकास ने नहीं दिया, जिसके कारण वह भवन नहीं बन सका महोदय, तो इसपर हम सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । महोदय, हम कहना चाहते हैं आज जब ग्रामीण विकास की बात आ रही है तो ग्रामीण विकास में हमारे वृद्धजन भी आते हैं, हमारी बेटी जो हो जाती है विधवा, उनके लिए भी हमारे दिमाग में बात आती है, क्या कारण है महोदय, बिहार हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि उत्पादकता की बात आती है उसमें भी हम पीछे नहीं हैं, लेकिन देख रहे हैं दूसरे-दूसरे प्रदेशों में कि कहीं 2 हजार, कहीं ढ़ाई हजार, कहीं 3 हजार तक उनको पेंशन मिलता है और

बिहार में कौन स्थिति बनी है महोदय, कि 200 रुपया था, उसको बीच में बढ़ाया गया था 400...

अध्यक्ष : अब कंक्लूड करिए ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, मैंने पहले कहा था कि जब हम बोलें तो समझ लीजिए नहीं तो कहिए हम बैठ जाते हैं...

अध्यक्ष : नहीं, नहीं इसीलिए तो हम आपको समय दे रहे थे, हम इधर देख रहे थे ताकि आप बोल लीजिए...

श्री जीतन राम मांझी : नहीं, हम आपको देख रहे हैं...

अध्यक्ष : लेकिन अब हो गया समय पूरा, 2 मिनट ज्यादा हो गया है । एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, एक मिनट का समय, उससे अच्छा है कि नहीं मैं बोलूं सर...

अध्यक्ष : सरकार को भी उत्तर देना है ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, सरकार का उत्तर है तो हम भी कोई अपना मतलब प्रेमालाप की बात नहीं कर रहे हैं...

अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं उसको पूरा कर लीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : उन वृद्धों की बात कर रहे हैं, उन बेसहारों की बात कर रहे हैं जो आज के दिन में 400 रुपये में उनका गुजारा नहीं होता है और आज वे भीखमंगा से भी अधिक हो गए हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां जो वृद्धजन हैं और जो विधवा हैं उनको कम से कम 2000 रुपया मासिक वेतन देने के लिए किया जाय तो बहुत अच्छा हो सकता है महोदय, यह मैं कहना चाहता हूं । दूसरी बात, यह भी मैं कहना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूरा ध्यान है, बैठिए । आप बोलते रहिए ।

श्री जीतन राम मांझी : चलिए धन्यवाद । दूसरी बात महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं बी0पी0एल0 सूची में रहने वाले यहां लोग 94 लाख बोलते हैं, कोई लोग कुछ बोलते हैं, मैं तो समझता हूं कि बी0पी0एल0 में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जो आज नोटिस लिया जाता है उससे भी अधिक है । ये विद्युत आपूर्ति के संबंध में जरूर बिहार सरकार ने एक गजब नायाब काम किया है जो कि जहां 500 या 600 मेगावाट बिजली की बात होती थी आज 7000 से ऊपर मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है । इसके लिए बिहार सरकार को और विद्युत विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन महोदय, साथ-साथ यह भी मैं कहना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं से जो 20 रुपया मात्र लेने की बात थी,

आज उनके पास 50 हजार और 60 हजार का बिल आता है और कहीं-कहीं उन पर मुकदमा भी थोपा जा रहा है । इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार इतना काम की ही है तो बी0पी0एल0 वालों को कम से कम बिजली जरूर मुफ्त कर दे, यह बहुत बड़ी बात होगी बिहार सरकार के लिए, यह मैं कहना चाहता हूं हुजूर । महोदय, बातें बहुत हैं मैं लिखकर भी लाया हूं और उस चीज को मैं दे देना चाहता हूं कि जो पार्ट बनें प्रोसीडिंग का लेकिन एक-दो बात आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं...

अध्यक्ष : एक बात ।

श्री जीतन राम मांझी : और वह है कि बिहार में नन स्किल्ड लेबर हैं जिनका पलायन बिहार के बाहर होता है । माननीय नीतीश कुमार जी 2015 में आए थे तो उनका एक मुद्‌दा था कि हम पलायन नहीं होने देंगे, हम बिहार से पलायन होने वाले लोगों को रोकेंगे लेकिन आज हो रहा है सर, कि बहुत पलायन हो रहा है तो हमारा कहना है कि पलायन हो रहा है तो उसकी जानकारी हमको नहीं है । होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, हर प्रखंड में, हर जिला में एक मुख्यालय बनना चाहिए एक ऑफिस कि कितने हमारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उनके साथ वहां क्या दिक्कतें हो रही हैं उसकी भी जानकारी होगी और हमको भी पता लगेगा कि बिहार से हमारे कितने लोग पलायन कर रहे हैं । इसीलिए हर जिला में, हर अनुमंडल में वैसे लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए चाहे विदेश में जाएं, चाहे देश में जाएं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए । महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण नियमों के पालन में जो उत्पन्न होती हैं बाधाएं उसको देखने के लिए हमारे बिहार में आरक्षण आयुक्त हुआ करते थे, इधर कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, हम भी 1980 से विधायक हैं, आपलोगों की कृपा और अपने क्षेत्र के लोगों की कृपा से शायद यह आठवीं बार विधायक हैं हम बिहार में तो यह देखते हैं हम कि स्पेशल एस0पी0 की नियुक्ति का प्रबंध रहता था, जो समूचे बिहार के लोगों को देखते थे और जिसके कारण हमारा कनविक्शन रेट बढ़ता था और लोगों पर जो ज्यादती होती थी, वह कम हुआ करती थी इसीलिए एस0पी0 की बहाली की जाय सिड्यूल कास्ट, सिड्यूल ट्राइव को देखने के लिए स्पेशली महोदय । महोदय, मेरा कहना है कि सभी राज्यों में बिहार राज्य को छोड़ करके केंद्र सरकार में भी सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है, क्या कारण है बहुत बार मांगे उठती हैं, यहां पर हैं हमारे मंत्रीगण, यहां बहुत करोड़ों में नहीं हैं सफाई मजदूर लोग लेकिन उनके लिए अगर आयोग बन जाए और उनकी सेवा शर्तों का अनुपालन करें

तो लाखों मजदूर हमारे जो हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका कल्याण हो सकता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए कर्मचारी आयोग बनाया जाय महोदय, यह हमारी मांग है..

अध्यक्ष : अब समाप्त कर लीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : एक, थोड़ा सा समय महोदय...

अध्यक्ष : आप ही ने सिखाया मुझे कि नियम का पालन करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं ।

श्री जीतन राम मांझी : हम तो बोलते नहीं हैं, अब आप से इजाजत लेकर शुरू दिन भी हमने कहा था...

अध्यक्ष : आपको मैंने भाजपा, जदयू के लोगों का समय काटकर दिया है...

श्री जीतन राम मांझी : अच्छा हम समझते हैं कि...

अध्यक्ष : इसलिए अब समाप्त कर दीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : हमारे भाजपा के साथी लोग जरूर समझ रहे होंगे कि जीतन मांझी कोई अनर्गल बात नहीं बोल रहा है...

अध्यक्ष : अभी और लोग बाकी हैं बोलने के लिए ।

श्री जीतन राम मांझी : और दूसरी बात कहते हैं महोदय कि एस0सी0,एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत जो हमारा कनविक्शन रेट न्यूनतम है, उसके लिए जैसा मैंने कहा कि पुलिस आरक्षण की व्यवस्था किया जाय तो वह एक बात है, उसको किया जाय । दूसरी बात महोदय, बिहार में एक बार और चर्चा हुई थी, इस पर हो सकता है हमारी सरकार में लगे लोग हैं उनको यह लगे कि कोई कम्प्लेन है, मैं कम्प्लेन नहीं करता हूं, मैं उनके कामों की सराहना करता हूं लेकिन इतनी बात जरूरत है कि आज बिहार में गैर-मजरूआ जमीन बताया जाता है और सीलिंग की जमीन बताया जाता है कि 21 लाख एकड़ जमीन है और महोदय, हम जानते हैं कि मात्र 13-14 लाख लोग हैं ऐसे जो बिना जमीन के हैं । श्री नीतीश कुमार जी आ गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हम इनकी सराहना करते हैं और हम समझते हैं कि इनके भी दिल में है यह बात इसीलिए हम यह मांग करते हैं कि इन 21 लाख एकड़ भूमि जो है और 12-14 लाख या 15 लाख जो भूमिहीन लोग हैं, उनको एक-एक एकड़ जमीन बांट दें तो मैं समझता हूं कि बिहार में भूमि सुधार का स्वर्णिम युग माना जाएगा महोदय यह मैं कहना चाहता हूं और दूसरी ओर मैं कह सकता हूं कि बिहार के सरकारी महकमों में चाहे कहीं भी, आज देखते हैं हम चाहे अस्पताल चले जाइए, चाहे स्कूल चले जाइए, एक आउटसोर्सिंग की बात आयी है, दुख होता है उस समय महोदय, जिसकी चर्चा सतीश जी अभी कर रहे थे कि हमलोग वहां

गए रेजिडेंशियल विद्यालय में तो पूछा वहां के गार्ड को, भईया कितना मिलता है तुमको, तो वह बोला 3000, तो हमको बहुत दुख हुआ कि बताइए हम देते हैं 15000 और उनको मिलता है 3000 बाकी आउटसोर्सिंग वाले लोग रख लेते हैं तो यह अन्याय नहीं होने दीजिए अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अन्याय नहीं होने दीजिए, मजदूरों का मजदूरी काटकर के जो खासकर वैसे लोग हैं जिनको आउटसोर्सिंग के एजेंसी हैं, उनको पैसा दिया जाता है, यह अच्छी बात नहीं है । इसलिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म करके उसकी नियुक्ति ही किया जाय हुजूर, यह मैं मानता हूं । दूसरी बात महोदय, बिहार सरकार ने 2014-15 में 75 लाख रुपया तक के ठेका में गरीबों के लिए...

(क्रमशः)

टर्न-25/सुरज/27.02.2024

श्री जीतन राम मांझी (क्रमशः) : शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिये किया था कि हम ठेका में आरक्षण देंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय उसको 25 लाख कर दिया । बहुत कृपा इनकी हुई कि 50 लाख करके उन्होंने छोड़ दिया लेकिन दे दिया है और उस पर कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वह पड़ा हुआ है । हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि 75 लाख तो किये ही बल्कि गरीबों को ठेकेदारी में एक करोड़ रुपया तक उनको आरक्षण दीजिये । यह व्यवस्था कीजिये तो मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात होगी । इसी तरह से हम कहना चाहते हैं कि हमारे शिड्यूल कास्ट के जो छात्र-छात्रायें हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन के लिये, समान एजुकेशन के लिये पहले जाते थे आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आच्छादित किया जाता है लेकिन पहले जिनको हमलोगों ने भेजा था और अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन कम्पलीट हो गया लेकिन पैसा नहीं गया, जिसके चलते आज भी वे कष्ट में हैं और अंतिम बात महोदय फिर बाद में यह हम दे देते हैं । बच्चियों के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी क्या समुचे विश्व के लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है । 50 प्रतिशत तक का आरक्षण हुआ है । आज शासी निकायों में चाहे पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है लेकिन 2015 में जो लागू हुआ था कि प्रथम क्लास से लेकर के एम0ए0 क्लास की बच्चियों को मुफ्त शिक्षा देंगे, उस नीति को कम से कम बरकरार रखा जाय और जो डेफसिट ग्रांट नहीं जा रहा है, बहुत-सी गरीब की बच्चियां हैं बाहर निकल रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिये हम मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि बच्चा क्लास से

एम0ए0 क्लास की बच्चियों को समान शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन में फ्री एजुकेशन कर दें तभी हम समझते हैं कि....

अध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री जीतन राम मांझी : नारियों के सशक्तिकरण की बात होती है । महोदय, आपने समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद...

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार ।

श्री जीतन राम मांझी : लेकिन मैं जो लिखकर लाया हूं उसमें कई एक ऐसे प्वाइंट हैं जिसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान...

अध्यक्ष : आपके पास दो मिनट का समय है ।

श्री अजय कुमार : अनुपूरक की मांग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूं और समय मेरा कम है यह तो मुझे ज्ञान है ही, बराबर बोलते ही हैं ।

अध्यक्ष : आप तो टू द प्वांइट बोलते हैं ।

श्री अजय कुमार : जी, मैं टू द प्वांइट बोल रहा हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे दो-तीन काम होता है । मुख्य तौर पर सबसे मूल काम होता है ग्रामीण इलाके का विकास होना लेकिन ग्रामीण इलाके में हमारे कई साथियों ने बोला कि वहां रहते कौन हैं किसान और मजदूर और मजदूर में भी सबसे ज्यादा कौन रहते हैं दलित और भूमिहीन और उनकी अगर कोई विकास की बात आप करना चाहते हैं तो ये हम नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, उन्होंने डी0 बंधोपध्याय आयोग का गठन किया था । उनके आयोग ने कहा था कि 22 लाख एकड़ जमीन आपके पास पड़ी हुई है । अगर 22 लाख एकड़ जमीन जो मांझी जी कह रहे हैं कि 15 लाख लोग भूमिहीन हैं तो मांझी जी मुख्यमंत्री जी से उस 15 लाख लोगों को एक-एक एकड़ जमीन दिला दीजिये, बिहार का विकास हो जायेगा । आप क्या मांग रहे हैं मांगना ही है तो बढ़िया से मांगिये । महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मजदूरों के लिये मनरेगा का जो ग्रामीण विकास विभाग का जो बिहार में है । बिहार की सरकार दे रही है 228 रुपया, यहां डबल इंजन की सरकार है । उत्तर प्रदेश में भी आपकी भाजपा की सरकार है वहां भी 230 रुपया है । मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है वहां 221 रुपया है और केरल जिसके बारे में शंकर जी बोलकर चले गये, वहां पर एक वामपंथी सरकार बन गयी है वह वहां दे रही है 333 रुपया प्रतिदिन मनरेगा की मजदूरी और महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि भाजपा की हुकूमत आज केरल के सभी तरह के जो पैसे हैं उसको बंद कर दिया और केरल के मुख्यमंत्री पिछले

22 तारीख को दिल्ली के जंतर-मंतर पर इसीलिये बैठे हुये थे कि हमारे जो अपने पैसे हैं वह हमको दे दिया जाय, इसके लिये वह बैठे हुये थे । महोदय, दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं मैं सिर्फ डाटा दे रहा हूं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो अभी आवास योजना की बात कर रहे थे, आवास योजना की 2019 में सूची बनी थी, जिसका भुगतान आज तक बकाया है । वर्ष 2020-21 में, 2021-22 में और 2022-23 के लिये उसका ऐप अभी तक नहीं खोला गया । कैसे आप देना चाहते हैं सबको आवास, किस तरह आप देना चाहते हैं ? यह हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं...

अध्यक्ष : अब कंक्लूड कीजिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बस एक मिनट समय लेकर हम खत्म कर रहे हैं । दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात अभी कर रहे थे, मांझी जी को ही मैं बराबर कोट करता हूं । चार सौ रुपया आज आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन देते हैं । कितना भद्दा मजाक की तरह यह लगता है कि एक गरीब आदमी, लाचार आदमी जिसको चार सौ रुपया देते हैं । दोनों टाइम चाय जोड़ दीजिये और उसमें एक बिस्किट वह खाये तो एक हजार रुपया प्रति माह खर्च होगा...

अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री अजय कुमार : आप कहना चाहते हैं, मैं आपको कह रहा हूं...

अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बस तीस सेंकेंड...

अध्यक्ष : सरकार को भी जवाब देना है न ।

श्री अजय कुमार : बस मैं खत्म कर रहा हूं । मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि केरल की सरकार जब 25 सौ रुपया महीना दे सकती है तो कम से कम 15 सौ रुपया देने में आपको क्या दिक्कत है । अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, पैसा भी दिल्ली से आ रहा है...

अध्यक्ष : श्री सूर्यकांत पासवान जी ।

श्री अजय कुमार : सम्राट जी पैसा लाने के लिये बैठे हुये हैं...

अध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री अजय कुमार : आखिरी बात कहकर चूंकि विजय बाबू आ गये हैं । विजय सिन्हा जी आपको मैं याद दिला रहा हूं कि जब आप उस चेयर पर बैठे हुये थे, आपने सभी प्रखंड कार्यालय में और जिला मुख्यालय में...

अध्यक्ष : समाप्त करिये । श्री सूर्यकांत पासवान जी ।

श्री अजय कुमार : सभी विधायकों के बैठने की व्यवस्था की बात की थी और सदन से आपने पारित करवाया था आप सरकार में हैं उसको लागू कराने की...

अध्यक्ष : श्री सूर्यकांत पासवान जी ।

श्री अजय कुमार : आप कृपा करेंगे, मेरा यही कहना है ।

श्री सूर्यकांत पासवन : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात खत्म करिये ।

श्री सूर्यकांत पासवान : मैं ग्रामीण विकास विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, आज प्रधानमंत्री आवास योजना दो साल से बंद है और वह योजना गरीबों तक नहीं पहुंच रही है । जिन लोगों के लिये यह योजना है उनके पास जमीन है ही नहीं । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन गरीबों को आप जमीन उपलब्ध करवाइये जो बांध पर बसे हुये हैं, जो पोखर के मोहार पर बसे हुये हैं उनके लिये आप जमीन दीजिये । हजारों-हजार हमारे गरीब लोग जमीन के बगैर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं । महोदय, वृद्धा पेंशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब जन समाधान यात्रा पर निकले थे तो वृद्धा पेंशन की राशि पदाधिकारियों ने देना शुरू कर दिया । जब यात्राएं खत्म हो गयी, मामूली त्रुटि रहने के कारण हजारों-हजार वृद्धा पेंशन लाभार्थी को पेंशन नहीं मिलता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत के अंदर कैंप लगाकर उसका सुधार हो । महोदय, कबीर अंत्येष्टि यह आपकी महत्वपूर्ण योजना है, इसको सरल किया जाय । आप ऑनलाइन इसको करवाते हैं लाश घर में रखी हुई रहती है, माननीय मुखिया जी के यहां लोग जाते हैं तो वह कहते हैं जाकर ऑनलाइन करवाइये । महोदय, इसको सरल किया जाय व अविलंब उसको देने की व्यवस्था की जाय । महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आज ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने विद्यालय भवन के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय को जमीन डोनेट किया है । उसका एक उदाहरण है बखरी प्रखंड के महंतपुर पंचायत में रामभजन सिंह संस्कृत विद्यालय की जमीन वहां के जो भू-दाता हैं उनके पुत्र के द्वारा जमीन बेची जा रही है । ऐसा कई एक उदाहरण है बिहार के अंदर खासकर बेगूसराय जिला के बखरी के अंदर । सरकार की जमीन को बेची जा रही है और वहां के सी0ओ0 के द्वारा उसका मोटेशन भी किया जा रहा है । इसका पुरजोर विरोध हो रहा है...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिये ।

अध्यक्ष : डॉ0 निक्की हेम्ब्रम ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : डॉ0 निक्की हेम्ब्रम तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करिये ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में ग्रामीण विकास के वाद-विवाद पर सरकार के पक्ष में मुझे बोलने का आपने जो मौका दिया है सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देती हूं । साथ ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी एवं माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे सचेतक और अपने कटोरिया विधान सभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद अदा करना चाहती हूं । (क्रमशः)

टर्न-26/राहुल/27.02.2024

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्रमशः) : महोदय, समाजिक न्याय के साथ सुशासन की स्थापना करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, युवाओं की आवाज और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी ने जो विजन रखा है उससे बिहार के सर्वांगीण विकास के प्रति कटिबद्ध है । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की ग्रामीण स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका है । समाज को संवारने और समाज को बनाने के लिए इस विभाग के बिना राज्य के समुचित विकास की परिकल्पना बेमानी है ।

विपक्ष के लोग औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी,
परंतु अपनी गिरेबान में नहीं झांकते ।
कोशिश तो वे खूब करते हैं हमें शिकस्त दिलाने की,
कोशिश उनकी बेकार होती है हमें हराने की ।

महोदय, यदि गांव विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा और सरकार गांवों का विकास करने के लिए सतत् प्रतिबद्ध है । बिहार के ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्र हों सभी जगह चहुंमुखी विकास हो रहा है । महोदय, हमारा जो ग्रामीण विकास का एजेंडा है, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, नली-गली निर्माण, पुल-पुलिया जिससे हमारे बिहार का विकास हुआ है । महोदय, हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए समाजिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी संकल्पित है।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : ग्रामीण कार्य के आधार सृजन हेतु सभी प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालयों तथा नगर विकास की सभी महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाएं सफलता के साथ कार्यान्वित हो रही हैं ।

अध्यक्ष : निक्की जी, अब समाप्त करिये ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : महोदय, अंत में एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी :

सच है कि विपत्ति जब आती है,
कायर ही दहलता है ।
शूरमा नहीं विचलित होता,
क्षण एक नहीं धीरज खोता ।।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो तृतीय अनुपूरक मांग सदन में रखी गयी है उसमें कुल 15 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और माननीय सदस्य, अखतरूल ईमान साहब, शाहीन साहब कटौती प्रस्ताव लाये थे लेकिन वे कोई सुझाव नहीं दे सके, अपने दल के साथियों को इस पर बोलने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी । माननीय सदस्य, डॉ0 रामानुज प्रसाद जी, माननीय सदस्य, श्री रामप्रीत पासवान जी, माननीय सदस्य, श्री राज कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र राम जी, माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर जी, माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य, श्री रामबली सिंह यादव जी, माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार जायसवाल जी, माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार जी, माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान साहब, माननीय सदस्य, श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य, श्री सूर्यकान्त पासवान जी, माननीय सदस्या, श्रीमती निक्की हेम्ब्रम जी ने अपने सुझाव दिये हैं ।

महोदय, हम सब लोग ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हमें लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में हमारे विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे कुछ अच्छी बात कहेंगे, अच्छा सुझाव देंगे ताकि हमें आगे काम करने का, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में सोचेंगे उसमें उनके विचारों को जरूर हम साथ लेकर चलें तो देखा कि रामानुज बाबू इधर-उधर की बात कहते हुए 15-20 मिनट का समय उन्होंने अपना खत्म कर दिया । महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं ये सुझाव अजय बाबू जो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं, शुरू में उन्होंने कुछ अच्छा सुझाव दिया लेकिन बाद में वह धर्म की तरफ ले गये, मंदिर-मस्जिद की तरफ चले गये तो वे डायवर्ट हो गये और उनका भी कोई सुझाव नहीं आ सका । महोदय, रामबली

यादव जी ने कोई सुझाव दिया है । उन्होंने कहा कि 6 हजार जिसकी आमदनी है, बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री उसकी बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री ने तो हिम्मत जुटाई है कि राज्य में ऐसे कितने गरीब लोग हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं, जीने का जरिया बढ़ा सकते हैं और सर्वे में जो बात आयी है वह आंगनबाड़ी में काम करने वालों की नहीं आयी है, जिनकी 6 हजार आमदनी है उसकी बात आयी है तो माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि 94 लाख परिवारों को उसमें शामिल करने के लिए सिर्फ बात नहीं कही गयी है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके रोजगार के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए उन्होंने कदम भी बढ़ाये हैं उनको तो सराहना करनी चाहिए लेकिन इधर-उधर की बात ये करते रह गये और मैं यह कहूंगा कम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य लोग बैठे हैं चाहे सी0पी0एम0 हो, सी0पी0आई0 हो या माले के लोग हैं ये नारा लगाते हैं कि ''धन और धरती बंट के रहेंगे, अपना-अपना छोड़ के'' तो थोड़ा आप नारे में तब्दीली कीजिये आगे और अपनी भी धरती बांटने का उपाय करिये ताकि राज्य की जनता को, गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके । महोदय, मैं सुझाव के तौर पर माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि श्री पवन जायसवाल जी ने कुछ सुझाव दिया है और उनके सुझाव पर हम जरूर अमल करेंगे । माननीय सतीश कुमार जी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में सुझाव दिये हैं और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव पर भी अमल करेंगे और माननीय अजय बाबू ने भी इधर-उधर की बात कहकर अपना समय बर्बाद किया है लेकिन जिन सदस्यों ने सुझाव दिया है ग्रामीण विकास विभाग में गरीबों से जुड़े हुए जितने सवाल उठाये हैं हम लोग उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसपर जरूर हम लोग अमल करेंगे। महोदय, सबसे पहले हम आवास की चर्चा करना चाहते हैं कि ज्यादातर सदस्यों ने आवास ने आवास की चर्चा की है । महोदय, बिहार में जो ग्रामीण है, इस विभाग पर गरीबों को बड़ा भरोसा है और यह राज्य के गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है । ग्रामीण विकास के जरिये गांव और गांव के गरीबों के उत्थान के लिए सारी योजनाएं चलायी जाती हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना । गांव के गरीबों के लिए यह महत्वपूर्ण योजनाएं चलायी जा रही हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो जाति आधारित गणना करायी है उसके जो परिणाम आये हैं 94 लाख लोगों के, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम उनके लिए भी सोचेंगे और सिर्फ सोचेंगे उनके

लिए योजना बनाकर के चरणबद्ध तरीके से पांच साल के अंदर सबको पक्का घर मिल जाय इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और इस पर हम लोग अमल करेंगे । अध्यक्ष महोदय, राज्य में जिसके पास अपनी छत नहीं है, अपना घर नहीं है उनके लिए बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी राज्य के संसाधन से पांच वर्षों में हर परिवार को, जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनके लिए पक्का मकान बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की है । आज राज्य के गरीबों का भरोसा बढ़ा है और नीतीश जी के लगातार इस तरह के काम से गरीब उत्साहित हो रहे हैं । कुछ लोग सिर्फ गरीब की चर्चा करते हैं और गरीब की चर्चा करके चाहते हैं कि गरीब का दिल जीत जायं । गरीब का ऐसे नहीं जीत सकते हैं । नीतीश कुमार जी जब से शासन में आये हैं लगातार हम सब देख रहे हैं कि बिहार में गरीबों से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं चल रही हैं, देश के किसी राज्य में ऐसी योजना जो बिहार में गरीबों के लिए चलती है, कई राज्य तो इसका अनुकरण करते हैं जो बिहार में हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं । महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से कार्य प्रारम्भ किया गया तथा पात्र परिवारों का वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 37 लाख 1 हजार 650 लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें से 37 लाख 1 हजार 650 लाभुकों के आवास की स्वीकृति दी गयी जिसमें 36 लाख 29 हजार 834 आवास हम लोगों ने पूर्ण कर लिये हैं तो यह हमारे आंकड़े हैं जो आपके समक्ष रखा हूं । वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक 44 हजार 895 करोड़ 49 लाख 60 हजार रुपये व्यय किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 919 करोड़ 32 लाख 55 हजार रुपये व्यय किये गये हैं । राज्य में तेजी से आवास निर्माण का कार्य चल रहा है जिसकी चिंता हमारे माननीय सदस्यों को है हम उसमें लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, यह असत्य भाषण सुनने के लिए हम लोग यहां बैठे रहें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : नहीं-नहीं, भाषण तो नहीं ही सुनियेगा । गरीब का घर बनने लगेगा तो आपको तो पीड़ा होती ही है । अब कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता लोगों को, माले के नेता को, अगर गरीब का घर बनने लगेगा तब फिर आप कहां प्रदर्शन करियेगा ? जब उनको सुविधा मिलने लगेगी तो ये कहां उनके बीच में जायेंगे ।

क्रमशः

टर्न-27/ मुकुल/27.02.2024

क्रमशः

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री आवास योजना वर्ष 2018-19 से संचालित है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बहिर्गमन कर गये ।)

1 जनवरी, 1996 के पूर्व जिसका घर कलस्टर में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के परिवारों का आवास बनाकर घर रहने के लायक नहीं है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में तथा उनको दूसरी किसी योजना से आवास का लाभ नहीं मिला, उन्हें राज्य के खजाने से 1 लाख 20 हजार रुपया बनाने के लिए तथा 12 हजार रुपया शौचालय बनाने के लिए देते हैं । अध्यक्ष महोदय, अपना घर हो, अपना छत हो इसकी योजना राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा चलायी जा रही है । अब तक इस योजना में 57 हजार 145 के विरुद्ध 34 हजार 735 आवास की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 24 हजार 155 आवास पूर्ण भी कर लिये गये हैं । वर्ष 2018-19 से अब तक 3 सौ 16 करोड़ 82 लाख 55 हजार रुपये का व्यय किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 1 सौ 11 करोड़ 4 लाख 95 हजार रुपया व्यय किया गया है । मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए अतिरिक्त राशि तृतीय अनुपूरक में हमने मांगा है और ये उठकर चले जा रहे हैं । महोदय, हम गरीब का घर बनाना चाहते हैं और जब हम राशि मांगते हैं तो उठकर चले जाते हैं । इससे आप सोच सकते हैं कि इनकी चिंता गरीबों के लिए नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में रुचि है । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना । अध्यक्ष महोदय, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना चलायी जा रही है । 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व जिन्हें आवास की स्वीकृति मिली है, किसी कारण से अपूर्ण रह गया, आधा-अधूरा रह गया उसे पूर्ण कराने के लिए 50 हजार रुपया राज्य के खजाने से देते हैं । अध्यक्ष महोदय, अब तक 16 हजार 3 सौ 53 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 4 हजार 192 लाभुकों का आवास पूर्ण हो गया है । इस योजना पर अब तक कुल 35 करोड़ 36 लाख 90 हजार रुपया खर्च हो चुका है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री वास क्रय सहायता योजना । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की चर्चा किये बिना गरीबों का मकान नहीं बन सकता है, जो पात्र परिवार हैं, आवास लेने की पात्रता रखते हैं उनके पास अपनी जमीन नहीं है और उस गांव में सरकारी जमीन भी उपलब्ध नहीं है, ऐसी हालात में पात्र परिवार परिवार को जमीन खरीदने के लिए एक लाख

रुपया राज्य के खजाने से देने का काम करते हैं, यह देश का पहला राज्य बिहार है जहां गरीबों को जमीन खरीदने के लिए भी 1 लाख रुपया हम देते हैं । महोदय, जल-जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत आहर में, पईन में, पोखरा में एवं तटबंध पर बसे हुए जो लोग हैं और उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत उनको हटाने का काम करते हैं तो उनको भी राज्य के खजाने से हम 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए, 1 लाख 20 हजार रुपया मकान बनाने के लिए और 12 हजार रुपया हम उनको शौचालय निर्माण करने के लिए भी देते हैं । महोदय, यह गरीबों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों को किस तरह से हम आगे बढ़ायें, उनकी उन्नति कैसे करें, उनकी प्रगति कैसे करें, उनको अपने पैरों पर कैसे खड़ा करें, यह हमारी और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है । अध्यक्ष महोदय, राज्य के इच्छुक ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन मनरेगा योजना में काम देने का प्रावधान है, ताकि काम के लिए वे राज्य से बाहर नहीं जायं । वे अपने परिवार के साथ रहकर गांव में, पंचायत में काम करें । यह केन्द्र प्रायोजित योजना है । श्रमिकों को मजदूरी भारत सरकार शत-प्रतिशत देती है । मैटेरियल मद में 75 प्रतिशत भारत सरकार देती है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है । वर्ष 2023-24 में लक्षित मानव दिवस (श्रम बजट) में 17 करोड़ के विरुद्ध 16 करोड़ 47 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में अकुशल मजदूरी में 4 हजार 5 सौ 7 करोड़ 59 लाख रुपया खर्च किया है । महोदय, सामग्री मद में 1 हजार 5 सौ 17 करोड़ 49 लाख रुपया व्यय किया है । प्रशासनिक मद में 1 हजार 5 सौ 17 करोड़ 49 लाख रुपया व्यय किया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 लाख 19 हजार 747 परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है । ये लोग कहते हैं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो ये परिसम्मतियां जो निर्माण हो रहे हैं उनसे राज्य के किसानों का, राज्य के लोगों का कितना भला हो रहा है । महोदय, मजदूरी में 3 हजार 8 सौ 78 करोड़ 46 लाख व्यय किया गया है, अभी ये रहते तो सुनते । ये मजदूर की बात करते हैं और मजदूर की भलाई की बात जब सरकार करती है तो इनको सुनने का साहस नहीं है । सामग्री मद और प्रशासनिक मद में 1 हजार 9 सौ 27 करोड़ 36 लाख व्यय किया गया है । 5 लाख 90 हजार 538 परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है । वर्ष 2023-24 में 94.58 प्रतिशत ससमय मजदूरी का भुगतान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना से हर प्रखंड में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है । उक्त खेल मैदान से ग्रामीण प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं

बताना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल गया में विश्वास यात्रा निकाल रहे थे और हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है, हम गांव की तरक्की की बात करते हैं और गया जिला के खिजरसराय में करपी गांव में हमने खेल मैदान उन बच्चों को सुपुर्द किया जो हमारे प्रतिभावान हैं, खिलाड़ी हैं जो राज्य और देश में हमारा नाम रौशन करते हैं । अध्यक्ष महोदय, पुलिस में जो हमारे नौजवान भर्ती होते हैं उनके लिए भी एक ट्रैक ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया गया है तो बड़े पैमाने पर सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि हमारे प्रतिभावान जो नौजवान हैं उनको पुलिस की भर्ती में भी उस मैदान से उसका लाभ मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, हमने तो जो काम किया उसकी चर्चा हमने की और अब मैं स्वयं सहायता समूह (जीविका) के बारे में, जो हमारे बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, विशेष कृपा है और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को देखते रहते हैं, किस तरह से आगे महिलाओं को बढ़ाने का काम करते हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हो रहा है, दिशा-निर्देश में यह काम हो रहा है । राज्य में 10 लाख 47 हजार से ज्यादा स्वम् सहायता समूह हमने बनाया है, अब तक 1 करोड़ 30 लाख परिवारों से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया है । अध्यक्ष महोदय, यह तो ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े हैं, अब तो शहरी क्षेत्र में भी जीविका का काम ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है । सर्वे-सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है । शहरी क्षेत्र में गरीब, नि:सहाय, निर्धन, बेसहारा परिवार को चिन्हित कर जीविका समूह में शामिल कर उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जायेगा । महोदय, सतत जीविकोपार्जन योजना की चर्चा मैं करना चाहता हूं और उन कुछ इलाकों में मैं गया हूं और खुद मैं देखा हूं और माननीय सदस्य जो चले गये हैं उनसे भी अभी कहता और मैं इधर के माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में शराब और ताड़ी बेचकर जिंदगी बसर करने वाले परिवार को चिन्हित किया और उन्हें वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रोत्साहन किया । राज्य में चिन्हित परिवारों की संख्या 1 लाख 84 हजार से भी ज्यादा है, इन्हें वैकल्पिक रोजगार के लिए तैयार किया, इन्हें तकनीकी सपोर्ट दिया, साथ-साथ आर्थिक सहायता देकर रोजगार के अवसर प्रदान किया है । अध्यक्ष महोदय, केवल शराब और ताड़ी बेचने वाले परिवार को ही चिन्हित नहीं किया बल्कि वैसे परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया है जो हाशिये पर खड़े थे, जिनके सारे रास्ते बंद हो गये थे, उन्हें मुख्यधारा में लाकर उनकी जिंदगी और उनके परिवार की जिंदगी को संवारने का काम किया है । महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब आप

अपने क्षेत्र में भ्रमण करें तो एक बार उन परिवारों के लोगों से जरूर मिलें जिनका आशियाना उजड़ गया था और सरकार ने सतत जीविकोपार्जन के माध्यम से उनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है, जब आप अपने क्षेत्र में जाएं तो जरूर देखें तब समझ में आयेगा कि बिहार की सरकार क्या काम करती है । अध्यक्ष महोदय, दीदी की रसोई की चर्चा किये बिना हमारा काम अधूरा रह जायेगा । महोदय, दीदी की रसोई की चर्चा सर्वत्र हो रही है । महोदय, आज हॉस्पिटलों में दीदी की रसोई चल रही है, हमने भागलपुर का निरीक्षण किया था, दरभंगा में किया, आरा में एक मानसिक आरोग्य अस्पताल में किया, बिहारशरीफ और पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में किया इस तरह से पूरे राज्य में जहां जाते हैं वहां पर जाकर देखते हैं, कितनी खुशी होती कि वहां पर जो रोगी के अटेंडेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं उनको गर्म-गर्म और शुद्ध-शुद्ध भोजन मिलता है और ये कहें कि शुद्ध इसलिए कि पूरी मिलावट की जो हर जगह पर चर्चा होती है, इससे दूर हो रहा है ।

क्रमशः

टर्न-28/यानपति/27.02.2024

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जीविका दीदियों द्वारा मुजफ्फरपुर के खबड़ा में वृहत पैमाने पर मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है । इसमें 30 दीदियां जुड़ी हैं । बैंकों से 30 लाख रुपया ऋण लेकर 10 कलस्टर में मशरूम का उत्पादन कर रही हैं । प्रति सप्ताह 10 से 15 कि0ग्रा0 मशरूम का उत्पादन होता है और उनको इससे काफी आमदनी हो रही है । इस मशरूम में एच0डी0एल0 प्रोटीन एवं कैल्सियम की भरपूर मात्रा होती है । इसे सुखाने के बाद यह 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति किलो की दर से बिक्री होती है । मुजफ्फरपुर की यदि मैं चर्चा करूं महोदय कि संगम जीविका की एक दीदी जिसका नाम आशा देवी है ने मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को जीविका एवं इससे समाज में हो रहे सकारात्मक प्रभाव एवं परिवर्तन के बारे में ट्रेनिंग दिया है । जब हमने सुना तो लगा कि क्या कह रही हैं यह सचमुच गई हैं या नहीं जो वहां ट्रेनिंग दे सकती हैं तो हमारे देश के जो आई0ए0एस0 होते हैं कि किस तरह से जीविका का काम कर के हमारे गांव की महिलाएं किस तरह से उन्नत हो रही हैं । वहां जाकर उन्होंने ट्रेनिंग देने का भी काम किया । महोदय, मुजफ्फरपुर के बोचहा में भीखनपुर गांव भी मैं गया था और सतत जीविकोपार्जन के जरिये श्रीमती कृष्णा देवी गुमटी लगाकर दुकान चला रही हैं, सिलाई का भी काम करती हैं तथा गुमटी के नीचे बकरी पालन भी कर रही है, एक परिवार जो

उसका उजड़ गया था तो इस प्रकार से राज्य की उन्नति में हमारी सरकार, दरभंगा के बारे में मैं बताना चाहता हूं, गांधी मैदान में जब सरस मेला था वहां पर स्टौल लगाए गए थे और जीविका की दीदियों के द्वारा वह जो मसाला बनता है हल्दी का, धनिया का, गोलकी का, मिर्च का उस मसाला को भी बेचने का काम जीविका की दीदियां कर रही हैं और जब वहां आई महोदय तो तीन बार वहां से उन्होंने मंगाया तब भी उनकी बिक्री में कोई कमी नहीं हुई और इतना बिका कि वह लाते-लाते थक गईं और उनकी पूरी चीजें बिकती रहीं महोदय । इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी मैं गया था, उसकी चर्चा न करते हुए आगे एक चर्चा मैं करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, कई स्थानों पर सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर केंद्र भी हम जीविका के माध्यम से बना रहे हैं । पश्चिम चंपारण के लौरिया में, जहानाबाद जिले के काको प्रखंड में और अन्य जगहों पर भी हम यह जीविका के माध्यम से पुस्तकालय बना रहे हैं । वैसे परिवार के लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और उनको हम इसमें किताब भी और अन्य तरह की सुविधा भी हम देने का काम करते हैं । एक समाधान केंद्र भी हम वहां पर खोल रहे हैं, हर प्रखंड में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो समाधान केंद्र में जो जीविका की दीदियां बैठेंगी वह पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी ताकि वहां पर यह काम हो सके । पटना जिले के बख्तियारपुर में, जहानाबाद में, मधुबनी में, कोढ़ा में इस तरह से राज्य के अनेक प्रखंडों में यह काम हो रहा है । सतत जीविकापर्जन के संवर्द्धन में 25 लाख 94 हजार महिला किसानों द्वारा कृषि की नई तकनीक को अपनाया गया है । वित्तीय वर्ष 2024-25 में 52 लाख महिलाओं को कृषि से जोड़ने की कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा है । मत्स्य पालन, पशु पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन विकास योजना के तहत 5 लाख 62 हजार परिवार को मुर्गी एवं बकरी पालन योजना से रोजगार मुहैया कराया गया है । 140 रूरल रिटेल मार्ट का संचालन किया जा रहा है । गैर कृषि गतिविधि अंतर्गत स्वयं सहायता योजना से जुड़े 2 लाख 44 हजार परिवारों को उद्यमिता से जोड़ा गया है । वित्तीय वर्ष-2024-25 में 10 लाख परिवारों को पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है । इसी प्रकार से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी हम अपने जीविका की दीदियों को और आगे बढ़ा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट । माननीय सदस्यगण, आज के दिन निर्धारित कार्यों के संपादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की कार्यवाही विस्तारित की जाती है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करता हूं और हमारा जो लिखा हुआ भाषण है, प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग का सदन के समक्ष सतत जीविकोपार्जन योजना हेतु 50 करोड़ रुपये, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एम0के0एस0पी0) हेतु 12 करोड़ रुपये एवं प्रखंड स्थापना हेतु 15 करोड़ 97 लाख रुपये अर्थात कुल 77 करोड़ 97 लाख रुपये की स्वीकृति का प्रस्ताव है ।

अतः सदन से अनुरोध करता हूं कि स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय ।

(परिशिष्ट - द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ''ग्रामीण विकास विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 77,97,00,000 (सतहत्तर करोड़ संतानवे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटीन के माध्यम से लिये जायेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

मांग संख्या-01, कृषि विभाग के संबंध में 39,77,80,000/-
(उनतालीस करोड़ सतहत्तर लाख अस्सी हजार) रुपये,
मांग संख्या-02, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 51,15,43,000/-
(इक्यावन करोड़ पन्द्रह लाख तैंतालीस हजार) रुपये,
मांग संख्या-03, भवन निर्माण विभाग के संबंध में 265,55,15,000/-
(दो सौ पैंसठ करोड़ पचपन लाख पन्द्रह हजार) रुपये,
मांग संख्या-04, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 11,90,35,000/-
(ग्यारह करोड़ नब्बे लाख पैंतीस हजार) रुपये,
मांग संख्या-07, निगरानी विभाग के संबंध में 1,17,00,000/-
(एक करोड़ सत्रह लाख) रुपये,
मांग संख्या-08, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 45,00,000/-
(पैंतालीस लाख) रुपये,
मांग संख्या-09, सहकारिता विभाग के संबंध में 18,09,45,000/-
(अठारह करोड़ नौ लाख पैंतालीस हजार) रुपये
मांग संख्या-10, ऊर्जा विभाग के संबंध में 372,75,28,000/-
(तीन सौ बहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख अठ्ठाईस हजार) रुपये
मांग संख्या-12, वित्त विभाग के संबंध में 460,00,00,000/-
(चार सौ साठ करोड़) रुपये,
मांग संख्या-16, पंचायती राज विभाग के संबंध में 5,96,98,000/-
(पांच करोड़ छियानवे लाख अंठानवे हजार) रुपये,
मांग संख्या-17, वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 24,15,000/-
(चौबीस लाख पन्द्रह हजार) रुपये,
मांग संख्या-18, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 7,03,95,000/-
(सात करोड़ तीन लाख पंचानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या-19, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 47,96,98,000/-

(सैंतालीस करोड़ छियानवे लाख अंठानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या-20, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 400,00,01,000/-

(चार सौ करोड़ एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-21, शिक्षा विभाग के संबंध में 88,97,00,000/-

(अठ्ठासी करोड़ संतानवे लाख) रुपये,

मांग संख्या-22, गृह विभाग के संबंध में 25,00,04,000/-

(पच्चीस करोड़ चार हजार) रुपये,

मांग संख्या-23, उद्योग विभाग के संबंध में 585,23,50,000/-

(पांच सौ पचासी करोड़ तेईस लाख पचास हजार) रुपये,

मांग संख्या-25, सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 14,00,00,000/-

(चौदह करोड़) रुपये,

मांग संख्या-26, श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 5,84,11,000/-

(पांच करोड़ चौरासी लाख ग्यारह हजार) रुपये,

मांग संख्या-27, विधि विभाग के संबंध में 32,00,01,000/-

(बत्तीस करोड़ एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-30, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 62,79,61,000/-

(बासठ करोड़ उनासी लाख इकसठ हजार) रुपये,

मांग संख्या-33, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 10,23,00,000/-

(दस करोड़ तेईस लाख) रुपये,

मांग संख्या-35, योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 1,35,01,000/-

(एक करोड़ पैंतीस लाख एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-36, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 276,66,00,000/-

(दो सौ छिहत्तर करोड़ छियासठ लाख) रुपये,

मांग संख्या-38, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 8,80,69,000/-

(आठ करोड़ अस्सी लाख उनहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या-39, आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 3,00,00,000/-

(तीन करोड़) रुपये,

मांग संख्या-40, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 26,02,00,000/-

(छब्बीस करोड़ दो लाख) रुपये,

मांग संख्या-41, पथ निर्माण विभाग के संबंध में 100,00,00,000
(एक सौ करोड़) रुपये,
मांग संख्या-43, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 88,11,65,000/-
(अठ्ठासी करोड़ ग्यारह लाख पैंसठ हजार) रुपये,
मांग संख्या-44, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 23,48,77,000/-
(तेईस करोड़ अड़तालीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये,

(क्रमशः)

टर्न-29/अंजली/27.02.2024

(क्रमशः)

मांग संख्या-45, गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 6,50,00,000/-
(छः करोड़ पचास लाख) रुपये,
मांग संख्या-46, पर्यटन विभाग के संबंध में 16,00,000/-
(सोलह लाख) रुपये,
मांग संख्या-47, परिवहन विभाग के संबंध में 6,25,00,000/-
(छः करोड़ पच्चीस लाख) रुपये,
मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 578,29,63,000/-
(पाँच सौ अठहत्तर करोड़ उनतीस लाख तिरसठ हजार) रुपये,
मांग संख्या-50, लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 1,70,00,000/-
(एक करोड़ सत्तर लाख) रुपये,
मांग संख्या-51, समाज कल्याण विभाग के संबंध में 410,24,21,000/-
(चार सौ दस करोड़ चौबीस लाख इक्कीस हजार) रुपये,
मांग संख्या-52, खेल विभाग के संबंध में 18,90,00,000/-
(अठारह करोड़ नब्बे लाख) रुपये,

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग विधेयक, 2024''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान सभा में दिनांक-23 फरवरी, 2024 को उपस्थापित किया गया है । तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में लगभग 4133,60,76,000 (चार हजार एक सौ तैतीस करोड़ साठ लाख छिहत्तर हजार) रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है । प्रस्तावित राशि में वार्षिक स्कीम में 3 हजार करोड़, 546 करोड़ 41 लाख 56 हजार रुपया स्थापना एवं प्रति व्यय मद में 586 करोड़ 47 लाख 60 हजार रुपया एवं केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 51 लाख 60 हजार रुपये प्रस्तावित है । कुल प्रस्तावित राशि में बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम के में रूप में स्वीकृत 48 करोड़ 42 लाख 41 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति शामिल है । अध्यक्ष महोदय, वार्षिक स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश एवं राज्यांश के द्वारा राज्य स्कीम को शामिल किया जाता है । इस वार्षिक स्कीम मद में केंद्र प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश मद में 11 करोड़ 54 लाख 22 हजार रुपया एवं केंद्र प्रायोजित योजना स्कीम के राज्यांश

मद में 510 करोड़ 39 लाख 44 हजार रुपया एवं राज्य स्कीम मद में 3 हजार 24 करोड़ 86 लाख 20 हजार रुपया एवं केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में 51 लाख 60 हजार रुपया प्रस्तावित है । प्रस्तावित राशि में केंद्र प्रायोजित स्कीम के राज्यांश अंतर्गत मुख्यतः पुनर्स्थापित वितरण क्षेत्र स्कीम आई0डी0एस0एस0 अंतर्गत 286.72 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत 106.25 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा में मानव संसाधन अंतर्गत 50 करोड़ रुपया एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत 33 करोड़ रुपया का प्रस्ताव शामिल है । अध्यक्ष महोदय, केंद्र प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश मद में मुख्यतः राष्ट्रीय, ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 7.2 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम अंतर्गत 3.26 करोड़ रुपया प्रस्तावित शामिल है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपसे आग्रह करेंगे, सदन से अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक, 2024 अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनि मत से पारित की जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे । जय हिंद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–27 फरवरी, 2024 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–40 (चालीस) है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक–28 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट (1)

(2)

स्वम् सहायता समूह (जीविका)

अध्यक्ष महोदय,

बिहार में स्वयं सहायता समूह का गठन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा–निर्देश में किया गया। राज्य में 10 लाख 47 हजार जीविका समूह का गठन किया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख परिवार इसमें शामिल किये जा चुके हैं। ये आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र के हैं जहां काम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

अब शहरी क्षेत्रों में भी जीविका का काम ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। सर्वे–सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के गरीब, निःसहाय, निर्धन, बेसहारा परिवार को चिन्हित कर जीविका समूह में शामिल कर उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्रवाई चल रही है।

अध्यक्ष महोदय,

सतत जीविकोपार्जन योजना

राज्य में शराब और ताड़ी बेचकर जिन्दगी बसर करने वाले परिवार को चिन्हित किया गया है, उन्हें वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राज्य में चिन्हित परिवारों की संख्या एक लाख चौरासी हजार से भी ज्यादा है। इन्हें वैकल्पिक रोजगार के लिए तैयार किया गया है उन्हें तकनीकी सपोर्ट के साथ–साथ अर्थिक सहायता भी देकर रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

सिर्फ शराब और ताड़ी बेचने वाले परिवार को ही चिन्हित नहीं किया गया है बल्कि वैसे परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जो हासिये पर खड़ा था। उसके जीने के सारे रास्ते बंद हो गये थे। उन्हें मुख्य धारा में लाकर जिन्दगी संवारने का काम किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि आप जब अपने क्षेत्र के भ्रमण में जाय तो एक बार उन परिवार के लोगों से मिलें जिनका आशियाना उजड़ गया था, सरकार ने उन्हें कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया।

अध्यक्ष महोदय,

दीदी की रसोई की चर्चा तो सर्वत्र हो रही है, हर हॉस्पीटल में हो रही है चाहे दरभंगा हो या भागलपुर, आरा का मानसिक आरोग्य अस्पताल हो या बिहारशरीफ का अस्पताल, पूर्वी चम्पारण का मोतीहारी जिला अस्पताल। आरोग्य अस्पताल खोलकर, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय,

अध्यक्ष महोदय,

जीविका दीदियों द्वारा मुजफ्फरपुर के खबड़ा [redacted] में वृहद पैमाने पर मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है।

इससे तीस दीदियां जूड़ी हैं, बैंक से तीस लाख रूपये ऋण लेकर 10 कलस्टर में मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है।

प्रति सप्ताह 10 से 15 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन होता है।

(3)

अध्यक्ष महोदय,

इस मशरूम में HDL प्रोटीन एवं कैल्सियम की भरपूर मात्रा होती है।

इसे सुखाने के बाद यह लगभग एक हजार रूपये से बारह सौ रूपये प्रति किलो की दर से बेची जाती है।

अध्यक्ष महोदय,

मुजफ्फरपुर की संगम जीविका की एक दीदी जिसका नाम आशा देवी है, ने मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को जीविका एवं इससे समाज में होने वाले साकारात्मक प्रभाव एवं परिवर्तन के बारे में ट्रेनिंग भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय,

मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखण्ड के भीखनपुर गांव में सतत जीविकोपार्जन योजना से राशि प्राप्त कर श्रीमती कृष्णा देवी गुमटी लगाकर दुकान चला रहा रही है, सिलाई का भी काम करती है तथा गुमटी के नीचे बकरी पालन का भी काम कर अपने परिवार का गुजर–बसर अच्छे ढंग से कर रही है।

अध्यक्ष महोदय,

मुजफ्फरपुर के बोचहां प्रखण्ड के मंझौलिया में लहठी निर्माण का कार्य जीविका दीदी द्वारा किया जा रहा है। कोरोना काल में बाहर से आये हुए परिवार लहठी के कार्य में लगे हुए हैं जिन्हें जीविका से सहायता प्राप्त होती है। सीतामढ़ी में भी लहठी कार्य में कई परिवार लगे हुए हैं।

(5)

अध्यक्ष महोदय,

दरभंगा के हायाघाट प्रखण्ड के पतौर ग्राम के वार्ड–1 में कार्यरत सुरभि जीविका महिला उत्पादक समूह द्वारा हल्दी, धनिया का पाउडर, सत्तु, बेसन, अदौड़ी एवं कई प्रकार के मसालों का उत्पादन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

पटना में लगे सरस मेला में इनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों की काफी मांग थी, कई बार इन सामग्रियों को मेला में भेजना पड़ा था फिर भी जीतनी मांग थी उस अनुसार आपूर्ति नहीं कर पायी, ये है जीविका दीदी पर विश्वास और भरोसा।

अध्यक्ष महोदय,

हायाघाट के सिंघौली पंचायत, मिर्जापुर पंचायत की दीदियां खाद–बीज का लाइसेंस लेकर इस काम में भी लगी हैं। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की कई महिलाएं भी है।

अध्यक्ष महोदय,

पतौर गांव की सपना देवी जो पहले शराब, दारू बेचने का कार्य करती थी अब सतत जीविकोपार्जन योजना से सहायता लेकर श्रृंगार की दुकान चला रही है।

इसी गांव की धनकिता देवी एवं संतोष दास जो दोनों पति–पत्नी दिव्यांग है सतत जीविकोपार्जन योजना से सहायता प्राप्त कर गुमटी में दुकान संचालित कर रही है, एवं एक अन्य महिला सीता देवी सब्जी की दुकान चला रही है। मधुबनी के रहिका प्रखंड के जगतपुर पंचायत में लरूबती देवी जेनरल स्टोर चला रही है।

(5)

अध्यक्ष महोदय,

सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने, उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के उद्देश्य से राज्य के कई प्रखंडों में जीविका दीदी द्वारा अधिकार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पटना के बख्तियारपुर में, जहानाबाद में, मधुबनी के जीतवारपुर में, कटिहार के कोढ़ा में, यह केन्द्र अच्छी तरह से कार्य कर रही है। प्रखंड स्तर पर आने वाले लाभूकों को सरकार द्वारा संचालित लाभकारी एवं जनकल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाती है जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छात्र–छात्राओं तथा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को पढ़ने का माहौल उपलब्ध कराने, पुस्तक की सुविधा उपलब्ध कराने, पत्र पत्रिका आदि को सुलभ करने, वाई–फाई की सुविधा देने, ऑनलाईन कोचिंग कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय,

कई स्थानों पर समुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केन्द्र की स्थापना कर उपरोक्त सुविधा दी जा रही है। पश्चिम चम्पारण के लौरिया में यह अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। जहानाबाद जिला के काको प्रखंड में बच्चों को ज्ञान के क्षेत्र में वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें अम्थुआ पंचायत के पुराने पंचायत भवन में इसका लाभ दिया जा रहा है।

(6)

सतत जीविकोपार्जन संवर्द्धन

1. 25 लाख 94 हजार महिला किसानों द्वारा कृषि की नयी तकनीक को अपनाया गया है।

   वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 52 लाख महिला किसानों को कृषि से जुड़ने की कार्रवाई करने का लक्ष्य है।

2. मत्स्य पालन, पशु पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन विकास योजना के तहत 5 लाख 62 हजार परिवार को मुर्गी एवं बकरी पालन योजना से रोजगार मुहैया कराया गया है।

3. 140 रूरल रिटेल माट का संचालन किया जा रहा है।

4. गैर कृषि गतिविधि अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़े 2 लाख 44 हजार परिवारों को उद्यमिता से जोड़ा गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 10 लाख परिवारों को पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जायेगा।

6. कौशिक दुग्ध उत्पादक कम्पनी बनाकर 804 दुध संग्रहण केन्द्र खोले गये हैं, जिसमें 19 हजार 2 सौ 73 परिवारों को रोजगार के क्षेत्र में विशेष अवसर प्रदान की गयी।

7. मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी जीविका दीदी पीछे नही हैं। समूह की 11 हजार 7 सौ 89 दीदी मिलकर मधुमक्खी पालन कर 2 हजार 7 सौ 24 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन कर जीविकोपार्जन कर रही है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में अबतक 76 ग्राम संगठन भवन (जीविका भवन) तैयार किये जा चुका है एवं 164 भवन का निर्माण प्रगति पर है।

अध्यक्ष महोदय

<u>रोजगार सह मार्गदर्शन मेला</u>

राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रत्येक जिला में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किये जाते हैं।

इस रोजगार मेला में कई प्रकार की कम्पनियां आती है। ये कम्पनियाँ मानव बल एजेन्सी, रिटेल एवं हॉस्पीटेलिटी, ऑटोमोबाईल इन्डस्ट्री, सिक्युरिटी सर्विस, बैंकिंग फाइनांस, माईक्रो फाइनांस, मार्केटिंग, डिलीवरी सर्विस, ऑपरेंटिस ट्रेनी क्षेत्र में रोजगार देती है।

अध्यक्ष महोदय,

अबतक सभी जिलों में फरवरी 2024 तक 752 रोजगार सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जा चुका है।

इन रोजगार मेला में 6 लाख 16 हजार 441 युवाओं ने भाग लिया एवं 1 लाख 54 हजार 937 युवाओं को रोजगार का प्रस्ताव मिला तथा 53 हजार 388 युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया।

MKSP (महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना)

(8)

- MKSP (महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है । यह परियोजना महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक पहल है, जिसमें कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना एवं उनकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने का मुख्य उद्देश्य है ।

- MKSP (महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना) के अन्तर्गत भारत सरकार ने बिहार में 30 IFC (Integrated Farming Cluster) शुरू करने की अनुमति प्रदान की है, जिसके तहत 9000 (नौ हजार) परिवारों को जोड़ा जाना है, ताकि उनकी वार्षिक आय एक लाख या उससे अधिक किया जा सके ।

- MKSP (महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना) महिलाओं के केन्द्र में रखकर बनाया गया है, जिसमें उत्पादन के नये तरीके से खेती करना, किसी एक उत्पाद के लिए Specialized zone बनाना एवं बाजार से जोड़ा जाना है । महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देना एवं उनको एक उद्यमी के रूप में तैयार किये जाने का लक्ष्य है । उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में Livelihood Service Centre का निर्माण किया गया है ।

- MKSP (महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना) के तहत प्रत्येक IFC (Integrated Farming Cluster) के लिए 40 लाख रूपये अर्थात् कुल 12 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया जा रहा है ।

- MKSP (महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना) के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अनुपात 60:40 है । भारत सरकार द्वारा 7.2 करोड़ रूपये निर्गत किया जा चुका है । राज्य सरकार की भागीदारी 4.8 करोड़ रूपये है ।

सतत् जीविकोपार्जन योजना

(1)

- ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-372432 दिनांक-31.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में सतत् जीविकोपार्जन योजना लागू की गयी । इस योजना के अंतर्गत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं ब्रिकी में पारंपरिक रूप से जुड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है ।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सतत् जीविकोपार्जन योजना लागू किये जाने के समय लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु प्रति परिवार निवेश की अधिकतम सीमा को 01 (एक) लाख रूपये निर्धारित की गयी थी । तदनुसार लक्षित परिवारों को राशि उपलब्ध करायी गयी है ।
- विभागीय संकल्प सं0-1409922 दिनांक-01.12.2022 द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना को शहरी क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
- विभागीय संकल्प सं0-2265379 दिनांक-09.11.2023 द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजनान्तर्गत लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु प्रति परिवार निवेश की अधिकतम सीमा को 01 (एक) लाख रूपये से बढ़ाकर 02 (दो) लाख रूपये किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में सतत जीविकोपार्जन योजना हेतु राशि रू0 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) का बजट उपबंध किया गया था, जिसका व्यय किया जा चुका है । इस हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रू0 50.00 करोड़ (पचास करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता है, जिसके लिए तृतीय अनुपूरक के माध्यम से बजट उपबंध का प्रस्ताव है ।

(1)

मनरेगा योजना

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के इच्छुक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन काम देने का प्रावधान है, ताकि काम के लिए राज्य से बाहर नहीं जाय। वे अपने परिवार के साथ रहकर गांव में, पंचायत में काम करें। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है।

श्रमिकों को मजदूरी भारत सरकार शत प्रतिशत देती है। (2 सौ 28 रूपये) तथा मेटेरियल मद में 75 प्रतिशत भारत सरकार देती है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है।

- 2023–24 में लक्षित मानव दिवस (श्रम बजट) 17 करोड़ के विरूद्ध 16 करोड़ 47 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है।
- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अकुशल मजदूरी में 4 हजार 5 सौ 7 करोड़ 59 लाख रूपये
- समाग्री मद– 1 हजार 5 सौ 17 करोड़ 49 लाख व्यय किया गया है।
- प्रशासनिक मद 1 हजार 5 सौ 17 करोड़ 49 लाख व्यय की गयी है।
- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 10 लाख 19 हजार 747 परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया।

मजदूरी में 3 हजार 8 सौ 78 करोड़ 46 लाख व्यय किया गया।

सामाग्री मद + प्रशासनिक मद में

1 हजार 9 सौ 27 करोड़ 36 लाख व्यय किया गया।

- 5 लाख 90 हजार 538 परिसम्पतियों का सृजन किया गया।
- 2023–24 में 94.58 प्रतिशत ससमय मजदूरी का भुगतान किया है।

(2)

गोबरधन योजना

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में 15 गोबरधन योजना का निर्माण पूर्ण तथा 21 प्रगति पर है। दूसरे चरण में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के क्रियान्वयन कर सभी गांवों को ओ0डी0एफ0 प्लस बनाया जाना लक्षित है।

राज्य में 17 हजार 329 गांव उद्‌यमान 1 हजार 9 सौ 95 गांव उज्जवल एवं 7 हजार 152 गांव उत्कृष्ट समुदाय द्वारा स्वघोषित किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय,

सात निश्चय– 2 के तहत स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव को संकल्प लिया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सितम्बर 2021 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के संचालन की स्वीकृति मिली है।

अध्यक्ष महोदय,

इसके तहत खुले में शौच से मुक्त बनाये रखना हमारी प्राथमिकता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ओ0डी0एफ0 प्लस बनाने का लक्ष्य निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदय,

द्वितीय चरण में 13 लाख 55 हजार शौचालय निर्माण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 6 लाख 36 हजार शौचालय का निर्माण किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

सामुदायिक स्वच्छता परिसर

वित्तीय वर्ष– 2019–20 से अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों के लिए अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराया गया।

9 हजार 543 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया गया है। और भी आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा रहा है।

D

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

अध्यक्ष महोदय,

विकसित बिहार के सात निश्चय–1 के शौचालय निर्माण घर का सम्मान के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं राज्य सम्पोषित लोहिया स्वच्छ योजना के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रारम्भ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में किये गये वेस लाईन सर्वे के अनुसार 1 करोड़ 22 लाख परिवार को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान किया गया।

(2)

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना से हर प्रखंड में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। उक्त खेल मैदान से ग्रामीण प्रतीभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी जब माननीय विरोधी दल के नेता विश्वास यात्रा पर थे उसी दिन हमने खिलाड़ियों को सौगातें समर्पित कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा योजना से गया जिला के खिजरसराय प्रखण्ड के 10+2 उच्च विद्यालय, करपी में खेल मैदान का निर्माण कराया गया है। सिर्फ विद्यालय चहार दिवारी का निर्माण नहीं बल्कि फुटबॉल खेलने, भौली बॉल खेलने, बास्केटबॉल के साथ–साथ बैडमिंटन खेल के लिए भी अलग–अलग स्थान चिन्हित किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय,

पुलिस में भर्ती के लिए प्रतिभागी मैदान में दौड़ का भी अभ्यास कर सकते हैं। इस मैदान का नाम महात्मा गांधी खेल मैदान रखा गया है। यह काम जमुआवाँ पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया द्वारा बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

हमने मैदान के चारो तरफ पौधा लगाने का भी निदेश दिया है। गया जिला के हर प्रखण्ड में खेल का मैदान बन कर तैयार है। आप निरक्षण भी कर सकते हैं। उसी प्रकार राज्य में मनरेगा योजना से ग्रामीण प्रतिभा को विकसित करने के लिए, बच्चों को प्रतिभावान बनाने के लिए तथा खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं तथा उसे धरातल पर उतारने की दिशा में काम भी चल रहा है।

- राज्य में 4 हजार 18 ग्राम पंचायतों में W.P.U. का निर्माण कराया गया। (3)

- राज्य में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के तहत कुल 72 हजार 45 वार्डों में घर से कचरा उठाव किया जा रहा है।

- 1 लाख 16 हजार सामुदायिक सोकपिट, 68 हजार 51 जंक्शन चैम्बर एवं 19 हजार 6 सौ 57 नाली निकासी के निर्माण की कार्रवाई की गयी है।

- अनुमंडल स्तर पर 133 प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य कराया गया है।

1 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

अध्यक्ष महोदय,

ग्रामीण विकास विभाग पर गरीबों का बड़ा भरोसा है। राज्य के गरीबों से जुड़ा विभाग है। ग्रामीण विकास विभाग के जरीय गांव के गरीबों को उत्थान करने की योजना हैः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
2. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
3. मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना
4. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना

गॉव के गरीबों के लिए ये सभी महत्वपूर्ण योजना चलाया जा रहा है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया गया, परिणाम स्वरूप 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उसमें 29 लाख ऐसे परिवार हैं, जिनके पास सिर्फ झोपड़ी है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में जिनके पास अपना छत नहीं है, अपना घर नहीं है, उनके लिए बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के संसाधन से पॉच वर्षों में हर घर को अपना घर हो, इसके लिए काम किया जा रहा है।

आज गरीबों का भरोसा और विश्वास श्री नीतीश कुमार के उपर लगातार बढ़ता जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

अध्यक्ष महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 2016–17 से कार्य प्रारम्भ किया गया तथा पात्र परिवारों 2016–17 से 2021–22 तक (सैंतीस लाख एक हजार छः सौ पचास) लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसमें 37 लाख 1 हजार 650 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गयी, जिसमें 36 लाख 29 हजार 838 आवास पूर्ण करा ली गई है।

कुल 2016–17 से अबतक कुल 44 हजार 800 सौ 95 करोड़ 49 लाख 60 हजार व्यय किया गया है।

2023–24 में अबतक 9 सौ 19 करोड़ 32 लाख 55 हजार रूपया व्यय किया है।

राज्य में तेजी से आवास निर्माण की दिशा में कार्रवाई चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री आवास योजना 2018–19 से संचालित है। एक जनवरी 1996 के पूर्व जिनका घर कलस्टर में अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों का आवास बना घर रहने के लायक नहीं है, जीर्ण–शीर्ण अवस्था में तथा उनको दूसरे किसी योजना से आवास का लाभ नहीं मिला, उन्हें राज्य के खजाने से 1 लाख 20 हजार घर बनाने के लिए तथा 12 हजार शौचालय बनाने के लिए।

अध्यक्ष महोदय,

अपना घर हो, अपना छत हो इसकी योजना राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है।

अबतक इस योजना में सन्तावन हजार एक सौ पैंतालीस के विरूद्ध 34 हजार 7 सौ 35 आवास की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें 24 हजार 155 आवास पूर्ण भी कर ली गयी है। वर्ष 2018–19 से अब तक 3 सौ 16 करोड़ 82 लाख 55 हजार रूपये का व्यय किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक एक सौ 11 करोड़ 4 लाख 95 हजार रूपया व्यय किया गया है।

मुख्य मंत्री आवास योजना के लिए आवंटित राशि तृतीय अनुपूरक में रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना

अध्यक्ष महोदय,

बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना चलाया जा रहा है। एक अप्रैल 2010 के पूर्व जिन्हें आवास की स्वीकृति मिली है, किसी कारण से अपूर्ण रह गया, आधा–अधूरा रह गया उसे पूर्ण कराने के लिए 50 हजार रूपया राज्य के खजाने से देते हैं।

अध्यक्ष महोदय,

अबतक 16 हजार 3 सौ 53 लाभूकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 4 हजार 192 लाभूकों का आवास पूर्ण हो गया है। इस योजना पर अबतक कुल 35 करोड़ 36 लाख 90 हजार रूपया खर्च किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री वास क्रय सहायता योजना।

अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की चर्चा किये बिना गरीबों का मकान नहीं बन सकते जो पात्र परिवार हैं, आवास लेने की पात्रता रखते हैं उनके पास अपनी जमीन नहीं है और उस गांव में सरकारी जमीन भी नहीं है, ऐसे हालात में पात्र परिवार को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रूपया राज्य के खजाने से देते हैं।

अध्यक्ष महोदय,

जल–जीवन–हरियाली योजना के तहत आहर में, पईन में, पोखरा में एवं तटबंध पर बसे लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है तो जमीन और मकान बनाने के लिए राज्य के खजाने से जमीन के लिए 1 लाख रूपये और मकान बाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये तथा IAP जिला में 1 लाख 30 हजार रूपये देकर उन्हें बसाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह राज्य के गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ने का जीता जागता पहल है।

जल जीवन–हरियाली अभियान

अध्यक्ष महोदय,

11 अवयवों की कार्य योजना तैयार कर दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से राज्य में जल–जीवन–हरियाली अभियान की शुरूआत की गई।

इस अभियान के तहत कुल 11 अवयवों पर कार्य किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं–

1. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना ।

2. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार।

3. सार्वजनिक कुँओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार ।

4. सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण ।

5. छोटी–छोटी नदियों/नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण ।

6. नए जल स्त्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल ले जाना ।

7. भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण ।

8. पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण ।

9. वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग ।

10. सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत ।

11. जल–जीवन–हरियाली जागरूकता अभियान ।

राज्य के 15 विभागों द्वारा क्रियान्वित इस महत्वाकांक्षी अभियान के संचालन हेतु ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग के रूप में चिन्हित है। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली मिशन के स्तर से सभी क्रियान्वयन विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए इसकी प्रगति का निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान के 11 अवयवों की प्रगति इस प्रकार है :–

अवयव 1– सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना :–

- कुल सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं की संख्या–1 लाख 33 हजार 595
- अतिक्रमण चिन्हित जल संचयन संरचनाओं की संख्या–18 हजार 521
- अतिक्रमण मुक्त कराए गए जल संचयन संरचनाओं की संख्या–18 हजार 114
- अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु शेष जल संचयन संरचनाओं की संख्या–407

➢ **सार्वजनिक कुँओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करनाः–**

- कुल सार्वजनिक कुँओं की संख्या–67 हजार 977
- अतिक्रमण चिन्हित कुँओं की संख्या–11 हजार 356
- अतिक्रमण मुक्त कराए गए कुँओं की संख्या–11 हजार 205
- अतिक्रमण मुक्त करान हेत शेष कुँओं की संख्या–151

अवयव 2– सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार :–

➢ **तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार की प्रगति**

- कुल निरीक्षित संरचनाओं की संख्या–47 हजार 561
- कार्य प्रारंभ संरचनाओं की संख्या–20 हजार 624
- कार्य पूर्ण संरचनाओं की संख्या–20 हजार 109

➢ **आहरों/पईनों के जीर्णोद्धार की प्रगतिः–**

- कुल निरीक्षित संरचनाओं की संख्या– 86 हजार 34
- कार्य प्रारंभ संरचनाओं की संख्या–61 हजार 931
- कार्य पूर्ण संरचनाओं की संख्या–61 हजार 537

अवयव 3– सार्वजनिक कुँओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार :–

- कुल चिन्हित कुँओं की संख्या– 67 हजार 977
- कार्य प्रारंभ कुँओं की संख्या– 37 हजार 765
- कार्य पूर्ण कुँओं की संख्या– 34 हजार 456

अवयव 4– सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण :–

➢ **सार्वजनिक कुँओं के किनारे सोख्ता निर्माण**

- सार्वजनिक कुँओं की संख्या– 67 हजार 977
- कुँओं के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य प्रारंभ संरचनाओं की संख्या– 29 हजार 203
- कुँओं के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य पूर्ण संरचनाओं की संख्या– 26 हजार 691

➢ **सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण की प्रगति**

- सार्वजनिक चापाकलों की संख्या
- चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य प्रारंभ संरचनाओं की संख्या–1 लाख 47 हजार 444
- चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य पूर्ण संरचनाओं की संख्या–1 लाख 44 हजार 314

अवयव 5– छोटी–छोटी नदियों/नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण :–

- निर्माण कार्य प्रारंभ = 11 हजार 111
- निर्माण कार्य पूर्ण = 10 हजार 902

अवयव–6– नए जल स्त्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल ले जाना :–

- नए जल स्रोतों का निर्माण कार्य प्रारंभ– 51 हजार 666
- नए जल स्रोतों का निर्माण कार्य पूर्ण– 50 हजार 747

अवयव–7– भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण :–

- कुल सरकारी भवनों की संख्या– 95 हजार 595
- छत–वर्षा जल संचयन कार्य प्रारंभ भवनों की संख्या– 13 हजार 809
- छत–वर्षा जल संचयन कार्य पूर्ण भवनों की संख्या– 13 हजार 636

अवयव–8– पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण :–

- पौधशालाओं की संख्या– 1 हजार 205
- पौधशाला मे लगाये गए पौधों की संख्या (लाख में)– 5 करोड़ 22 लाख 66 हजार
- सघन वृक्षारोपण अंतर्गत लगाये गए पौधों की संख्या (लाख में)– 15 करोड़ 55 लाख

अवयव–9– वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग :–

- कुल कृषि योग्य भूमि (एकड़ में)–1 करोड़ 43 लाख 85 हजार 389 एकड़
- जैविक खेती से किये जा रहे भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)–1 लाख 12 हजार 81 एकड़
- टपकन सिंचाई पद्धति से किया जा रहे भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)– 27 हजार 367 एकड़
- जलवायु अनुकूल कृषि के तहत की जा रही खेती का क्षेत्रफल (एकड़ में)– 1 लाख 71 हजार 702 एकड़

अवयव–10– सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत :–

- सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लांट का अधिष्ठापन हेतु लक्षित भवन (संख्या)– 7 हजार 219
- सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण (संख्या)– 3 हजार 88
- सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पॉवर अधिष्ठापन हेतु शेष भवनों की संख्या– 4 हजार 131

अवयव–11– जल–जीवन–हरियाली जागरुकता अभियान :–

जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत संरचनाओं एवं क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के सतत अनुश्रवण, विभिन्न विभागों एंव क्रियान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वय एवं कार्यान्वयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल–जीवन–हरियाली वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्प विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर जिला स्तर से अवयवों की प्रविष्टि की जाती है साथ ही संबंधित विभागों द्वारा "Scheme Authentication" के माध्यम से जिलों द्वारा की गई प्रविष्टि का सत्यापन किया जाता है। प्रगति के आधार पर जिलों की रैंकिग की जाती है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन अनेक स्तरों पर विभिन्न विभागो के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है, इसके लिए संचार के नवीन एवं परंपरागत तकनीकों को अपना कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन–मानस में जागरूकता लेने का कार्य किया जा रहा है। जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत

निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल–जीवन–हरियाली मिशन के माध्यम से अन्तर्विभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। जल संरक्षण एवं पारिस्थितकीय संतुलन को समर्पित यह अभियान जन–भागीदारी के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है।

प्रखंड भवन

अध्यक्ष महोदय,

प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। राज्य में अबतक 66 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण भवन एवं परिसर विकास योजना का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा पुरा कराया गया है।

शेष 16 प्रखंडों के कार्य प्रगति पर है।

आई0आई0डी0एफ0 योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में कुल 101 सूचना प्रौधोगिकी केन्द्र की स्वीकृति दी गयी थी जिसमें 97 का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। 4 का कार्य प्रगति पर है। इसमें 9 अरब 35 करोड़ 47 लाख रूपये व्यय की संभावना है।

[illegible]

आधार पंजीकरण

अध्यक्ष महोदय,

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 12 करोड़ 47 लाख के विरूद्ध अबतक 11 करोड़ 58 लाख यानि 92.86 प्रतिशत जनसंख्या का आधार सृजित किया चूका है।

जिसमें व्यस्क– 18 वर्ष से उपर शत प्रतिशत (100%),

5–18 वर्ष – 78.48 प्रतिशत

0 से 5 वर्ष– 21.27 प्रतिशत सृजित किया गया है।

राज्य के सभी प्रखण्ड/अनुमंडल/नगर पंचायत/नगर परिषद/ जिला मुख्यालय में कुल 975 स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र संचालित है।

विकास प्रबंधन संस्थान

अध्यक्ष महोदय,

विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ये पटना जिला के बिहटा के सिकंदरपुर मौजा में अधिग्रहित जमीन पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष– 2024–25 में 50 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया, विकास प्रबंधन संस्थान के परिसर विकास के लिए।

जाति आधारित गणना

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में समाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित गणना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दृष्य इच्छा शक्ति का परिणाम है।

इस गणना के माध्यम से राज्य के गरीबों के आंकड़े सामने आया है, जिसमें 94 लाख लगभग ऐसे परिवार है, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के चिन्ता का विषय है। इसका समाधान से ही गरीबों का भला हो सकता है। सिर्फ गरीबों का नाम लेने से उसका भला नहीं होगी। हमारी सरकार गरीबों के हित में योजना बनाती है, उसके उत्थान के लिए कृत संकल्प है।

अध्यक्ष महोदय,

29 लाख ऐसे परिवार है, जिसके पास सिर्फ झोपड़ी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को चिन्ता है, उसके समाधान के लिए काम शुरू कर रहे हैं। हर परिवार के पास अपना घर हो यह सरकार की सोंच है।

अध्यक्ष महोदय,

94 लाख ऐसे को परिवार चिन्हित किये हैं जिनके पास न तो रोजगार है और न ही नौकरी, उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए हर परिवार को रोजगार से जोड़ने के लिए दो–दो लाख देने का फैसला मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सोंच और प्रयास का प्रतिफल है।

अध्यक्ष महोदय,

तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग का सदन के समक्ष सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु 50 करोड़ रूपये, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) हेतु 12 करोड़ रूपये एवं प्रखंड स्थापना हेतु 15 करोड़ 97 लाख रूपये अर्थात् कुल 77 करोड़ 97 लाख रूपये की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

अनुरोध है कि सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करें।